विज़न

निर्यात ऋण बीमा व व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing export credit insurance and trade related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना ।

Mission

To support the Indian Export Industry by providing cost effective insurance and trade related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilisation of available resources.

ईसीजीसी लि./ ECGC Ltd.

पंजीकृत कार्यालय:

एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

REGISTERED OFFICE:

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता वी. पंडित
COMPANY SECRETARY	Smt. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक	श्रीमती योगिता अरोरा
APPOINTED ACTUARY	Smt. Yogita Arora
संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक **JOINT STATUTORY AUDITORS**	मेसर्स आरएसवीए एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण सं. 110504W M/s. RSVA & Co. Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 110504W मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण सं. 100990W M/s. Banshi Jain & Associates Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 100990W
बैंकर	कार्पोरेशन बैंक
BANKERS	Corporation Bank आई डी बी आई बैंक IDBI Bank

विषय वस्तु / CONTENTS

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	निदेशक मण्डल Board of Directors	6
2	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	8
3	निष्पादन के मुख्य बिन्दु - पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	9
4	अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	13
5	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	21
6	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis	49
7	कंपनी शासन Corporate Governance	73
8	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	
	राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता तथा तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	97
	वित्तीय विवरण की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15 तक) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	104
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुबंध 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	120
	लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	131
	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	154
	प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	161
9	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन की रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	164
10	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	169
11	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ Comments of CAG	177
12	नेटवर्क सेवा Service Network	179

60 वर्षों की यात्रा...

1957

निगम की स्थापना 4 अक्तूबर 1957 को तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा की गई और इसका नाम था एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्श्युरंस कार्पोरेशन (एरिक)

प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रु
चुकता पूंजी 50 लाख रु

संस्थापक... श्री मोरारजी देसाई, साथ में दायीं ओर हैं श्री टी सी कपूर तथा श्री बी जी पेंढारकर तथा बाईं ओर हैं श्री रतिलाल एन गांधी तथा श्री एन एन सुब्रमण्य चेट्टियार।

पहली पॉलिसी 14 अक्तूबर 1957 को जारी की गयी

1959

पहली विशिष्ट पॉलिसी जारी की गयी

1960

निगम के नाम को एरिक से निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लिमिटेड किया गया

बैंकों के लिए पैकिंग ऋण पॉलिसी (बाद में पैकिंग ऋण गारंटी के नाम से जाना जाने लगा) जारी की गयी

1964

पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी आरंभ की गयी

वित्त **वर्ष 1966** के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **44 करोड़** रु रही

1967

बैंकों के लिए निर्यात निष्पादन गारंटी जारी की गयी

1970

विनिर्माण कार्य पॉलिसी तथा सेवा पॉलिसी आरंभ की गयी

1973

डॉ मनमोहन सिंह व सी रंगराजन ई सी जी सी के निदेशक मण्डल में शामिल थे

ई सी जी सी को उत्कृष्ट निर्यात प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया

1974

श्रीलंका एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्श्युरंस कार्पोरेशन (एस एल ई सी आई सी) स्थापित करने में श्रीलंका की सरकार की सहायता की

वित्त **वर्ष 1976** के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **1174 करोड़** रु रही

1977

कंप्यूटरीकरण, दीर्घावधि योजना तथा मा सं प्रबंधन आदि जैसे कुशल प्रबंधन की जानकारी दी

1980

सबसे पुराने सदस्यों में से एक के रूप में ई सी जी सी ने ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं (बर्न यूनियन) का अंतरराष्ट्रीय संघ की वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया

1981

546 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ मध्यम व दीर्घावधिक निर्यातों तथा विशिष्ट पॉलिसी रक्षाएं जारी की गईं

1982

ई सी जी सी ने रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जिसमें माननीय श्री प्रणव मुखर्जी (तत्कालीन वित्त मंत्री) मुख्य अतिथि थे

ई सी जी सी ने बर्न यूनियन के प्रबंधन समिति बैठक का आयोजन किया

अतिरिक्त सुविधाओं के साथ लघु निर्यातक व्यापक जोखिम पॉलिसी का आरंभ किया गया

1983

निर्यात ऋण व गारंटी निगम लिमिटेड से नाम को बदल कर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड किया गया

वित्त **वर्ष 1986** के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **6583 करोड़** रु रही

1991

ई सी जी सी ने ईराक युद्ध के कारण ई सी जी सी ने 800 करोड़ रु के बड़े बड़े दावों की अदायगी की गयी

1996

ई सी जी सी को राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ और तब से लेकर लगातार ई सी जी सी को राजभाषा का पुरस्कार प्राप्त होता रहा है

वित्त **वर्ष 1996** के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **28447 करोड़** रु रही

1997

ई सी जी सी ने संगठन तथा कारोबार का पुनर्गठन किया

बर्न यूनियन वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया

berneunion

2000

प्रतिक्रिया समय में कमी लाने के लिए ई सी जी सी ने वैन कार्यान्वित किया

वर्ष 1991 से आगे लाये जाने वाला संचित घाटा अंततः समाप्त हो गया

2002

आई आर डी ए आई की स्थापना की गयी तथा ई सी जी सी का पंजीकरण किया गया (पंजीकरण सं 124)

प्रमुख नि ऋ ए के एशिया समूह के बर्न यूनियन रीजनल के ऑपरेशन ग्रूप की कार्यशाला की मेजबानी की

2004

वर्तमान लोगो व टैग लाइन आप निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे का आरंभ

2005

निगम द्वारा अपने पॉलिसी पोर्टफोलियो का विविधिकरण जारी रखा गया जो कि निर्यातकों के लिए एक उत्पाद से बढ़ कर अनेक उत्पादों तक पहुँच गया

ई सी जी सी ने बड़े निर्यातकों के लिए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं आरंभ की तथा पहली ग्राहक विशिष्ट रक्षा जारी की

निदेशक मण्डल द्वारा प्रीमियम दर में 33% कटौती की गयी

इसके उच्चतम दावा भुगतान क्षमता के लिए इक्रा द्वारा iAAA रेटिंग प्रदान की गयी और आज भी वह जारी है

2006

वैन कनेक्टिविटी के साथ सू प्रौ विन्यास का अद्यतन किया गया

ई सी जी सी सर्वोत्तम दस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में शामिल हुआ तथा भारत सरकार से उत्कृष्टता के लिए एम ओ यू पुरस्कार प्राप्त हुआ

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता स्थापित किया गया तथा ई सी जी सी को प्रशासक नियुक्त किया गया

वित्त वर्ष 2006 के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **48739 करोड़** रु रही

2007

पूर्ण विकसित फ़ैक्टरिंग योजना का आरंभ

ई सी जी सी ने स्वर्ण जयंती मनाई

सभी उत्पादों पर प्रीमियम दर में 10% की कटौती की गयी

राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता से पूरे कारोबार के लिए पुनर्बीमा रक्षा प्राप्त की

2008

बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा कंपनी के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए स्कोप पुरस्कार से सम्मानित

2009

एम एस एम ई तथा गहन श्रम उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज आरंभ किए गए

2011

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस (टिस) के साथ सी एस आर पहल आरंभ किए गए तथा आज भी जारी हैं

2012

प्रीमियम आय 1000 करोड़ रु को पार कर गयी

शिकायत निवारण तंत्र आरंभ किया गया

2013

प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा कर 5000 करोड़ रु किया गया

2014

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

नाम को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड से बदलकर ई सी जी सी लिमिटेड किया गया

2014 में ब्रिक्स निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

2016

दावे अदायगियाँ 1000 करोड़ रु को पार कर गईं

ई सी जी सी ने सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियों के प्रीमियम दर में 17% की कटौती की

भारत के प्रधानमंत्री तथा ईरान के राष्ट्रपति की उपस्थिती में ईरानी समकक्ष, ई जी एफ आई के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

चुकता पूंजी में 1450 करोड़ रु की वृद्धि की गयी

वित्त वर्ष 2016 के अंत तक प्रभावी औसत अधिकतम देयता **79554 करोड़** रु रही

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लि.

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.

श्री सुनील कुमार
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Shri Sunil Kumar
Additional Secretary, Dept. of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry

डॉ सौरभ गर्ग
संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग,
वित्त मंत्रालय

Dr. Saurabh Garg
Joint Secretary, Department of Economic
Affairs, Ministry of Finance

श्रीमती मीना हेमचन्द्र
कार्यापालक निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक

Smt. Meena Hemchandra
Executive Director,
Reserve Bank of India

श्री राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Shri Rajeev Rishi
Chairman and Managing Director,
Central Bank of India

श्रीमती एलिस जी. वैद्यन
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
भारतीय साधारण बीमा निगम

Smt. Alice G. Vaidyan
Chairman cum Managing Director,
General Insurance Corporation of India

श्री गणेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष,
भारतीय निर्यात संस्थान संघ

Shri Ganesh Kumar Gupta
President, Federation of Indian Export
Organisations

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्री मानेक एरुच डावर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
स्पेण्टा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड

Shri Maneck Eruch Davar
Chairman and Managing Director,
Spenta Multimedia Pvt. Ltd.

श्रीमती सरनला मालती रानी
निदेशक

Smt Saranala Malathi Rani
Director

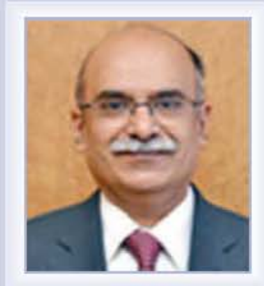

श्री एम. सेंथिलनाथन
कार्यपालक निदेशक, ईसीजीसी लि.

Shri M. Senthilnathan
Executive Director, ECGC Ltd.

श्री अरुण तिवारी
निदेशक,
दि. 30/06/2017 तक

Shri Arun Tiwari
06/09/2016 (ceased to be a Director
w.e.f. 30/06/2017)

श्री एस. सी. रलहन
निदेशक,
दि. 01/04/2017 तक

Shri S. C. Ralhan
16/06/2015 (ceased to be a Director
w.e.f. 01/04/2017)

डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा
निदेशक,
दि. 18/07/2016 तक

Dr. Guruprasad Mohapatra
01/12/2015 (ceased to be a Director
w.e.f.18/07/2016)

श्री यदुवेन्द्र माथुर
निदेशक,
दि. 15/02/2017 तक

Shri Yaduvendra Mathur
13/05/2014 (ceased to be a Director
w.e.f.15/02/2017)

वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT

श्रीमती गीता मुरलीधर **Smt. Geetha Muralidhar**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director

श्री वी. धर्मराजन **Shri V. Dharmarajan**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

श्री एम. सेंथिलनाथन **Shri M. Senthilnathan**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

1. श्री संदीप मुखर्जी
2. श्री मनोज कुमार
3. श्रीमती पद्मावती आर.
4. श्रीमती तापसी डे
5. श्री सी. एन. ए. अन्बरसन
6. श्री सुनील जोशी
7. श्री पी. एल. ठाकुर

1. Shri Sandeep Mukherjee
2. Shri Manoj Kumar
3. Smt. Padmavathy R.
4. Smt. Tapasi De
5. Shri C.N.A. Anbarasan
6. Shri Sunil Joshi
7. Shri P.L. Thakur

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री दीपक पी. तुंगारे
2. श्रीमती वसन्त श्रीनिवास
3. श्री निर्दोष चोपड़ा
4. श्री बलबीर सिंह मान
5. श्री राजीव पी. मानवी
6. श्री शिवाजी नार्वेकर
7. श्रीमती स्मिता वी. पंडित
8. श्री पी. एस. मुरली
9. श्री डी. वी. एस. साईरामन
10. श्री ईशनाथ झा
11. श्री वी. बी. सावर्डेकर
12. श्री जयप्रकाश मेनन
13. श्री वी. एल. पाठक
14. श्री उत्तम मुखर्जी
15. श्री जे. के. महापात्रा
16. श्री एम. सुब्रमणियन
17. श्री सृष्टीराज अंबस्थ
18. श्री सुबीर कुमार दास
19. श्री अभिषेक कुमार जैन
20. श्री आनंद सिंह
21. श्री आर.के. पांडियन

1. Shri Deepak P. Tungare
2. Smt. Vasantha Srinivas
3. Shri Nirdosh Chopra
4. Shri Balbir Singh Maan
5. Shri Rajiv P. Manavi
6. Shri Shivaji Narvekar
7. Smt. Smita V. Pandit
8. Shri P.S. Murali
9. Shri D.V.S. Sairaman
10. Shri Ishnath Jha
11. Shri V.B. Savardekar
12. Shri Jayaprakash Menon
13. Shri V.L. Pathak
14. Shri Uttam Mukherjee
15. Shri J.K. Mahapatra
16. Shri N. Subramanian
17. Shri Sristiraj Ambastha
18. Shri Subir Kumar Das
19. Shri Abhishek Kumar Jain
20. Shri Anand Singh
21. Shri R.K. Pandian

निष्पादन विशेषताएँ - पिछले एक दशक की / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) (₹ Crores)

वर्ष	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
संरक्षित कारोबार मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ * Short Term Policies *	1,41,398.09	1,35,871.97	1,33,983.00	1,31,343.62	1,26,100.41	1,19,621.00	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57
अल्पावधि ई सी आई बी ** Short Term ECIB **	1,17,492.16	1,27,534.80	1,38,555.00	1,38,149.89	1,33,250.78	1,20,118.65	3,31,758.29	2,71,273.95	2,61,731.51	1,82,766.16
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	6,027.26	5,979.06	7,652.00	9,762.82	10,160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09
कुल / Total	2,64,917.51	2,69,385.83	2,80,190.00	2,79,256.33	2,69,511.50	2,46,626.13	4,31,888.34	3,63,728.31	3,35,457.47	2,39,876.82
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23
कुल / Total	1,267.62	1,320.73	1,362.40	1,303.73	1,157.25	1,004.83	885.46	813.00	744.68	668.37
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	22.99	-	-	148.65	38.20	-	-	-	-	-
कुल / Total	885.34	1,122.84	589.83	897.49	548.50	713.03	620.53	641.72	451.42	420.01
की गयी वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71
कुल / Total	138.67	114.04	160.15	158.31	120.53	168.64	136.06	133.60	208.58	157.05

टिप्पणी: * इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानि सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य है।

Note: * Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमाओं के लिए निगम द्वारा संरक्षित बैंकों द्वारा मंजूर सीमाओं के अधीन औसतन बकाए को दर्शाता है।

** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Corporation for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

निष्पादन विशेषताएँ 2016-17 / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2016-17

उत्पाद समूह हिस्सेदारी / Product Group Contribution

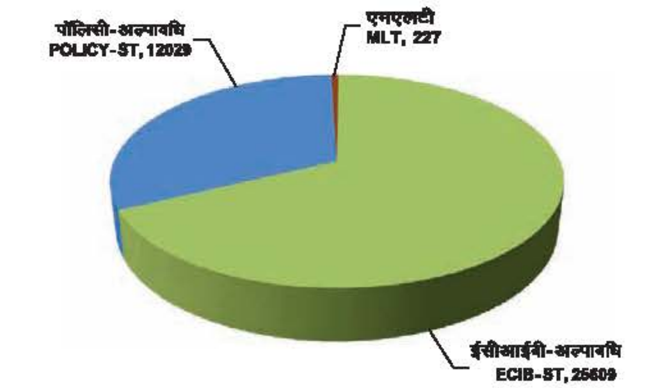

कुल बीमा रक्षाओं की संख्या 35,865 (दि. 31.03.2017 तक)
Total No. of Insurance Covers 35,865 (as of 31.03.2017)

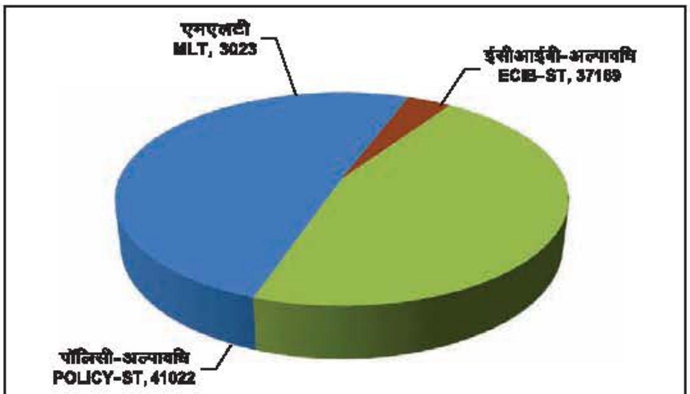

कुल अधिकतम देयता ₹ 85,214 करोड़ (दि. 31.03.2017 तक)
Total Maximum Liability ₹ 85,214 cr (as of 31.03.2017)

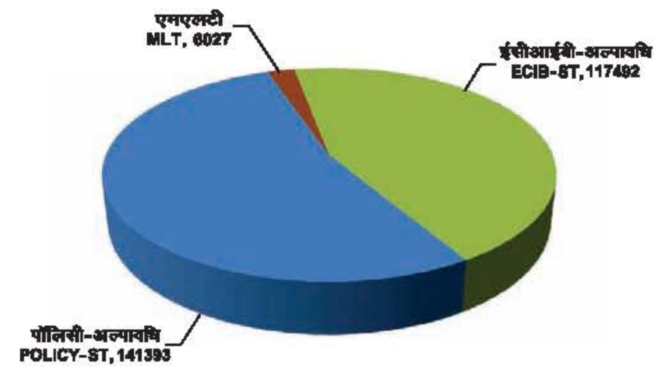

कुल रक्षित व्यापार (आरवी) ₹ 2,64,917 करोड़ (दि. 31.03.2017 तक)
Total Business Covered (RV) ₹ 2,64,917 cr (as of 31.03.2017)

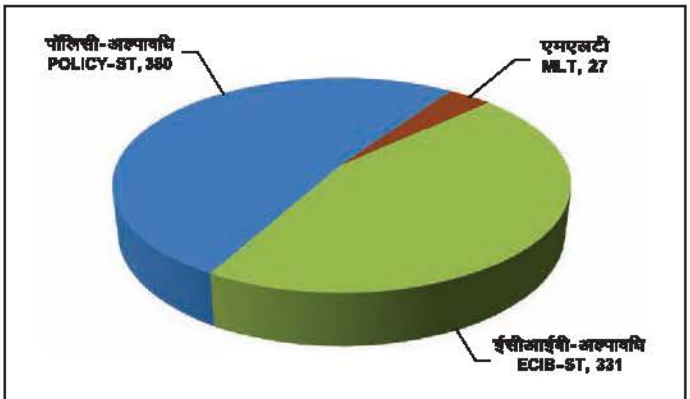

कुल प्रीमियम आय ₹ 1,268 करोड़ (दि. 31.03.2017 तक)
Total Premium Income Rs 1,268 cr (as of 31.03.2017)

- म व दी अ : मध्यम तथा दीर्घवधि / MLT: Medium and Long Term.
- ई सी आई बी अल्पावधि : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks - Short Term.
- पॉलिसी - अ व : पॉलिसी - अल्पावधि / Policy-ST: Policy - Short Term

दिनांक 08 नवंबर 2016 को विज्ञान भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन।

Inauguration of Diamond Jubilee Celebration by Hon'ble President of India on 8th November, 2016 at Vigyan Bhavan.

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

" ई सी जी सी का अस्तित्व उसके ग्राहकों यथा निर्यातकों तथा बैंकों के कारण बना हुआ है, जिसके विश्वास और भरोसे ने ही संगठन को उसके हीरक जयंती के कगार तक पहुंचाया है। "

" ECGC owes its existence to its customers, viz. exporters and banks whose faith and confidence have taken the organization beyond its Diamond Jubilee. "

अध्यक्ष का वक्तव्य

CHAIRMAN'S STATEMENT

व्यापार दिशाएँ

1. विगत वर्ष ने इस कटु सत्य को स्थापित किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कारोबार, राजनीति तथा अन्य पहलुओं पर सुखद मान्यताएँ संभव नहीं हैं तथा दैनिक आधार पर विश्व भर में संबन्धित परिस्थितियों में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि आज के परिदृश्य में व्यापार, विकास अथवा प्रगति की तुलना में, राजनीति को गति प्रदान करता है। वैश्विक जोखिमों के बीच आपसी संबंध चरम अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं तथा क्षेत्रों के मध्य संघर्ष व अस्थिरता के कारण भौगोलिक व राजनीतिक तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। स्टैंडअलोन आधार पर काफी छोटी उथल पुथल भी सीमा पार व्यापार को प्रभावित कर सकती है तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर गहरा आघात कर सकता है।

2. भारत के पारंपरिक व्यापार गंतव्य स्थल संरक्षणवादिता तथा भौगोलिक व राजनीतिक जोखिमों के कारण काफी जटिल होते जा रहे हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद , गिरावट की लंबी अवधि के पश्चात निर्यातों में 4.7% की वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति के मुख्य कारक इंजीनियरिंग वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण तथा टेक्सटाइल हैं। गंतव्य स्थलों के संबंध में पारंपरिक बाजार जैसे अमेरिका, यूरोप तथा यू ए ई में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि ब्रिटेन में गिरावट दर्ज की गयी। इस घड़ी में पश्चिमी बाज़ारों पर अधिक भरोसा करने के बजाए वैकल्पिक विकासशील बाज़ारों जैसे अफ्रीका, एशिया पर अधिक ध्यान देने जैसे जागरूक नीति अपनाई जानी चाहिए।

ई सी जी सी का निष्पादन

3. पिछले वर्ष के दौरान ई सी जी सी के निष्पादन की विशेषताओं के संबंध में अल्पावधि कारोबार में प्रभावी पॉलिसियों तथा संरक्षित जोखिम मूल्य में क्रमशः 4% की वृद्धि हो कर 12029 तथा 1,41,398 करोड़ रु हो गए हैं। एक अन्य अनुकूल प्रवृत्ति है कि अल्पावधि निर्यात कारोबार के अधीन प्रीमियम का औसत दर पोतलदान मूल्य के 28.19 पैसे प्रति 100 रु की तुलना में घटकर 25.46 पैसे प्रति 100 रु हो गया है जो कि मुख्य रूप से दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रमुख पॉलिसियों के अधीन प्रीमियम दर में 17% की समग्र कटौती के कारण हुआ है। जोखिमों के समग्र सीमा में विस्तार के साथ सक्रिय विदेशी ग्राहकों के डेटा बेस में वृद्धि के साथ 1,22,181 खरीदार हो गया है।

TRADE TRENDS

1. The year that went by established a harsh truth that comfortable assumptions about business, politics and other aspects in the international arena are no more possible and the relevant situations in the world are continuously changing on a daily basis. It has also been amply made evident that trade now drives politics more than growth or progress. The interconnection between global risks leading to extreme volatility and the geopolitical tensions due to conflicts and instability of regimes threaten to almost a tipping point. Even if the turmoil's on a standalone basis is small, the contagion aggregate effect on the cross border trade linkages and the international financial system could become a deep impacted blow.

2. India's traditional trade destinations are getting complicated with a resurgence in protectionism and with enhanced geopolitical risks. Despite this adverse trend, exports grew at 4.7% after a long spell of decline. The major contributors to this trend were engineering goods, petroleum products, gems and jewellery and textiles. As regards destinations, the traditional markets of USA, Europe and UAE continued to record growth while UK did not. At this juncture a conscious policy and initiative towards less reliance on West and focus on alternative developing markets like Africa, Asia would be relevant.

ECGC's PERFORMANCE

3. As regards the highlights in ECGC's performance in the past year, the policies in force and the risk value covered under short term business have gone up by 4% to 12029 and ₹1,41,398 crores respectively. The other heartening trend is that the average rate of premium under short term exporters business has come down from 28.19 paise per ₹100 to ₹25.46 paise per ₹100 of the shipment value largely on account of overall 17% reduction in premium rates for major policies with effect from 1st April, 2016 . The database of active overseas buyers with overall limits of exposures expanded to 1,22,181 buyers.

4. ई सी जी सी की रक्षा उपलब्धता के साथ भारत के पण्यवस्तु निर्यातों की तुलना करते हुए यह पाया गया है कि रसायन तथा फार्मास्युटिकल निर्यातों तथा कृषि वस्तु निर्यातों में क्रमशः 4.87% तथा 3.14% की तथा ई सी जी सी की रक्षा में क्रमशः 14.59% तथा 14.63% की वृद्धि दर्ज की गयी। अन्य वस्तु समूहों में यह प्रवृत्ति लगभग समानान्तर रही। इसी प्रकार गंतव्य स्थलों के संबंध में यह साबित होता है कि अफ्रीका को किए जाने वाले पोतलदानों में ई सी जी सी की रक्षा में 15.68% की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि भारत के निर्यातों में 5.18% की गिरावट दर्ज की गयी। यह नोट किया जाये कि अमेरिका, यूरो क्षेत्र तथा यू ए ई को किए जाने वाले निर्यातों की प्रवृत्तियाँ तथा ई सी जी सी की रक्षा उपलब्धता की प्रवृत्ति, इन क्षेत्रों में उच्चतर चूक व दावों की घटनाओं के कारण एक समान नहीं है। ई सी जी सी द्वारा निपटान किए गए दावों संबंध में दावों की की राशि तथा संख्या दोनों में क्रमशः 439 की तुलना में 578 तथा 127 करोड़ रु की तुलना में र 209 करोड़ रु की वृद्धि हुई ।

5. ई सी आई बी क्षेत्र , पूरे उद्योग भर में गैर निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के कारण तनाव में बना हुआ है। ई सी जी सी द्वारा संरक्षित निर्यात ऋण बकाए में कमी आयी है जिसके परिणामस्वरूप अर्जित प्रीमियम में भी गिरावट हुई है। बैंक से वित्त प्राप्त करने वाले कुल निर्यातकों की संख्या में पिछले वर्ष के अनुरूप 1000 तक की गिरावट हुई है जो कि गंभीर विषय है। बैंकों को प्रदान किए गए दावों की संख्या में भी 40% की वृद्धि दर्ज की गयी हालांकि दावे की राशि 655 करोड़ रु है जो पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

6. समग्र रूप में मध्यम व दीर्घावधि (एम एल टी) कारोबार सहित अपने सभी पोर्टफोलियो के अधीन ई सी जी सी ने कुल 2,65,000 करोड़ रु के निर्यात प्राप्यों के कुल कारोबार पर तथा वर्ष के अंत तक 86,215 करोड़ रु की अधिकतम देयता (आ दे) के साथ निर्यात ऋण बकाए पर रक्षा प्रदान की गयी। निर्यातकों को सीधे तथा बैंकों के जरिये प्रदान की जाने वाली बीमा रक्षा के अधीन 85% से अधिक ग्राहक एम एस एम ई श्रेणी में आते हैं। यह वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि के साथ 407 करोड़ रु के कर पूर्व लाभ के साथ समाप्त हुआ तथा 72.50 करोड़ रु के लाभांश सरकार को लौटाया गया। निवल मालियत बढ़कर 3,619 करोड़ रु हो गया तथा निवेश के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियाँ 8000 करोड़ रु को पार कर गयी।

7. वर्ष के दौरान ई सी जी सी ने कई अंतरराष्ट्रीय बैठकों का

4. While comparing the commodity composition of India's exports with that of ECGC's coverage, it is observed that the growth in export of Chemicals and Pharmaceuticals exports and Agri Commodities were 4.87% and 3.14% respectively whereas ECGC's coverage increased by 14.59% and 14.63% respectively. In respect of other commodity groups, the trends were more or less parallel. A similar exercise as regards destinations reveals that ECGC's cover grew by 15.68% for shipments to Africa while India's exports declined by 5.18%. It is pertinent to note that ECGC's coverage trends were not keeping pace with that of export trends to USA, Euro area and UAE owing to higher incidence of defaults and claims from these regions. In respect of claims settled by ECGC to exporters the number and amount have gone up substantially to 578 from 439 and to ₹209 crores from ₹127 crores respectively.

5. The ECIB sector continued to be under stress, owing to the high Non Performing Assets (NPAs) across industries. The export credit outstanding covered by ECGC declined and so did the premium earned. The total number of exporters availing bank finance have also declined by 1000, similar to the previous year and this continuing trend is a matter of concern. There is also a marked rise of over 40% in the number of claims paid to banks though the amount settled is lesser at ₹655 crores.

6. In all, ECGC under all its portfolios including Medium and Long Term (MLT) business, covered a total business of ₹2,65,000 crores of export receivables and export credit outstanding with a Maximum Liability (ML) of ₹86,215 crores as the end of the year. Over 85% of the customer base under direct insurance to exporters and through the banks comprised of the MSME category. The year ended with Profit Before Tax of ₹407 crores a 5% increase from previous year and a dividend of ₹72.50 crores is being returned to Government. The total net worth increased to ₹3,619 crores and the investment assets at disposal crossed ₹8,000 crores.

7. During the year, ECGC was privileged to host many

आयोजन किया है। अक्तूबर 2016 माह में, ई सी जी सी द्वारा ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिक्स देशों से निर्यात ऋण एजेंसियों (ई सी ए) के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। पहले ही हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते को आगे बढ़ाने के लिए न्यू डेवेलपमेंट बैंक (एन डी बी) के उपाध्यक्ष श्री ज़्हू जिआन को विश्व भर में बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं की सहायता में सहयोग पर समूह को संबोधित करने के लिए कहा गया। ब्रिक्स के प्रतिनिधियों के लिए गोवा में निर्यात वित्त पर एक्ज़िम बैंक के साथ मिल कर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 तथा 2 दिसंबर 2016 को ई सी जी सी द्वारा हैदराबाद में जोखिम प्रबंधन, पुनर्बीमा आदि पर परिचालन स्तर के प्रतिनिधियों के लिए 'दी ब्रिक्स ई सी ए फोरम 2न्ड टेक्निकल वर्कशॉप' का आयोजन किया गया।

8. जी - 12, 12 देशों से ई.सी.ए. के मु.का.अ. का फोरम है (8 ओ ई सी डी तथा 4 गैर ओ ई सी डी यथा ब्रिक्स के) तथा इसके सदस्यों द्वारा बारी बारी से वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। ई सी जी सी , भारत का ई सी ए होने के कारण फरवरी में चेन्नई में बैठक की मेजबानी की तथा कारोबार से संबन्धित दिशाएँ, ल व म नि से संबन्धित प्रक्रियाएं, संरक्षणवाद के प्रभाव, देश विशिष्टों के हित, अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समूह (आई डबल्यू जी) से संबन्धित गतिविधियां आदि पर विचारों का आदान प्रदान किया गया।

एन ई आई ए

9. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) के अधीन 76 संविदाओं के जरिये 29 देशों के लगभग 35,000 करोड़ रु के निर्यातों पर रक्षा प्रदान की गयी। अब तक भारत सरकार का कुल 2051 करोड़ रु का अंशदान रहा तथा दिनांक 31.03.2017 तक कुल 2702 करोड़ रु का कोश रहा। वर्ष के अंत तक 18,777 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ 122 रक्षाएं प्रभावी रहीं।

international meetings. In the month of October 2016 along with the summit of trade ministers of BRICS at New Delhi, ECGC representing India had organised the meeting of the Heads of Export Credit Agencies (ECAs) from BRICS nations. In order to further the framework agreement already signed, New Development Bank's (NDB) Vice-President, Mr. Zhu Xian was asked to address the group regarding the co-operation in supporting multilateral projects across the world. A workshop was also jointly hosted with EXIM Bank on Export Finance at Goa for the delegates from BRICS. In addition, an exclusive workshop, "The BRICS ECA Forum 2nd Technical workshop" for delegates at operational level on Risk Management, Re-insurance, etc. was hosted by ECGC in Hyderabad during 1st and 2nd December, 2016.

8. G-12 is a forum of CEOs of ECAs from 12 countries (8 from OECD and 4 non OECD viz., BRIC) and their meeting is held annually hosted in turns by the members. ECGC again as the ECA of India, hosted this meeting in February in Chennai and the exchanges pertained to trends in business, SME related processes, impact of protectionist measures, specific countries of interest, developments pertaining to International Working Group (IWG), etc.

NEIA

9. Under the National Export Insurance Account (NEIA), exports of around ₹35,000 crores have been supported in 29 countries through 76 contracts. The contribution so far from Government of India is ₹2051 crores and the total corpus stood at ₹2702 crores as on 31.03.2017. In all 122 covers with ML of ₹18,777 crores were in force as at the end of the year.

वर्ष के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां

10. ई सी जी सी को वर्ष भर चलने वाले उसके हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ , जो कि इसके पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। वाणिज्य संसदीय राजभाषा समिति द्वारा ई सी जी सी की भूमिका की सराहना की तथा बैंकों तथा निर्यातकों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के लिए उसके पूंजी आधार में वृद्धि करने पर ज़ोर दिया। समिति ने संगठन के सामने आने वाले विनियामक तथा क्षमता प्रतिबंधों को दूर करने की सिफ़ारिश भी की।

11. निगम को वर्ष 2017 के लिए ट्रेड एंड फोर्फ़ेटिंग रिव्यू (टी एफ आर) उत्तम निर्यात ऋण एजेंसी (ई सी ए) के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टी एफ आर पुरस्कार व्यापार उद्योग जगत में सबसे अधिक सम्मानित पुरस्कारों में से एक है जो कि उत्तम व्यापार उद्योग जगत द्वारा निर्यात ऋण एजेंसी (ई सी ए) सहित विभिन्न श्रेणियों के अधीन उत्कृष्ट उपलब्धियों अभिस्वीकृति है। 15 नामांकनों में से तीन एजेंसियों का चयन किया गया यथा यूलर हर्म्स (जर्मनी), यू के ई एफ (यूनाइटेड किंग्डम) तथा ई सी जी सी, भारत शामिल है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

12. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) गतिविधियों के अधीन कंपनी ने मुंबई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के 'एम' वॉर्ड तथा सायन्स एंड टेक्नालजी पार्क, पुणे के साथ जलदूत तथा सौर लालटेनों की पहल संबंधी वर्तमान प्रतिबद्धताओं को जारी रखा। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में नव प्रसव उपकरणों तथा स्वस्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु एकम् फाउंडेशन को अंशदान किया गया। ई सी जी सी उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षा, साक्षारता तथा स्वास्थ्य आदि सी एस आर गतिविधियों में विवेकानंद फाउंडेशन के साथ शामिल है।

राजभाषा

13. ई सी जी सी को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 19वीं बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ई सी जी सी को 18वीं बार वाणिज्य व उद्योग मन्त्रालय द्वारा भी राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। निगम के सभी कार्मिकों द्वारा 'राजभाषा अधिनियम 1963' तथा 'राजभाषा नियम 1976' के नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जाना जारी है।

MILESTONES

10. ECGC had the honour of the inauguration of its year long Diamond Jubilee celebrations at the hands of the then Honourable President of India, Shri Pranab Mukherjee, who had guided the organization in the past while he was the Commerce Minister and also the Finance Minister. Parliamentary Committee on Commerce commended the role and contribution of ECGC and insisted on augmentation of the capital base to enable adequate support to exporters and banks. The Committee also recommended actions to overcome the regulatory and capacity constraints faced by the organisation.

11. The Corporation has been conferred the Best Export Credit Agency (ECA) award by Trade and Forfeiting Review (TFR) for the year 2017. TFR awards are among the most prestigious awards in the trade industry acknowledging exemplary achievements under various categories including Best Export Credit Agency (ECA). Out of 15 nominations three agencies were shortlisted viz. Euler Hermes (Germany), UKEF (United Kingdom) and ECGC (India).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

12. Under Corporate Social Responsibility (CSR) activities, the Company continued with its ongoing commitments at M Ward of Mumbai Municipal Corporation and with Jaldoot and Solar Lanterns initiatives with Science and Technology Park (STP), Pune. In addition, contribution to Ekam foundation for neo natal equipments in Government hospitals and for training health care workers was made. ECGC also joined with Vivekananda foundation to carry out CSR activities in education, literacy, healthcare, etc., in the North Eastern states.

RAJBHASHA

13. For the 20th time, ECGC was conferred with the Rajbhasha Kirti Puraskar by Hon'ble President of India. The award from Ministry of Commerce and Industry was also bagged for the 18th time. All the employees continue to work enthusiastically using Hindi as a medium as per the 'Official Languages Act, 1963' and the 'Official Language Rules, 1976'.

अभिस्वीकृति

14. निगम निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को उनके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। श्री अरुण तिवारी, अ प्र नि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा श्री राजीव ऋषि, अ प्र नि , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री माणेक डावर तथा श्रीमती मालती रानी वर्ष के दौरान मण्डल में शामिल हुए। श्री यदुवेन्द्र माथुर , अ प्र नि, एक्जिम बैंक , द्वारा ई सी जी सी के निदेशक मण्डल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा केंद्र सरकार में प्रत्यावर्तन के साथ अपनी अवधि पूर्ण की।

15. ई सी जी सी का अस्तित्व उसके ग्राहकों यथा निर्यातकों तथा बैंकों के कारण बना हुआ है, जिसके विश्वास और भरोसे ने ही संगठन को उसके हीरक जयंती के कगार तक पहुंचाया है। हम वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आई आर डी ए आई का उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

भविष्य

16. विश्व बैंक के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी उपायों के कारण दक्षिणी एशियाई क्षेत्र , ऐसा क्षेत्र जो वैश्वीकरण के खिलाफ हुई प्रतिक्रिया से भी लाभान्वित हुआ है, में विकसोन्मुख निर्यात प्रतिबंधित नहीं हो सकते। क्षेत्र में इसकी भागीदारी को देखते हुए भारत सम्पूर्ण क्षेत्र को गति देने की क्षमता रखता है। तथा ई सी जी सी द्वारा, निर्यात कारोबार तथा ऋण ईको प्रणाली में प्रणालीगत महत्व का संगठन होने के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए स्थिरता तथा समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने की संभावना है ।

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ACKNOWLEDGEMENTS

14. The Company places on record appreciation for thecontribution of all the Directors on the Board. Mr. Arun Tiwari, CMD of Union Bank of India and Mr. Rajeev Rishi, CMD of Central Bank of India, Mr. Maneck Davar and Mrs. Malati Rani joined the Board during the year. Mr. Yaduvendra Mathur, CMD, EXIM Bank worked very closely on ECGC's Board and concluded his term on repatriation to the Central Government.

15. ECGC owes its existence to its customers, viz. exporters and banks whose faith and confidence has taken the organization beyond its Diamond Jubilee. Our gratitude is placed on record to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Reserve Bank of India and IRDAI for their continued support.

LOOKING AHEAD

16. According to the World Bank, protectionism measures in advanced economies should not deter export oriented growth in South Asia, a region that could even benefit from backlash against globalisation. Given its weight in the region, India will set the pace for the region as a whole. And ECGC being an institution of systemic importance in export trade and credit eco system will be the reliable ECA for "all weather" providing stability and ensuring a level playing field for the Indian Exporters.

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु दिनांक 14.09.2016 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा गृह मंत्रालय का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- तृतीय अप्रनि को प्रदान करते हुए।

Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee presenting the Rajbhasha Kirti Puraskar of Ministry of Home Affairs for securing 3rd position for Excellent implementation of Official Language Policy during FY 2015-16 to CMD on 14.09.2016.

संसदीय समिति, नई दिल्ली

Parliamentary Committee, New Delhi.

दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में ब्रिक्स ई सी ए प्रमुखों की बैठक।
BRICS Heads of ECAs Meeting, New Delhi, October 13, 2016.

दिनांक 1-2 दिसंबर 2017 को आयोजित ब्रिक्स ई सी ए की दूसरी तकनीकी कार्यशाला, हैदराबाद।
BRICS ECAs 2nd Technical Workshop Hyderabad, December 1-2, 2016.

दिनांक 19-21 फरवरी 2017 को चेन्नई में जी 12 ई सी ए प्रमुखों की बैठक।
G 12 Heads of ECAs Meeting, Chennai, February 19-21, 2017

निदेशकों की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) "पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड" के निदेशक सहर्ष दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.वि.) के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 59वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय मुख्य बिन्दु

समीक्षा अवधि के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :

विवरण	2016-17	2015-16
पण्यावर्त	126762.49	132072.97
वित्तीय शुल्क, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन पूर्व लाभ (पी.बी.आई.टी.डी.ए.)	41085.42	39090.21
घटाएँ : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास/ परिशोधन पूर्व लाभ (पी.बी.टी.डी.ए.)	41085.42	39090.21
घटाएँ : मूल्यह्रास	336.00	354.23
कराधान पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	40749.42	38735.98
कराधान हेतु प्रावधान	12535.01	11113.31
कराधान के उपरांत लाभ/(हानि) (पी.ए.टी.)	28214.41	27622.67
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान	7250.00	6500.00
लाभांश कर	1475.93	1323.25

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने सकल प्रीमियम में 4.02% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष के ₹1,320.73 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹1,267.62 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) के आंकड़े गत वर्ष के 978.94 करोड़ रु. की तुलना में गिरावट दर्ज करते हुए 871.57 करोड़ रु. (-10.97% वृद्धि) रहे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी द्वारा अदा किए गए कुल दावे 1122.84 करोड़ रु. से घटकर 885.34 करोड़ रु. हो गए। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1000.62 करोड़ ₹ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1056.65 करोड़ रु. हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष के 637.10 करोड़ रु. की

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.) are pleased to present the 59th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2017.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2016-17	2015-16
Turnover	126762.49	132072.97
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	41085.42	39090.21
Less : Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	41085.42	39090.21
Less : Depreciation	336.00	354.23
Net Profit Before Taxation (PBT)	40749.42	38735.98
Provision for Taxation	12535.01	11113.31
Profit/ (Loss) After Taxation (PAT)	28214.41	27622.67
Provision for Proposed Dividend	7250.00	6500.00
Dividend Tax	1475.93	1323.25

The performance of the Company during the FY ended March 31, 2017, registered a negative growth of 4.02% in Gross Premium. The Gross Premium earned by the Company during the FY 2016-17 was ₹1267.62 Crore against ₹1320.73 Crore during the previous FY. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2016-17, decreased to ₹871.57 Crore, against ₹978.94 Crore for the previous FY (-10.97% growth).

During the FY 2016-17, the total claims paid by the Company decreased from ₹1122.84 Crore to ₹885.34 Crore. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim increased for the FY 2016-17 to ₹1056.65 Crore against ₹1000.62 Crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹653.44 Crore in FY 2016-17

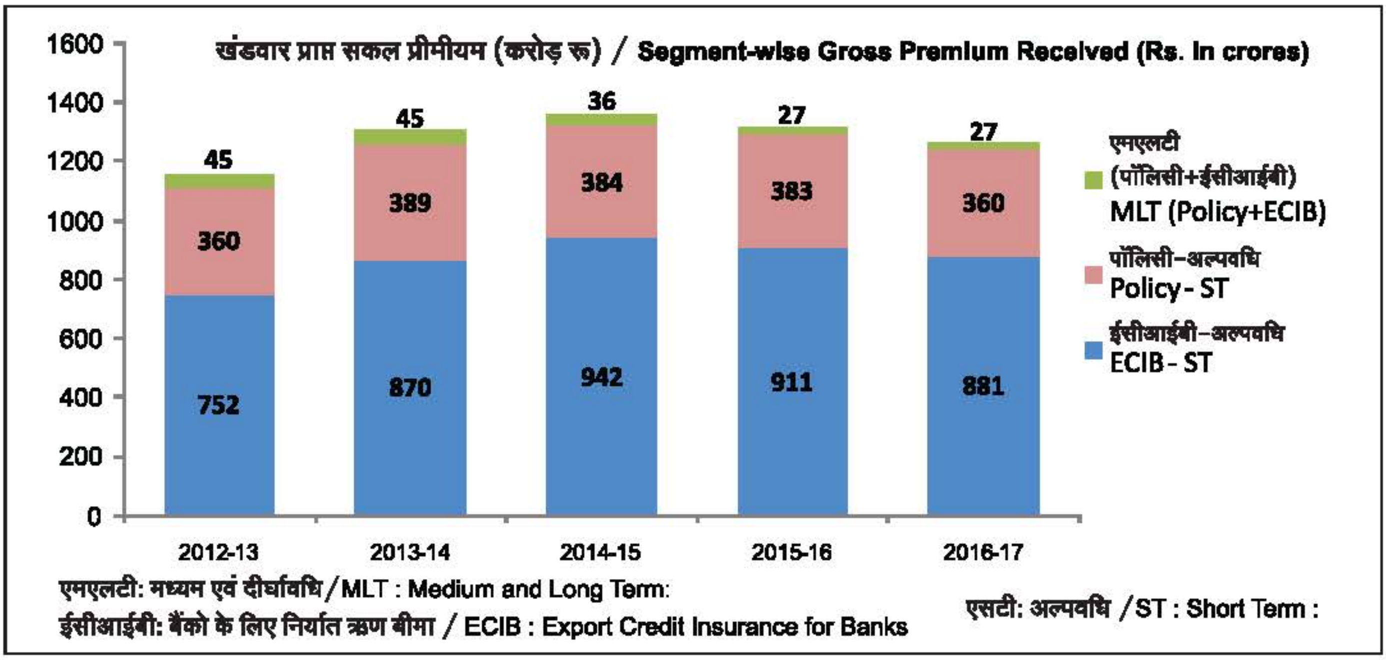

तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश एवं अन्य आय 2.56% की वृद्धि के साथ 653.44 करोड़ रु. हो गई।

लाभ एवं विनियोजन

पिछले वित्तीय वर्ष 1335.36 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रचालनों से कुल आय 5.97% घटकर 1255.62 करोड़ रु. हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान, पिछले वर्ष के 106.73 करोड़ रु के प्रचालन लाभ की तुलना में 138.10 करोड़ रु. का प्रचालन लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के 387.36 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 407.49 करोड़ रु. का कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान 125.35 करोड़ रु. के आयकर और पूर्व-अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के 276.23 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 दौरान विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पीएटी) 282.14 करोड़ रु. रहा।

लाभांश

निदेशक मण्डल सहर्ष प्रत्येक 100 रु के 14,50,00,000 इक्विटी शेयरों पर प्रति एक्विटी शेयर रु. 5/- के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करता हैं जो 72.50 करोड़ रु. है। लाभांश वितरण कर के साथ कुल लाभांश 87.26 करोड़ रु. है जो 282.14 करोड़ रु. के करोत्तर लाभ (पीएटी) का 30.93% का पे-आउट अनुपात निरूपित करता है।

up from ₹637.10 Crore in the previous FY by 2.56%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2016-17, total income from operations was down by 5.97% to ₹1255.62 Crore from ₹1335.36 Crore in the previous FY. During the FY 2016-17, the Company posted an Operating Profit of ₹138.10 Crore compared to an Operating Profit of ₹106.73 Crore during the previous FY. During the FY 2016-17, Profit Before Tax (PBT) was ₹407.49 Crore, against ₹387.36 Crore in the previous FY. After providing ₹125.35 Crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2016-17 was ₹282.14 Crore, against ₹276.23 Crore in the previous FY.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹5 per Equity Share on the 14,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹72.50 Crore. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, amounts to ₹87.26 Crore, representing a pay-out ratio of 30.93% of the PAT of ₹282.14 Crore.

प्रारक्षित निधियाँ

बोर्ड द्वारा, 25 मई 2017 को सम्पन्न अपनी 408वीं बैठक में 189.85 करोड़ रु. को सामान्य प्रारक्षित निधि में रखने का प्रस्ताव रखा है।

अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरण

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया अत: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2017 को कंपनी का निवल मूल्य 3619.19 करोड़ (31 मार्च 2016 को 3279.35 करोड़ रु) था जिसमें 1450 करोड़ रु. (वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त 150 करोड़ रु. की राशि सहित) की चुकता शेयर पूँजी तथा 2169.19 करोड़ रु. की प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष शामिल है।

a. प्रतिभूतियों की वापसी खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी नें अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है।

b. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई स्वेट ईक्विटी शेयर नहीं जारी किए गए हैं।

c. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी नें कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं।

RESERVES

The Board, at its 408th Meeting, held on May 25, 2017, proposes to carry ₹189.85 Crore to General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2017 the Company's Net Worth, comprising Paid-up Share Capital of ₹1450 Crore (including ₹150 Crore received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during FY 2016-17) and Reserves and Surplus of ₹2169.19 Crore, is ₹3619.19 Crore (₹3,279.35 Crore as on March 31, 2016).

a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

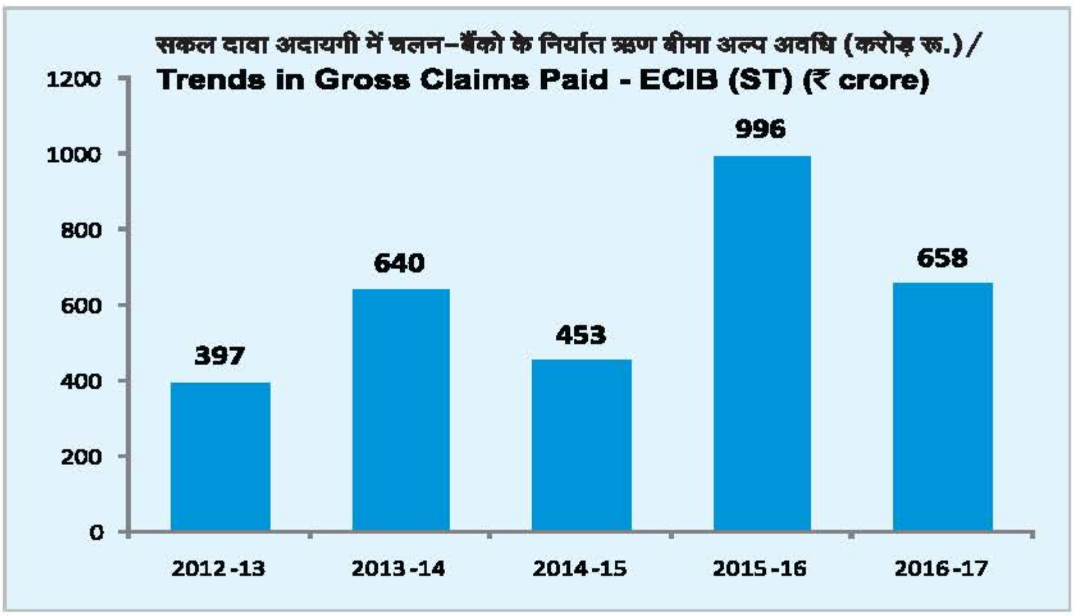

d. **कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना**

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

शोधक्षमता मार्जिन

31 मार्च 2017 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 8.69 गुना है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2016-17	2015-16
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन (आर.एस.एम.) (करोड़ों रु. में)	391.93	300.19
उपलब्ध क्षोधक्षमता मार्जिन (एएसएम) (करोड़ रु. में)	3406.12	2937. 55
शोधक्षमता अनुपात (कुल ए.एस.एम./आर.एस.एम.) (गुना)	8.69	9.79

अधिकतम देयता

किसी भी समय कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) जिसे कंपनी किसी भी समय बीमांकित कर सकती है, वह कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(बी) के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, 31 मार्च 2017 को 1,00,000 करोड़ रु. अपरिवर्तनीय रही है। दिनांक 31.03.2017 को अधिकतम देयता 86,231.52 करोड़ रु. थी।

नए उत्पादों का प्रारंभ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी द्वारा भारतीय निर्यातकों की समुद्रपारीय अनुषंगियों को मिले प्रोजेक्ट से संबद्ध ऋण जोखिम को रक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चार नए उत्पाद प्रारम्भ किए गए हैं। नए उत्पादो के अंतर्गत प्रथम प्रस्ताव अक्तूबर 2016 के दौरान हमारे नियमित ग्राहक को दिया गया।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

d. **EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN**

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2016-17 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2017, is 8.69 times, against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5 times. The details are as under:

Particulars	2016-17	2015-16
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹Crore)	391.93	300.19
Available Solvency Margin (ASM) (₹in Crore)	3406.12	2937.55
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	8.69	9.79

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 Crore as of 31/03/2017. The ML as on 31/03/2017 was ₹86,231.52 Crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2016-17, Company introduced four new products to cover credit risk in respect of projects awarded to overseas subsidiary of Indian exporters. The first offer under the new product was made during October 2016 to one of our regular clients.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDAI.

प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 28.98% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में 16.19% (पिछले वर्ष 14.46%) रहा ।

विविध समूह/ कार्पोरेट			
			(करोड़ रु. में)
कुल सकल प्रीमियम का भाग जो बीमाकर्ता द्वारा भारत में बीमांकित किया गया	प्रीमियम	प्रीमियम का प्रतिशत	स्वीकृत खर्च
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	917.62	27.50%	252.35
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	1267.62		367.35
स्वीकृत खर्च का प्रतिशत			28.98%

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से मध्यम एवं दीर्घावधि व उच्च मूल्य की परियोजनाओं को ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च 2017 तक विभिन्न परियोजना निर्यातकों के द्वारा, इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, मिस्र, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, नेपाल, ब्राज़ील, तंजानिया, मालदीव, वियतनाम, यूगांडा, टोगो, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, सेनेगल और घाना आदि बाज़ारों में 28457.78 करोड़ रु मूल्य के साथ 76 परियोजनाओं/संविदाओं के लिए 18776.70 करोड़ रु. की अधिकतम देयता के साथ 122 रक्षाएं प्रभावी थी । 31 मार्च 2017 को ट्रस्ट के पास ₹ 2170.98 करोड़ रु की राशि थी, जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है ।

निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर कार्यपालक निदेशक होते

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2016-17 stand at 16.19% (previous FY 14.46%) against the IRDAI norm of 28.98%.

Miscellaneous Group / Corporate			
			(₹ in Crore)
Part of the total Gross Premium of the Insurer written in India	Premium	Percentage of Premium	Allowable Expenses
First	200.00	35.00%	70.00
Next	150.00	30.00%	45.00
The Balance	917.62	27.50%	252.35
Total Written Premium in India	1267.62		367.35
% of Allowable Expenses			28.98%

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term (MLT) duration high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As of 31/03/2017, 122 covers with a Maximum Liability of ₹18,776.70 Crore were in-force covering 76 projects/contracts with aggregate value of ₹28457.78 Crore, undertaken by various project/ contracts exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Brazil, Tanzania, Maldives, Vietnam, Uganda, Togo, Thailand, Malaysia, Iran, Afghanistan, Senegal and Ghana etc. The Trust has a corpus of ₹2170.98 Crore as of 31/03/2017, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director

हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, दो अंशकालिक निदेशकों यथा, डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तथा श्री यदुवेन्द्र माथुर, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, भारतीय एक्सिम बैक का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। पाँच अंशकालिक निदेशक यथा सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय यूनियन बैक, श्री मानेक एरुच डावर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्पेंटा मल्टी मीडिया प्रा.लि. तथा श्रीमती सरनला मालती रानी, को बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल किया गया।

श्री एस.सी. रल्हन, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संस्थाओं का संघ (एफ़.आई.ई.ओ.), अंशकालिक निदेशक दिनांक 01/04/2017 से कंपनी के निदेशक नहीं रह गए क्योकि श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ़.आई.ई.ओ. नें दिनांक 01/04/2017 से एफ़.आई.ई.ओ. का कार्यभार संभाल लिया है। श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ़.आई.ई.ओ. को दिनांक 01/05/2017 को कंपनी के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मण्डल के तेरह में चार अंशकालिक निदेशकों का स्थान रिक्त है । इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन / पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

नामांकन तथा परिश्रमिक समिति के संविधान से संबन्धित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबन्धित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरण के उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। **(अनुबंध I)**

and Executive Director, are Non-Executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director are appointed by the President of India.

During the FY 2016-17, two Part-Time Directors viz., Dr. Guruprasad Mohapatra, Joint Secretary, Department of Commerce, MOC&I and Shri Yaduvendra Mathur, Chairman and Managing Director, EXIM Bank of India ceased to be Directors of the Company. Five Part-Time Directors viz., Shri Sunil Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, MOC&I, Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director, Central Bank of India, Shri Arun Tiwari, Chairman and Managing Director, Union Bank of India, Shri Maneck Eruch Davar, Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd and Smt. Saranala Malathi Rani, have been inducted on the Board.

Shri S.C. Ralhan, President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Part-Time Director ceased to be Director of the Company from 01/04/2017 as Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO took over the charge of FIEO from 01/04/2017. Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO has been inducted on the Board of the Company on 01/05/2017.

As on the date of this Report, four of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected /re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is furnished in Annexure attached to this report (**Annexure I**).

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणाएँ

जैसे कि हमारी कंपनी सूचीबद्ध / सार्वजनिक कंपनी नहीं है अतः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबन्धित धारा 149 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की छः बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

क्र सं	निदेशकों के नाम
1.	डॉ सुनील कुमार (17.08.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
2.	डॉ सौरभ गर्ग (10.11.2014 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र (15.07.2015 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री राजीव ऋषि (07.11.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	श्री अरुण तिवारी (07.11.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्रीमती एलिस जी वैद्यन (11.02.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	श्री गणेश कुमार गुप्ता (01.05.2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
8.	श्री माणेक इरुच डावर (22.03.2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
9.	श्रीमती सरनला मालती रानी (22.03.2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
10.	श्री एस.सी. रल्हन (11.02.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (01.04.2017 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)

उक्त लेखा परीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों यथा श्रीमती हेमा हेमचन्द्र, श्री राजीव ऋषि, श्री अरुण तिवारी, श्रीमती एलिस जी वैद्यन, श्री गणेश कुमार गुप्ता श्री माणेक एरुच डावर तथा श्रीमती सरनला मालती रानी का बहुमत है।

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors do not apply to our Company as it is not a listed/ public Company.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had six Board meetings during the financial year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following members -

Sr. No.	Name of the Directors
1.	Shri Sunil Kumar (appointed as a Member since 17/08/2016)
2.	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10/11/2014)
3.	Smt. Meena Hemchandra (appointed as a Member since 15/07/2015)
4.	Shri Rajeev Rishi (appointed as a Member since 07/11/2016)
5.	Shri Arun Tiwari (appointed as a Member since 07/11/2016)
6.	Smt. Alice G. Vaidyan (appointed as a Member since 11/02/2016)
7.	Shri Ganesh Kumar Gupta (appointed as a Member since 01/05/2017)
8.	Shri Maneck Eruch Davar (appointed as a Member since 22/03/2017)
9.	Smt. Saranala Malathi Rani (appointed as a Member since 22/03/2017)
10	Shri S. C. Ralhan (appointed as a Member since 11/02/2016) (ceased to be a Member since 01/04/2017)

The above composition of the Audit Committee consists of independent Directors viz., Smt. Meena Hemchandra, Shri Rajeev Rishi, Shri Arun Tiwari, Smt. Alice G. Vaidyan, Shri Ganesh Kumar Gupta, Shri Maneck Eruch Davar and Smt. Saranala Malathi Rani who form the majority.

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है। शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सह कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में कंपनी का निष्पादन 'उत्कृष्ट/बहुत अच्छा' की श्रेणी में रहा। ऐसी आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का निष्पादन 'उत्कृष्ट' श्रेणी में रखा जाएगा।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 की ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड), मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 16 दिसंबर 2016 एवं 07 दिसंबर 2016 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया हो तथा जो 60 लाख रु. अथवा अधिक की वार्षिक परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहा हो।

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक देख रेख कक्ष

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year, a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with Department of Commerce and Industry, Government of India. Based on an assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as ''Excellent/Very Good'' in the previous three years. The performance of the Company is expected to be rated ''Excellent'' for the FY 2016-17.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd (formerly 'Export Credit Guarantee Corporation of India Limited'), Mumbai, for the year 2015-16, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 16, 2016, and December 07, 2016, respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee who was employed throughout the financial year and was in receipt of remuneration for that year, which, in the aggregate, not less than Sixty Lakh Rupees.

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer

की स्थापना की है। कंपनी की शिकायत निवारण नीति कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है । नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित कि गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, समिति की सात बैठक हुई जिसमें 33 मामलों को निपटाया गया । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल है इसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 में चार बैठकें हुई व 12 आवेदनों को निपटाया गया।

कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । वर्तमान में ग्राहकों के पास आई.जी.एम.एस. अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, कंपनी को अपनी वेबसाइट पर 8 शिकायतें प्राप्त हुई और 31 मार्च 2017 तक,विभिन्न स्तरों पर सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया ।

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य (पिछले वर्ष 0.15 करोड़ रु) था, जबकि इसी अवधि में मुख्यत: विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करने के कारण विदेशी मुद्रा व्यय रु 146.54 करोड़ रु (पिछले वर्ष 146.60 करोड़ रु) था।

Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different officials / Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the ultimate in-house Appellate Authority for any customer complaint in the Company. The Committee has met seven times and disposed of 33 cases during the FY 2016-17. A three-member Independent Review Committee has also been constituted during the FY 2013-14, consisting of external, experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met four times during FY 2016-17 and disposed of 12 applications.

The Company is linked to the Centralised Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, which customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company's website. In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal viz., the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

During the FY 2016-17, the Company received 8 complaints on our website and all the cases were disposed off at various levels as on March 31, 2017.

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year under review was NIL (₹0.15 Crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹146.54 Crore (₹146.60 Crore in the previous Financial Year) mainly due to Premium paid to foreign reinsurers.

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई.आर.डी.ए.आई. के विधिवत अनुमोदन से परामर्श आधार पर नियुक्त बीमांकिक (ए.ए.) अनुबंधित किया है। सामान्य बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक (ए ए) के कर्तव्य एवं दायित्व आई आर डी ए आई (नियुक्त बीमांकिक) के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनियमन 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग 'बीमांकन विभाग' का भी गठन किया गया जो, उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर)/ उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी परिकलन, उत्पाद मूल्य पुनरीक्षण और पुनर्बीमा तनाव परीक्षण करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी. एंड ए.जी.) द्वारा उनके दिनांक 04 अगस्त 2016 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसे दिनांक 07 नवंबर 2016 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में दर्ज किया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफ़ारिश अनुसार सी. एंड ए.जी. द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 16 अगस्त 2016 को सम्पन्न 58वें वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल को अपने शेयरधारकों द्वारा प्राधिकृत किया गया है कि वे, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों तथा संबंधी तंत्रों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों

APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary (AA), on consultancy basis, with due approval of the IRDAI. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2000. A separate 'Actuarial Department' had also been set up in the FY 2012-13, which provides support to the AA in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing & review, etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company.

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2016-17 vide their letter dated August 04, 2016, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 07, 2016, and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 58th AGM held on August 16, 2016 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the Financial Year 2016-17 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2016-17 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. RSVA

की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है । मेसर्स आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी, चार्टेड एकाउंटेंट, मुंबई फ़र्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू तथा मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टेड एकाउंटेंट, मुंबई फर्म संख्या 100990 डब्ल्यू, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए, नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी.ए.जी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी शासन

कंपनी का कंपनी शासन संबंधी दर्शन, कंपनी द्वारा सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का स-समय अनुपालन करना तथा सघन कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (**अनुबंध II**)

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच , कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता, यदि रुचि हो:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं -

I. अंधेरी संपत्ति का अद्यतन

कार्यालय परिसर

1. निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सीपीडबल्यूडी से दिनांक 26.05.2015 के पत्र में वर्णित 111,24,12,901/- रु. के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डबल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06/06/2016 को अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

& Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 110504W and M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 100990W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2016-17. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

A copy of the certificate issued by C&AG would be provided at the next Board Meeting. It shall be forming part of the Directors Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report (**Annexure II**).

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company -

I. Update of Andheri Property

Office premises

1. The Board of Directors in its 398th meeting held on 15th July 2015 had approved construction of office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as intimated by CPWD vide their letter dated 26/05/2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same has been signed between ECGC and Central Public Works Department (CPWD) on 06/06/2016 for Construction of Office Building at our Andheri Plot.

2. समझौता ज्ञापन के धारा 3 के अनुसार, दिनांक 21/06/2016 को अनुमानित प्रारम्भिक व्यय 111,24,12,901/- रु. के 10 % अर्थात 11,12,41,290/- रु का भुगतान ईसीजीसी द्वारा सी.पी.डबल्यू.डी. को किया गया।

3. दिनांक 30/11/2016 को सी.पी.डबल्यूडी. द्वारा ईसीजीसी के कार्यालय भवन निर्माण के लिए अनुमानित व्यय 78,71,09,422/- रु के लिए टेंडर निकाले गए।

4. मेसर्स एसएएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यह कार्य कुल लागत 71,07,59,808.07/-रु. के एल-1 के आधार पर सौपा गया जो कि निर्माण के अनुमानित व्यय से 9.70% कम रहा।

5. दिनांक 06/06/2016 को ईसीजीसी एवं सीपीडबल्यूडी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की धारा 7 के अनुसार, सी.पी.डबल्यू.डी. द्वारा निर्माण संविदा की शर्त पूरे किए जाने पर अनुमानित राशि के 10% की मांग की गयी। इसके अनुपालन में, कंपनी द्वारा दिनांक 31/03/2017 को अनुमानित प्रारम्भिक व्यय 111,24,12,901/-रु का 10%, 11,12,41,290/- दूसरे भुगतान के रूप में, सीपीडबल्यूडी को अदा किया गया। कंपनी द्वारा वर्तमान में कार्यालय भवन के लिए कुल 20% भुगतान अर्थात 22,24,82,580/- रु. का भुगतान किया जा चुका है।

6. मेसर्स सैम इंडिया बिल्टवैल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 30/03/2017 से कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

आवासीय परिसर

1. सीपीडबल्यूडी को 28/12/2016 के पत्र के द्वारा प्रारम्भिक अनुमानित मंजूर व्यय शासकीय अनुमोदन तथा 73,95,80,728/- रु (70,84,10,659/- रु कार्य हेतु + 3,11,70,069/-रु. विभागीय शुल्क) के अनुमोदित खर्च से अवगत कराया गया।
2. दिनांक 10/01/2017 को ईसीजीसी तथा सी.पी. डबल्यू.डी. के बीच ईसीजीसी के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
3. कंपनी द्वारा दिनांक 30/01/2017 को अनुमानित प्रारम्भिक व्यय 73,95,80,728/- के 10% अर्थात 7,39,58,073/- रु का भुगतान सी.पी.डबल्यू.डी. को किया गया।
4. सीपीडबल्यूडी द्वारा पाँच (5) आवीसीय भवनों के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

2. As per Clause 3 of MOU, Company has made payment of ₹11,12,41,290/- to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹111,24,12,901/- on 21/06/2016.

3. On 30/11/2016 CPWD has floated Tender for Construction of ECGC office building for estimated cost of ₹78,71,09,422/-.

4. M/s. SAM India Builtwell Private Limited has been awarded the job being a L1 for total cost of ₹71,07,59,808.07/- below 9.70% of estimated cost of construction.

5. As per clause no. 7 of MoU dated 06/06/2016 signed between ECGC and CPWD, CPWD had demanded second deposit @ 10% of the estimated amount from ECGC on award of construction contract. Accordingly, Company has made a payment of ₹11,12,41,290/- to CPWD towards second deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹111,24,12,901/- on 31/03/2017. The Company has so far made total payment of ₹22,24,82,580/- being 20% deposit towards Office Building.

6. M/s.Sam India Builtwell Pvt Ltd. has started the construction work for office building from 30/03/2017.

Residential premises

1. Subsequent to approval for preliminary estimate Administrative Approval and Expenditure Sanction was conveyed vide letter on 28/12/2016 to CPWD for ₹73,95,80,728/- (₹70,84,10,659/- for the work + ₹3,11,70,069/- for departmental charges).
2. ECGC and CPWD have signed MOU on 10/01/2017 for Construction of ECGC's Residential Buildings Complex.
3. The Company has made a payment of ₹7,39,58,073/- to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹73,95,80,728/- on 30/01/2017.
4. CPWD has initiated Tendering process for Five (5) Residential Buildings.

मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

1. माननीय न्यायाधीश(सेवानिवृत्त) श्री वी.सी. डागा, सोल आर्बिट्रेटर द्वारा दि. 7 जुलाई 2015 को जारी आदेश के अनुसार कंपनी नें आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी 4,40,98,369/- रु की निष्पादन सुरक्षा बैंक गारंटी की मांग की। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 14 जुलाई 2015 को हमें 4,40,98,969/- रु का भुगतान किया गया। साथ ही कंपनी द्वारा कुल 50 लाख रु की अग्रिम एवं सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया।
2. जबकि मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड , परियोजना संविदाकार ने दिनांक 30 जून 2015 को हमारे पास ₹ 23,02,81,857 करोड़ का दावा दायर किया है, ई सी जी सी ने ₹ 31,63,42,930 की प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
3. माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री वी सी डागा, सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष मामले के सुनवाई लंबित है। दावाकर्ता के साक्षी से वितर्क हेतु अगली सुनवाई दिनांक 12 जून 2017 को होनी है।

II सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन

1. एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की संविदा 12 अगस्त 2016 समाप्त कर दी गई तथा समाप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत एचसीएल के साथ एक समझौता बैठक का आयोजन दिनांक 1 फरवरी 2017 को किया गया जिसमे कोई सहमति नहीं बन पाई।
2. विधि सलाहकार के निर्देशन में, इस दिशा में अगले कदम के रूप में एचसीएल को बकाया राशि की प्राप्ति के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया।
3. कंपनी द्वारा इसके सार्वजनिक पोर्टल को नवम्बर 2016 में आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दिया गया तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, जून 2017 तक, इसके उपभोगता-सेवा पोर्टल को परिवर्तित करने में संलग्न है।
4. प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति(टीएसी) को सिफ़ारिशों के अनुसार कंपनी ने जनवरी 2017 में इसके वर्तमान इनवायरमेंट पर ही वर्तमान एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) एप्लिकेशन सिस्टम को विंडोज़ सर्वर-2008 में तथा डाटाबेस को ऑरिकल 11 जी प्लेटफार्म में अपग्रेड कर दिया है।
5. प्रौद्योगिकी सलहकर समिति(टी.ए.सी.) द्वारा सुझाए गए अल्पावधि समाधान के रूप में कंपनी द्वारा बीएसएनएल को थर्ड पार्टी द्वारा प्रबंधित डाटा सेंटर प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है,एवं मई 2017 तक अपनी सेवाओं को पूर्ण रूप से उक्त डाटा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

M/s. Unity Infraprojects Ltd.

1. As per order issued by Honourable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator on July 07, 2015, the Company invoked Performance Security Bank Guarantee of ₹4,40,98,369/-, issued by ICICI Bank. ICICI Bank has remitted ₹4,40,98,369/- to us on July 14, 2015. The Company has also forfeited Earnest Money & Security Deposit totalling to ₹50 Lakhs.
2. While M/s. Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim on us to the tune of ₹23,02,81,857/-, on June 30, 2015, ECGC has claimed a compensation of ₹31,63,42,930/-.
3. Arbitration proceeding are pending before Honourable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator. The next hearing is scheduled on June 12, 2017 for cross examination of Claimant's witness.

II. Update of Information Technology Implementation Program

1. Contract of HCL Technologies Limited was terminated on August 12, 2016, and a settlement meeting was held with HCL on February 1, 2017 under the termination process of the contract, which did not result in settlement.
2. As per the legal counsel's guidance, the next course of action being taken up is serving a demand notice to HCL for recovery of amounts due.
3. The Company has revamped its public-facing portal in November 2016, and is on course to complete the revamp of its client-servicing portal by June 2017, in its efforts to improve customer experience.
4. As advised by the Technical Advisory Committee (TAC), the Company has upgraded the existing Enterprise Resource Planning (ERP) Application operating system to Windows Server-2008 and the database to Oracle 11g platform in the existing environment in the month of January 2017.
5. The Company has appointed BSNL as its third-party managed Data Center provider, and is expected to completely move its services to those Data Centers by May 2017, as per the short-term solution advised by its Technical Advisory Committee (TAC).

III अतरिक्त चुकता पूंजी -

मई 2017 के दौरान अतिरिक्त चुकता पूंजी के रूप में 50 करोड़ रु प्राप्त हुए हैं तथा इसके साथ कुल चुकता पूंजी 1500 करोड़ रु हो गयी है।

III. Additional Paid-up Capital -

During May, 2017 a sum of ₹50 Crore has been received towards additional Paid-up Capital and hence the total Paid-up Capital is ₹1500 Crore.

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास एवं कार्यान्वयन से संबन्धित वक्तव्य

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा व्यापार के क्षेत्र में है तथा एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में आईआरडीएआई में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समुच्चयन व्यापार की प्रकृति में अंतर्निहित है ।

कंपनी ने संस्थान-व्याप्त सूचना तंत्र स्थापित करने तथा कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क द्वारा नियमित करने के उद्देश्य से अपनी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का पुनरावलोकन किया है। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी व्यापार की सभी क्षेत्र में बुद्धिमत्तापूर्ण सीमा लागू करने के साथ साथ सामन्जस्यपूर्ण पुनर्बीमा / भारत सरकार की सहायता प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बुद्धिमत्तापूर्ण सीमा और विकास के लिए निवेश मानदंडों के कार्यान्वन पर निगरानी रखती है जो कंपनी के व्यापार के जोखिम प्रोफ़ाइल को प्रभावित करता है। कंपनी निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है जो अंशधारको और पॉलिसी धारकों की निधियों से मिलकर बना है। निवेश जोखिम का प्रबंधन पूरे उद्योग और प्रतिभूतियों मे निवेश द्वारा किया जाता है तथा निवेश इस प्रकार से किया जाता है जिससे न्यूनतम तरलता जोखिम, निवेश पर ईष्टतम लाभ के साथ प्राप्त किया जा सके। इसपर बोर्ड की निवेश समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है। कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) पॉलिसी का अनुसरण करती है। एएलएम की स्थिति से बोर्ड की आरएमसी को तिमाही आधार पर अवगत कराया जाता है। कंपनी ने इसके जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों को और उन्नत एवं गतिज बनाने के दिशा में कदम बढ़ाएँ हैं।

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance Company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management the Company endeavours to obtain adequate reinsurance / support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises shareholders and policyholders funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by Investment Committee of the Board. The Company follows the Board approved Asset Liability Management (ALM) policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic.

कंपनी के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व उद्यम पर बनी पॉलिसी और उसके कार्यान्वन का विवरण:

अनुलग्नक III में संकलित

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Placed at **Annexure III**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से व्यापार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा संव्यवहार:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसकी अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्रीमियम आय के 5% का हकदार है। ईसीजीसी वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहा है।

निदेशक का दायित्व वक्तव्य

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है और ये सुनिश्चित करते हैं कि-

(क) कंपनी ने वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है साथ ही यदि कोई सामग्री निकासी हुई है तो उसके संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण।

(ख) निदेशको ने ऐसी लेखांकन पॉलिसी का चुनाव किया है और उन्हे लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए हैं जो तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण है। ताकि 31 मार्च 2017 को कंपनी के मामलों एवं कंपनी के लाभ की सही व उचित स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

(ग) कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमित्ताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशको नें यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने वित्तीय वर्ष, जो कि मार्च 2017 मे खत्म हुआ, के लिए लेखांकन 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' आधार पर किया।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

(च) निदेशको नें सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र कि रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है ।

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. Executive Director is the Managing Trustee and CMD is the Chairman of the Trust. ECGC is entitled for 5% of Premium Income to meet administrative expenditure. ECGC is managing the Trust since 2006.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that -

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2017 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2017;

(c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, and the provisions of Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable), for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2017, on a 'going concern' basis;

(e) the Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

आभार प्रदर्शन

निदेशक मण्डल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाह्य मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास मे विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफ़आईईओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और फीडबैक के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

निदेशक मण्डल के प्रति और उनके द्वारा

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः25 मई, 2017

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Comptroller & Auditor General of India, Reserve Bank of India and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, and Industrial Organisations, Chambers of Commerce and Trade Organisation and insurance brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 25, 2017

अनुबंध I / Annexure I

फॉर्म नं एम जी टी -9 / Form No. MGT-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण / EXTRACT OF ANNUAL RETURN
दिनांक 31मार्च 2017 कों समाप्त वित्तीय वर्ष तक / as on the financial year ended on 31st March 2017

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन तथा प्रशासन) की नियम 12(1) के अनुकरण में]

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

i. CIN: U74999MH1957GOI010918

ii. पंजीकरण की तारीख : 30.07.1957

iii. कंपनी का नाम : ई सी जी सी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

iv. कंपनी की सश्रेणी / उपश्रेणी : सरकारी कंपनी / निजी लिमिटेड

v. कार्यालय का पंजीकृत पता तथा संपर्क विवरण : 10 वीं मंजिल , एक्सप्रेस टावर्स , नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021.

vi. क्या सूचीबद्ध कंपनी है , हाँ / नहीं : नहीं

vii. रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क विवरण , यदि कोई हो तो : लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियां

कंपनी के कुल पण्यावर्त के 10% अथवा उससे अधिक की हिस्सेदारी वाली कंपनी की गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र सं	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल पण्यावर्त का %
1.	निर्यात ऋण बीमा	65110	100%

III. सहयोगी तथा सहायक कंपनियों के होल्डिंग के विवरण

क्र सं	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन / जी एल एन	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	शेयर धारण का %	लागू धारा
1.	ला. न.	ला. न.	ला. न.	ला. न.	ला. न.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN: U74999MH1957GOI010918

ii) Registration Date: 30.07.1957

iii) Name of the Company: ECGC Limited (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited)

iv) Category / Sub-Category of the Company: Government Company/Private Limited

v) Address of the Registered office and contact details: 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021.

vi) Whether listed Company Yes / No: No

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1.	Export Credit Insurance	65110	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of The Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable section
1.	NA	NA	NA	NA	NA

IV. शेयरधारण पद्धति (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के अनुसार खंडवार ईक्विटी शेयर पूंजी)
Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) श्रेणीवार शेयरधारण / Category-wise Shareholding

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की सं वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान % परिवर्तन % Change during the year
क. प्रवर्तक A. Promoters	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
(1) भारतीय (1) Indian	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
क) व्यक्तिगत / एच यू एफ a) Individual / HUF	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt.									
I) भारत के राष्ट्रपति I) President of India	ला. न.	129999992	129999992	100		144999992	144999992	100	0
II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित II) Nominee of the President of India	NA	8	8			8	8		8
ग) राज्य सरकार (रें) c) State Govt(s)	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
घ) अन्य निकाय d) Bodies Corp.	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ङ) बैंक / वि सं e) Banks / FI	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
च) कोई अन्य f) Any Other	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
उप कुल (क) (1):- Sub-total (A) (1):-	ला. न. NA	130000000	130000000	100	ला. न. NA	145000000	145000000	100	0
(2) विदेश Foreign									
क) प्र. भा. व्यक्तिगत a) NRIs - Individuals	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ख) अन्य व्यक्तिगत b)Other Individuals	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
घ) अन्य निकाय c) Bodies Corp.	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ङ) बैंक / वि सं d) Banks / FI	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
च) कोई अन्य e) Any Other	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
उप कुल (क) (2):- Sub-total (A) (2):-	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
प्रवर्तकों की शेयर धारिता (क) = (क)(1) + (क)(2) Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1) + (A)(2)	ला. न. NA	130000000	130000000	100	ला. न. NA	145000000	145000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता B. Public Shareholding									
1. Institutions	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की सं वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान % परिवर्तन % Change during the year
क) म्यूचुअल फंड a) Mutual Funds	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ख) बैंक / वि सं b) Banks / FI	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
घ) राज्य सरकार (रें) d) State Govt(s)	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ङ) वेंचर कैपिटल फंड्स् e) Venture Capital Funds	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
च) बीमा कंपनियाँ f) Insurance Companies	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
छ) वित्तीय संस्थागत निवेशक g) FIIs	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स् h) Foreign Venture Capital Funds	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
झ) अन्य (विवरण दें) i) Others (specify)	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
उप - कुल(ख)(1):- Sub-total (B)(1):-	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
2. गैर-संस्थागत 2. Non - Institutions	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
क) अन्य निकाय a) Bodies Corp.	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
i) भारतीय i) Indian	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ii) विदेशी ii) Overseas	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ख) व्यक्तिगत b) Individuals	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
i) ₹1लाख रु तक की पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹1 lakh	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ii) ₹1लाख से अधिक की पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ग) अन्य (स्पष्ट करें) उप - कुल(ख)(2):- c) Others (specify) Sub - total(B)(2):-	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2) Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
ग. एडीआर तथा जीडीआर के संरक्षक द्वारा धारित शेयर C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
समग्र योग (क+ख+ग) Grand Total (A+B+C)	ला. न. NA	130000000	130000000	100	ला. न. NA	145000000	145000000	100	0

II) प्रवर्तकों की शेयरधारित / Shareholding of Promoters

क्र सं. Sr.No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total Shares of the Company	कुल शेयरों की तुलना में बंधक रखे गए / भारित शेयरों का % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	कुल शेयरों की तुलना में बंधक रखे गए / भारित शेयरों का % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवारतन का % % change in shareholding during the year
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	129999992	100	0	144999992	100	0	0
2.	भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित Nominees of the President of India	8			8			
	कुल Total	130000000	100	0	145000000	100	0	0

III) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया स्पष्ट करें) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्र सं Sr.No.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total Shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total Shares of the Company
1.	वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year	130000000	100	130000000	100
2.	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / कमी , वृद्धि / कमी का कारण स्पष्ट करें। (उदा ईक्विटी का आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):			1) दिनांक 18/05/2016 अतिरिक्त शेयरों का आबंटन किया गया (8,33,000) Additional Shares allotted on 18/05/2016 (8,33,000) 2) दिनांक 10.08.2016 को अतिरिक्त शेयरों का आबंटन किया गया (41,67,000) Additional Shares allotted on 10/08/2016 (41,67,000) 3) दिनांक 03.02.2017 को अतिरिक्त शेयरों का आबंटन किया गया (1,00,00,000) Additional Shares allotted on 03/02/2017 (1,00,00,000)	
	वर्ष के अंत तक At the end of the year	130000000	100	145000000	100

iv) सर्वप्रमुख दस शेयरधारकों की शेयरधारिता (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जी डी आर तथा ए डी आर के धारकों के अलावा) : Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र सं Sr.No.	प्रत्येक मुख्य 10 शेयर धारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1.	वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
2.	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / कमी , वृद्धि / कमी का कारण स्पष्ट करें। (उदा ईक्विटी का आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
	वर्ष के अंत तक At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA

v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र सं. Sr.No.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वृद्धि / कमी , वृद्धि / कमी का कारण स्पष्ट करें। (उदा ईक्विटी का आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA
	वर्ष के अंत तक At the End of the year	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA	ला. न. NA

(एक शेयर श्रीमती गीता मुरलीधर, अ प्र नि, दो शेयर श्री सुनील कुमार, निदेशक तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में डॉ सौरभ गर्ग, निदेशक द्वारा धारित हैं।)

(One share held by Smt. Geetha Muralidhar, CMD, Two shares held by Shri Sunil Kumar, Director, and One share held by Dr. Saurabh Garg, Director, as nominee of the President of India.)

v. ऋणग्रस्तता
v. INDEBTEDNESS

बकाया / अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं , ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमा को छोड़कर जमानती ऋण	आजमानती ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
I) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
II) अदत्त देय ब्याज Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
III) अदेय अर्जित ब्याज Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (I + II + III) Total (I + II + III)	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन Change in Indebtedness during the financial year • जोड़ें / Addition • घटाएँ / Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन Net Change	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत तक ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
I) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) अदत्त देय ब्याज Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) अदेय अर्जित ब्याज Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (I + II + III) Total (I + II + III)	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियाँ
Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

क. प्रबंध निदेशक , पूर्णकालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबन्धकों की परिलब्धियाँ

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(₹)

क्र सं Sr. no.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि / प्रबन्धक का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan	
1.	सकल वेतन (₹) / Gross salary (₹)			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	31,50,706.80	29,99,710.37	61,50,417.17

क्र सं Sr. no.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि / प्रबन्धक का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	7,49,469.00	7,60,263.00	15,09,732.00
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act, 1961	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-
3.	स्वेट ईक्विटी / Sweat Equity	-	-	-
4.	कमीशन / Commission - लाभ के % के रूप में / as % of profit - अन्य , स्पष्ट करें / others, specify	-	-	-
5.	अन्य , स्पष्ट करें / Others, please specify	-	-	-
	कुल (क) / Total (A)	3900175.80	3759973.37	76,60,149.17
	अधिनियम के अनुसार अंतिम सीमा Ceiling as per the Act	ई सी जी सी लिमिटेड पर लागू नहीं है क्यों कि यह पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company		

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियाँ

B. Remuneration to other Directors:

(₹)

क्र सं Sr. no.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors		कुल राशि
		श्री माणेक एरुच डावर Shri Maneck Eruch Davar	श्रीमती सरनाला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	Total Amount
1.	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य , स्पष्ट करें। Independent Directors Fee for attending board /committee meetings Commission Others, please specify	30000	20000	50000
	कुल (1) / Total (1)	30000	20000	50000
2.	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य गैर कार्यपालक निदेशकों का शुल्क Other Non-Executive Directors Fee for attending board /committee meetings Commission Others, please specify	-	-	-
	कुल (2) / Total (2)	-	-	-
	Total (B) = (1 + 2)	30000	20000	50000
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धियाँ Total Managerial Remuneration	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र अंतिम सीमा Overall Ceiling as per the Act	पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण ईसीजीसी लिमिटेड पर लागू नहीं है। Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company		

ग. प्र नि / प्रबन्धक / पू का नि के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की परिलब्धियाँ।

C. **Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD**

क्र सं Sr. No	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration							कुल राशि Total Amount ₹
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विवरण Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन , कुछ अन्य , स्पष्ट कर Commission - as % of profit-other, specify	अन्य, कृपया स्पष्ट कर Others, please specify	
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियाँ Value of perquisites u/s 17(2) Income-Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					
1	श्री संदीप मुखर्जी (मुख्य निवेश अधिकारी) Shri Sandeep Mukherjee (Chief Investment Officer)	31,94,723.05	7,57,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,52,212.05
2	श्री मनोज कुमार (महाप्रबंधक , मा सं वि) Shri Manoj Kumar (General Manager HRD)	31,43,293.09	7,37,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,81,066.09
3	श्री वी धर्मराजन (मुख्य बीमांकन अधिकारी , मध्यम तथा दीर्घावधि) Shri V. Dharmarajan (Chief Underwriting Officer Medium and long term)	31,13,031.84	7,57,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,70,207.84
4.	श्रीमती पद्मावती आर (मुख्य विपणन अधिकारी) Smt. Padmavathy R. (Chief Marketing Officer)	30,65,311.30	7,63,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,28,733.30
5	श्रीमती तापसी डे (मुख्य बीमांकन अधिकारी - अल्पावधि) Smt. Tapasi Sen De (Chief Underwriting Officer short term)	31,87,734.25	7,77,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,65,152.25
6	श्री सी एन ए अंबरसन (मुख्य वित्त अधिकारी) Shri C.N.A. Anbarasan (Chief Finance Officer)	31,67,396.59	7,87,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,54,608.59
7.	श्री सुनील जोशी (आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख) Shri Sunil Joshi (Chief of Internal Audit)	30,78,779.26	7,71,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,49,940.26
8.	श्री राजीव पी मानवी, (मुख्य जोखिम अधिकारी) Shri Rajiv P. Manavi (Chief Risk Officer)	27,46,328.91	6,91,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,38,301.91
9.	श्रीमती स्मिता पंडित (सी एस व मुख्य अनुपालन अधिकारी) Smt. Smita Pandit (CS & Chief Compliance Officer)	29,42,246.19	6,58,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,00,270.19
10.	श्रीमती योगिता अरोरा (नियुक्त बीमांकिक) Smt. Yogita Arora (Appointed Actuary)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,23,225.81	6,23,225.81

क्र सं Sr. No	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration							कुल राशि Total Amount ₹
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विवरण Stock Option	स्वेट इक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन, कुछ अन्य, स्पष्ट कर Commission - as % of profit-other, specify	अन्य, कृपया स्पष्ट कर Others, please specify	
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियाँ Value of perquisites u/s 17(2) Income-Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					
11.	श्रीमती प्रिसीला सिन्हा (नियुक्त बीमांकिक) Smt. Priscilla Sinha (Appointed Actuary	24,19,355.00	51,238	0.00	0.00	0.00	0.00		24,70,593.00

VII. अर्थ दंड / दंड / अपराधों का समेकन
Penalties / Punishment/ Compounding of offences

प्रकार Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	अर्थदण्ड / दंड / समेकन, आरोपित शुल्क का विवरण Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकरण (आर डी / एनसीएलटी / न्यायालय Authority (RD / NCLT/ COURT)	किया गया अपील, यदि कोई हो तो (विवरण दें) Appeal made, if any (give Details)
अर्थ दंड / Penalty	-	-	-	-	-
दंड / Punishment	-	-	-	-	-
समेकन / Compounding	-	-	-	-	-
चूकाधीन अन्य अधिकारी / Other officers in default					
अर्थ दंड / Penalty	-	-	-	-	-
दंड / Punishment	-	-	-	-	-
समेकन / Compounding	-	-	-	-	-

कृते निदेशक मण्डल के प्रति तथा उनकी ओर से

For and on behalf of the Board of Directors

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2017

Place: New Delhi
Date: May 25, 2017

बैंक ऑफ इंडिया को 1,99,26,563/-रु का दावा चेक प्रदान करते हुए इंदौर शाखा।

Indore Branch is handing over the claim cheque of ₹ 1,99,26,563/- to Bank of India.

दिनांक 27.03.2017 को श्री एस शंकर, समप्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ईसीआईबी-डब्ल्यू टी पी एस के अंतर्गत दावा राशि 26.99 करोड़ रु. का चेक प्रदान करते हुए।

Claim cheque of ₹ 26.99 crore being handed over to Shri S. Shankar, AGM of Union Bank of India under ECIB-WTPS on 27.03.2017

एस बी आई,पानीपत को 37.49 करोड़ रु का दावा चेक प्रदान करते हुए।

Claim Cheque for ₹ 37.49 Crore being handed over to SBI, Panipat.

दावा राशि 10.38 करोड़ रु का चेक पॉलिसीधारक मे. अवीवा एक्सपोर्टर प्रा लि को प्रदान करते हुए।

Claim cheque of ₹ 10.38 Crore being handed over to Policyholder M/s. Aviva Exporter Pvt. Ltd.

ईसीआई बी के अंतर्गत पी एन बी,आई बी बी,मुरादाबाद को 10.44 करोड़ रु का चेक प्रदान करते हुए।

Claim cheque being handed over under ECIB for ₹ 10.44 Crore to PNB, IBB, Moradabad.

चेन्नई निर्यातक शाखा द्वारा मेसर्स टग्रोस केमिकल्स इंडिया प्रा लि को ₹2,15,53,217/– पॉलिसी दाका चेक की अदायगी की गयी।

Policy claim cheque of ₹2,19,53,217/- paid to M/s. Tagros Chemicals India Pvt Ltd by Chennai Exporters branch.

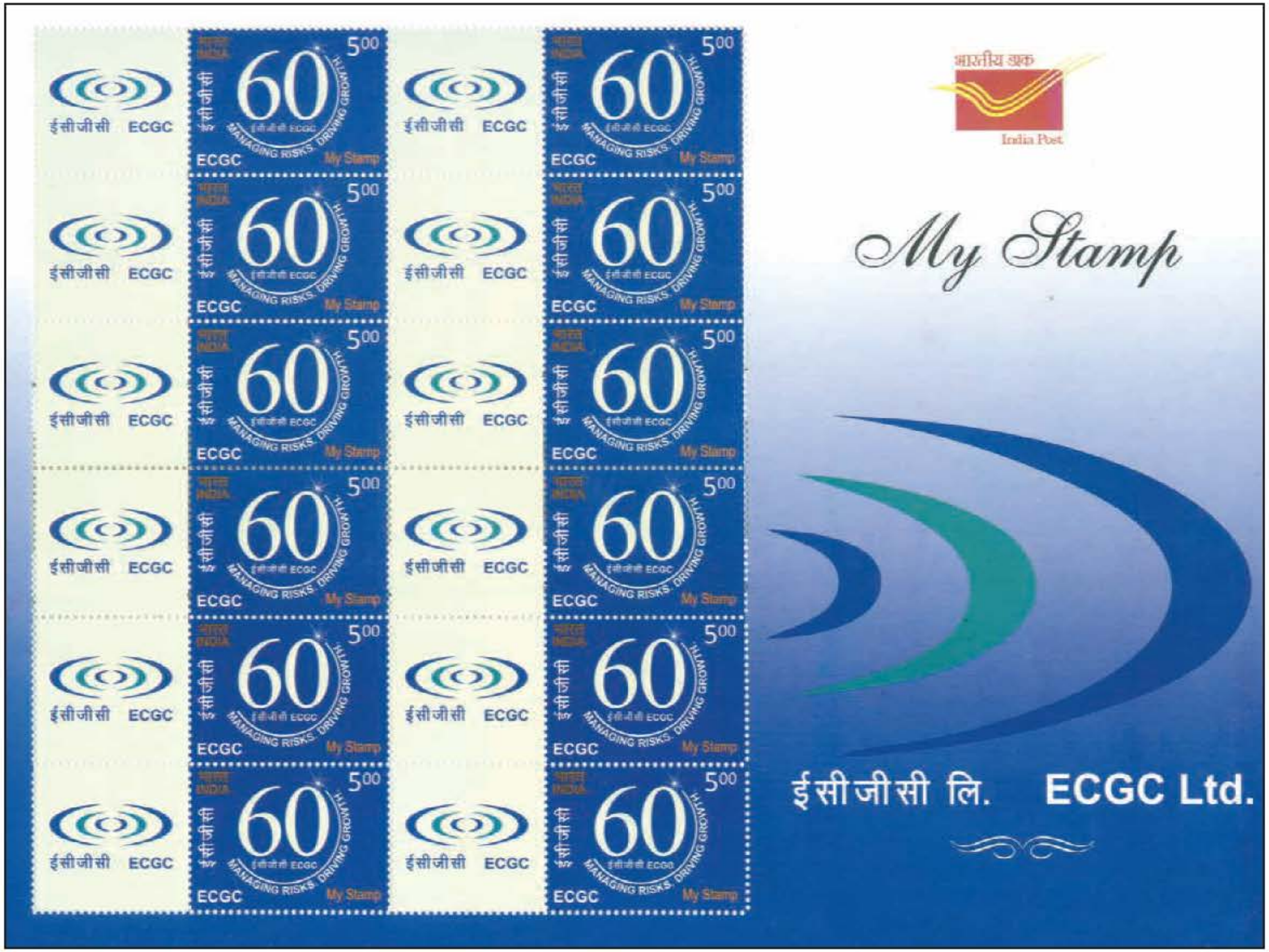

ईसीजीसी की हीरक जयंती के आरंभ होने के उपलक्षय दिनांक 8 नवम्बर 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में माननीय राष्टपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा स्टैम्प जारी किया गया।

A Stamp commemorating ECGC's Diamond Jubilee by Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India at a function held in Vigyan Bhavan, New Delhi on 8th November, 2017.

नई दिल्ली में निदेशक मण्डल की बैठक।
Board Meeting in progress at New Delhi.

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

स्थिर वैश्विक व्यापार, मंद निवेश एवं बढ़ती नीतिगत अनिश्चितताओं के चलते विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक और वर्ष मुश्किल भरा रहा। अर्थव्यवस्था, लंबी अवधि से चली आ रही धीमी आर्थिक वृद्धि एवं घटते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास, में फंसी रही। 2016 में, वर्ष 2009 की बड़े पैमाने पर आई मंदी के बाद, विश्व व्यापार में वृद्धि अपने निम्नतर स्तर पर रही।

बढ़ते हुए बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) में 2017 में वृद्धि की उम्मीद है, जो कि वस्तु निर्यातकों की गतिविधियों में बाधाओं में कमी एवं वस्तु आयातकों में ठोस घरेलू मांग को दर्शाती है। यद्यपि कई ई एम डी ई में मध्यम अवधि के लिए कमजोर निवेश एवं उत्पादन वृद्धि दर है। मुख्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं एवं कुछ ई एम डी ई में बढ़ती नीतिगत अनिश्चितताओं, वित्तीय बाज़ारों में अवरोध एवं कमजोर वांछित वृद्धि सहित वैश्विक विकास के जोखिम में नकारात्मक वृद्धि है। तथापि, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य, में राजकोषीय प्रोत्साहन के चलते निकट अवधि में अनुमानित की तुलना में अधिक गतिविधियां रही जो कि परिदृश्य के लिए सकारात्मक जोखिम को प्रस्तुत करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के आंकलन के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि हुई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.7% जबकि बढ़ते हुए बाजारों एवं विकासशील देशों में 4.1% की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2016 में विश्व व्यापार की मात्रा में 2.2% की वृद्धि हुई जिसमें विकसित एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातों में क्रमशः 2.1% एवं 2.5% की वृद्धि हुई जबकि आयातों में क्रमशः 2.4% एवं 1.9% की वृद्धि हुई।

परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, विश्व विकास में 2016 के 3.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017 में 3.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में कमजोर व्यापार वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति में परिलक्षित होती है। यदि देशों के बीच माल का आवागमन एवं सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहती है तो व्यापार, वैश्विक वृद्धि को मजबूत बना सकता है। यद्यपि, नीति निर्माताओं द्वारा, आयतों पर गंभीर प्रतिबंध लगाकर घरेलू रोजगार

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

Stagnant global trade, subdued investment, and heightened policy uncertainty marked another difficult year for the world economy. The economy remains trapped in a prolonged period of slow economic growth and dwindling international trade growth. In 2016, growth in world trade dropped to its lowest pace since the Great Recession of 2009.

Growth in emerging market and developing economies (EMDEs) is expected to pick up in 2017, reflecting receding obstacles to activity in commodity exporters and continued solid domestic demand in commodity importers. Weak investment and productivity growth are, however, weighing on medium-term prospects across many EMDEs. Downside risks to global growth include increasing policy uncertainty in major advanced economies and some EMDEs, financial market disruptions, and weakening potential growth. However, fiscal stimulus in key major economies in particular, the United States could lead to stronger than expected activity in the near term and thus represent a substantial upside risk to the outlook.

As per the International Monetary Fund (IMF) estimates world economy grew at 3.1% in 2016. The Advanced Economies grew at 1.7% while the emerging markets and developing countries marked a 4.1% growth. The growth in world trade volume in 2016 was 2.2% in which the exports by advanced and emerging economies grew at 2.1% and 2.5% respectively while the imports recorded a growth of 2.4% and 1.9%.

OUTLOOK

According to the World economic outlook by the International Monetary Fund, World growth is expected to rise from 3.1 percent in 2016 to 3.5% in 2017 and 3.6% in 2018. The weak international trade growth in the last few years largely reflects continuing weakness in the global economy. Trade has the potential to strengthen global growth if the movement of goods and supply of services across borders remains largely unfettered. However, if policymakers attempt to address job losses at home with severe restrictions on imports, trade

हानि को रोकने के प्रयास किए जाते हैं, तो व्यापार के जरिए वृद्धि में तेजी होना कठिन है एवं सुधारों में भी गिरावट पैदा कर सकती है।

निकट अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित दिशा एवं मौद्रिक, राजकोषीय एवं व्यापार नीतियों पर सरकार की स्पष्टता की कमी से व्यापार गतिविधियों पर दवाब बनने का जोखिम हो सकता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि की वजह से उच्चतर ब्याज दरें, कठिन राजकोषीय नीतियाँ एवं व्यापार में कटौती के उपायों के रूप में प्रतिबंध, अगले दो वर्षों में व्याप्त वृद्धि को कमजोर कर सकते हैं।

भारत के निर्यात

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का निर्यात का मूल्य 2015-16 के 262,290.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 4.71% बढ़कर 274,645.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वर्ष 2015-16 के 17,16,377.99 करोड़ रुपए की तुलना में 7.28% की वृद्धि दर्ज करते हुए 18,41,314.39 करोड़ रुपए रहा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत के आयत, वित्त वर्ष 2015-16 में 381,006.64 (₹24,90,298.03 करोड़) मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में, अमेरिकी डॉलर मूल्य में 0.17 की गिरावट एवं रुपए मूल्य में 2.43% की वृद्धि के साथ 380,367.65 (₹25,50,926.19 करोड़) मिलियन अमेरिकी डॉलर रहे।

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, जारी तथा नवीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में जारी तथा नवीकृत 10,516 पॉलिसियों की तुलना में 13,308 रहीं। वर्ष के दौरान जारी 5692 नयी पॉलिसियों में से 1554 पॉलिसियाँ सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियाँ हैं जिसमें एस.सी.आर., ई.टी.पी., एम.बी.ई.पी. आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2017 को प्रभावी पॉलिसियों की संख्या 12,035 थी जिनकी कुल अधिकतम देयता 41,038.61 करोड़ रु थी जबकि 31 मार्च 2016 को यह संख्या 38931.38 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ 11525 थी, यहाँ पॉलिसियों की संख्या में 4.43% की तथा कुल अधिकतम देयता में 5.41% की वृद्धि परिलक्षित हुई। दिनांक 31/03/2016 एवं 31/03/2017 तक कुल प्रभावी पॉलिसियों की अधिकतम देयता में अल्प, लघु एवं मध्यम (एम.एस.एम.ई.) की हिस्सेदारी 71.72% प्रतिशत थी। (एम.एस.एम.ई. ऐसे निर्यातक हैं जिनकी पॉलिसी रक्षा अधिकतम देयता के साथ 20 करोड़ अथवा इससे कम होती है।) प्रभावी पॉलिसियों की संख्या की दृष्टि से कुल प्रभावी पॉलिसियों में एम.एस.एम.ई. पॉलिसियों की हिस्सेदारी 85% से अधिक है।

cannot help boost growth and may even constitute a drag on the recovery.

The unpredictable direction of the global economy in the near term and the lack of clarity about government action on monetary, fiscal and trade policies raises the risk that trade activity will be stifled. A spike in inflation leading to higher interest rates, tighter fiscal policies and the imposition of measures to curtail trade could all undermine higher trade growth over the next two years.

INDIA'S EXPORTS

India's Exports during FY 2016-17 has shown a growth of 4.71% in dollar terms valued at US$ 274,645.10 million as compared to US$ 262,290.11 million during FY 2015-16. In Rupee terms, during FY 2016-17 exports were valued at ₹18,41,314.39 crore as compared to ₹17,16,377.99 crore during FY 2015-16, registering a positive growth of 7.28%.

During FY 2016-17, India's imports were valued at US$ 380,367.65 million (₹25,50,926.19 crore) registering a negative growth of 0.17% in Dollar terms and a positive growth of 2.43% in Rupee terms over the level of imports valued at US$ 381,006.64 million (₹24,90,298.03 crore) in FY 2015-16.

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

During the FY 2016-17, the total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed were 13,308 as against 10,516 issued during previous FY 2015-16. Of the 5692 fresh policies issued during the year 1554 are Whole Turnover Policies consists of SCR, ETP, MBEP, etc. The number of ST Policies in force as on 31/03/2017 was 12,035 with a total Maximum Liability (ML) of ₹41,038.61 Crore as against 11,525 policies in force with a total ML of ₹ 38,931.81Crore as on 31/03/2016, showing a growth of 4.43% in number of policies in force and 5.41% in total ML in force. The share of ML of policies in force on account of Micro, Small and Medium Exporters (MSME) to total ML was 71.72% as on 31/03/2016 and 31/03/2017 (MSME are those exporters with policy covers with ML less than or equal to ₹20 Crore). In terms of number of policies in force the share of policies in force on account of MSME to total is more than 85%.

पिछले वर्ष के 323 प्रस्तावों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 247 प्रस्तावों के नवीकरण लंबित थे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक, घोषणा आधारित सम्पूर्ण पण्यावर्त पोतलदान पॉलिसियां जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस सी आर), निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ई टी पी) और लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी) का प्रतिशत अधिकतम हिस्सेदार के साथ 55.55% बना रहा। वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक लागू पॉलिसियों में सम्पूर्ण पण्यावर्त जोखिम आधारित पॉलिसी जैसे एम.बी.ई.पी. एवं माइट्स की हिस्सेदारी 2.39% रही। वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक लागू पॉलिसियों में एक खरीदार/एकल संव्यवहार पॉलिसी जैसे एस बी ई पी, बी डब्ल्यू बी, एस एस पी, साइट्स व अन्य की हिस्सेदारी 42.06% रही। 31.03.2016 के 4293 तुलना में 31.03.2017 को जोखिम आधारित पोतलदान पॉलिसियों जैसे बहुखरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी आदि की कुल संख्या 4828 रही। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, अल्पवधि पॉलिसियों के अंतर्गत कुल रक्षित कारोबार का मूल्य पिछले वर्ष के 1,35,872 करोड़ रु. की तुलना में 4.07% की वृद्धि के साथ 1,41,398.09 करोड़ रु. था। दिनांक 01/04/2016 से घोषणा आधारित सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियों की प्रीमियम दरों में औसत 17% की कटौती के चलते अल्पवधि पॉलिसियों के अंतर्गत अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के 382.02 करोड़ रु. की तुलना में (-)6.09% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 358.80 करोड़ रु. रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान प्रदत्त दावों की संख्या पिछले वर्ष के 439 दावों राशि 127.42 करोड़ रु. की तुलना में दावों की संख्या में 31.66% की वृद्धि एवं मूल्य में 62.33% वृद्धि के साथ 578 दावे जिनका मूल्य 206.85 करोड़ रु. था, का भुगतान किया गया।

अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत वसूली पिछले वर्ष के 7.82 करोड़ रु. की तुलना में 24.93% की वृद्धि दर्ज करते हुए 9.77 करोड़ रु. रही।

ग्राहक विशिष्ट रक्षा

ईसीजीसी द्वारा, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की गईं जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए द्वारा अनुमोदित दो अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण मुखर होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है।

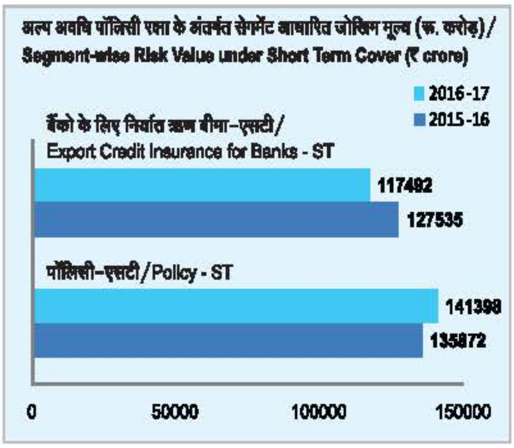

247 proposals were pending for renewal as at the end of FY 2016-17 as against 323 last year. Declaration based Whole Turnover Shipment policies viz., the Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policy, the Export Turnover Policy (ETP), Services Policy and Small Exporters Policy (SEP) continued to maintain the largest share at 55.55% of the policies in force as at the end of FY 2016-17. Exposure based whole turnover policies like MBEP and MITES had a share of 2.39% of the policies in force as at the end of FY 2016-17. Single buyer/ Single transaction policies like SBEP, BWP, SSP, SITES and others had a share of 42.06% of the policies in force as at the end of FY 2016-17. The total number of exposure based shipment policies in force as on 31/03/2017 viz. the Multi Buyer Exposure Policy (MBEP) and the Single Buyer Exposure Policy (SBEP) was 4828 as against 4293 as on 31/03/2016. Total business covered under the ST Policies during the FY 2016-17 was ₹1,41,398.09 Crore, as against ₹1,35,872 Crore during the previous year, thereby registering a growth of 4.07 %. The premium income under ST Policies was ₹ 358.80 Crore as against ₹382.08 Crore in the previous FY, registering a negative growth of (-) 6.09% on account of average 17% reduction in premium rates for declaration based wholeturnover policies w.e.f 01/04/2016. Total number of claims paid under ST Policies during FY 2016-17 was 578 amounting to ₹206.85 Crore as against 439 claims amounting to ₹127.42 Crore during the previous FY 2015-16 showing a growth of 31.66% in terms of numbers and 62.33% in terms of value.

Recovery under ST Policy was ₹9.77 Crore as against ₹7.82 Crore during the previous year, showing a positive growth of 24.93%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having predominant features of one product which is considered to be the base policy.

During the FY 2016-17, 139 customized policies were issued/

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पिछले वर्ष के 94 पॉलिसियों जिनकी अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) ₹3301.20 करोड़ की तुलना में कुल 139 सी एस सी पॉलिसियाँ जारी की गईं जिनकी अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) ₹4,902 करोड़ रु थी। 31/03/2017 तक, पिछले वर्ष के 86 सी.एस.सी. पॉलिसियों, जिनका एम एल/ए एल एल ₹2986 करोड़ था, की तुलना में 99 सी.एस.सी. पॉलिसियाँ प्रभावी थीं जिनका एम.एल./ए.एल.एल. ₹3,329 करोड़ रु था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹57.61 करोड़ की तुलना में ₹61.15 करोड़ रु. रही। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के ₹16.70 करोड़ रु की तुलना में कुल 31.38 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में 3.25% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹881.08 करोड़ (₹910.67 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया। यह सभी क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम का 69.51% है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों को कुल 655.50 करोड़ रु (₹995.52 करोड़ रु.) के दावों का भुगतान किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, पिछले वर्ष प्रदत् 141 दावों की तुलना में प्रदत्त दावों की संख्या बढ़कर 199 हो गई। दावो के भुगतान हेतु दिनों की संख्या में 64 दिनों की तुलना में सुधार होकर 60.78 दिन रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 109.76 करोड़ रु. (106.46 करोड़ रु) की राशि की वसूली की गई जो कि ई.सी.आई.बी. रक्षाओं के अधीन क्षतिपूर्ति की गई हानियों से संबन्धित खातों पर निर्यातकों से वसूल की गई राशियों में कंपनी का हिस्सा थी। जारी की गई विभिन्न ई.सी. आई.बी. रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद तथा एक रक्षाओं के लिए उच्चतम बकाया राशि के आधार पर की जाती है, कुल ₹1,17,492.16 करोड़ (₹1,27,534.80 करोड़) रही। एम.एस.एम.ई. खातों पर रक्षित जोखिम मूल्य का भाग (अर्थात निर्यात खाते जिनकी अनुमोदित साख सीमा 10 करोड़ अथवा इससे कम है) 18.24% है।

संपूर्ण पण्यावर्त ई.सी.आई.बी. रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को 3 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को 6 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। वर्ष के दौरान जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी.जे.डी.) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

renewed with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹4,902 Crore as against 94 customized policies issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹3,301 Crore during the previous year. As on 31/03/2017, 99 CSC policies were in force with a total ML/ ALL of ₹3,329 Crore as against 86 CSC policies in force with ML/ALL of ₹2,986 Crore as on 31/03/2016. Yearly premium income under CSC policies was ₹61.15 Crore as against ₹57.61 Crore during the previous year. During the period April to March 2017, total claims paid under customized policies were ₹31.38 Crore as against ₹16.70 Crore during the previous year.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned for the FY 2016-17 was ₹881.08 Crore (₹910.67 Crore), registering a negative growth of 3.25% over the previous year. This accounted for 69.51% of the aggregate premium for the FY 2016-17, from all sectors. The value of the claims paid to banks during the FY 2016-17 was ₹655.50 Crore (₹995.52 Crore). The number of claims paid increased to 199 in FY 2016-17 from 141 in the previous FY. Average number of days taken for claim payment improved to 60.78 days in FY 2016-17 from 64 days in the previous FY. An amount of ₹109.76 Crore was recovered (₹106.46 Crore) during the FY 2016-17, being the Company's share in the amounts recovered from exporters by banks in respect of which losses had been indemnified by the Company under the ECIB covers. The total Risk Value covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products for the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹1,17,492.16 Crore (₹1,27,534.80 Crore). The share of Risk Value covered for MSME accounts (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹10 Crore) is 18.24%.

The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover were determined on the six year claim premium ratio. Exposure norms for the cover under ECIBs were revised during the year. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of sectors with high claim ratios namely, Gems, Jewellery and Diamond sectors with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

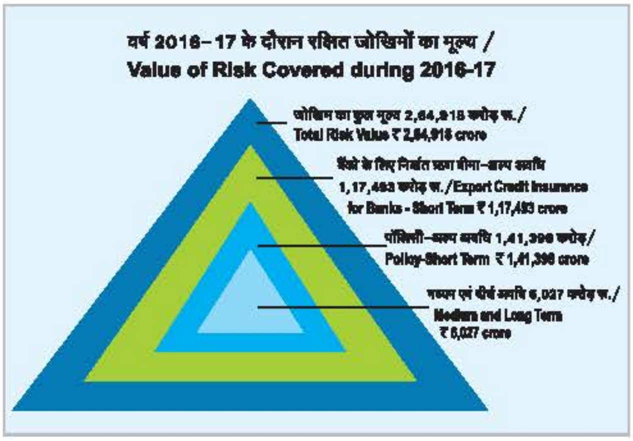

वर्ष 2016-17 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम.एल.टी.) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹27.04 करोड़ रु. की तुलना में ₹26.56 करोड़ रु. रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ई.सी.आई.बी. के अंतर्गत एक 22.99 करोड़ रु के दावे का भुगतान किया गया एवं पॉलिसियों के अंतर्गत किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ई.सी.आई.बी. के अंतर्गत ₹19.14 करोड़ रु. की वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, शीर्ष 5 देश, जिसके संबंध में निगम ने प्रमुख कारोबार बीमा रक्षा प्रदान की है, उनमें ओमान, केन्या, वियतनाम, अफगानिस्तान एवं नेपाल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, एम.एल.टी. परियोजना निर्यातकों को उनके द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनैतिक/व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2015-16 के 19 की तुलना में कुल 45 ऋण बीमा पॉलिसियां जारी की गई। रक्षित प्रमुख क्षेत्रों में जल विद्युत आपूर्ति, अभियांत्रिकी उपकरण आदि सहित बुनियादी सुविधा क्षेत्र आदि शामिल हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 92 की तुलना में 102 रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निगम ने विदेशी निवेश बीमा के अंतर्गत एल एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेन्नई को श्रीलंका में निवेश के लिए जारी रक्षा समाप्त हो गई तथा 31/03/2017 को कोई भी विदेशी निवेश बीमा प्रभावी नहीं थी।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए, जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है। 31 मार्च 2017 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों को इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, मिस्र, मोजांबिक, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, नेपाल, ब्राजील, तंजानिया मालदीव, वियतनाम, यूगांडा, टोगो, थाईलैंड मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान सेनेगल आइवरी कोस्ट, तथा घाना आदि जैसे बाजारों में विभिन्न परियोजनों निर्यातकों द्वारा ली गई कुल ₹28,457.78 करोड़ मूल्य की 76 परियोजनाओं के लिए ₹18766.70 करोड़ मूल्य की अधिकतम देयता के साथ 122 रक्षाएं प्रभावी थीं। 31 मार्च 2017 तक ट्रस्ट के

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2016-17 stood at ₹26.56 Crore as against ₹27.04 Crore in the previous year. One claim amounting to ₹22.99 Crore was paid under ECIB and no claim was paid under Policy during the FY 2016-17. During the FY 2016-17, there was a recovery of ₹19.14 Crore under ECIB. The top five countries in which the Company has underwritten major business during the FY 2016-17 are Oman, Kenya, Vietnam, Afghanistan and Nepal.

During the FY 2016-17, 45 Credit Insurance Policies were issued to MLT project exporters as against 19 in the FY 2015-16, covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were - infrastructure including water supply, hydro power supply, engineering equipment etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2016-17 was 102 as against 92 in the previous year. The Overseas Investment Insurance (OII) cover issued to L&T Infrastructure Development, Chennai for its investments in Sri Lanka in force expired in FY 2016-17 and no OII cover is in force as of 31/03/2017.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term (MLT) duration high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As of 31/03/2017, 122 covers with a Maximum Liability of ₹18,776.70 Crore were in-force covering 76 projects/contracts with aggregate value of ₹28,457.78 Crore, undertaken by various project/contracts exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Brazil, Tanzania, Maldives, Vietnam, Uganda, Togo, Thailand, Malaysia, Iran, Afghanistan, Senegal, Cote D'Ivoire and Ghana, etc. The Trust has a corpus of ₹2,170.98 Crore as of 31/03/2017,

पास कुल ₹2170.98 करोड़ रु. की एकमुश्त राशि थी जिसे बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया।

कंपनी ने भारतीय निर्यात आयात बैंक के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2010-11 में, कुछ विकासशील देशों को परियोजना निर्यातों तथा आस्थगित भुगतान शर्तो पर फोकस मार्केटों में पूंजीगत माल के निर्यातों के संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) के अंतर्गत 'खरीदार ऋण रक्षा' जैसे उत्पाद को विकसित किया। 31 मार्च 2017 तक, श्रीलंका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, आइवरी कोस्ट, तथा घाना के उधारकर्ताओं पर कुल रु ₹11574.97 करोड़ रु मूल्य की अधिकतम देयता के साथ 13 खरीदार ऋण रक्षाएं प्रभावी थीं। 31 मार्च 2017 तक, ट्रस्ट ने कुल ₹18,358.43 करोड़ राशि की 13 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन भी दिया।

निवेश

31 मार्च, 2017 तक, निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च 2016 को ₹7184.63 करोड़ रु की तुलना में, ₹841.09 करोड़ रु यथा 11.71%. की वृद्धि दर्ज करते हुए, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी शेयरों, मियादी जमा आदि में कुल ₹8025.72 करोड़ के निवेश रहे। निवेश पोर्टफोलियो में, अतिरिक्त पूंजी निवेश, परिचालनों/निवेशों से निर्मित अधिशेष के कारण वृद्धि दर्ज की गई।

कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 79.22% का निवेश किया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2015-16 के रु ₹596.84 करोड़ की तुलना में ₹38.44 करोड़ के साथ 6.44% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹635.28 करोड़ रु हो गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निवेश परिचलनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.40% की तुलना में 8.50% रही।

कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने, पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए।

which has been invested in Term Deposits placed with banks.

The Company also in association with Exim Bank of India, introduced in the FY 2010-11, a new product viz. 'Buyer's Credit' cover under National Export Insurance Account (NEIA), a Trust set up by the Government of India, with a view to promote project exports to certain developing countries and export of capital goods to focus markets on deferred payment terms. As of 31/03/2017, 13 Buyer's Credit covers with aggregate Maximum Liability of ₹11,574.97 Crore were in force in respect of projects in Sri Lanka, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D'Ivoire, and Ghana. The Trust has also given in-principle approvals for 13 projects amounting to ₹18,358.43 Crore as of 31/03/2017.

INVESTMENTS

As at March 31, 2017, the Investment Portfolio comprising investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits, etc. stood at ₹8,025.72 Crore as against ₹7,184.63 Crore as at March 31, 2016, showing an increase of ₹841.09 Crore, i.e. increase of 11.71%. The growth in Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from operations/ investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 79.22% as against 45% prescribed by IRDAI.

Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹635.28 Crore in FY 2016-17 from ₹596.84 Crore in FY 2015-16, recording an increase of ₹38.44 Crore i.e. increase of 6.44%. The yield on investment operations for the year FY 2016-17 was 8.50% as against 8.40% for the previous year.

The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

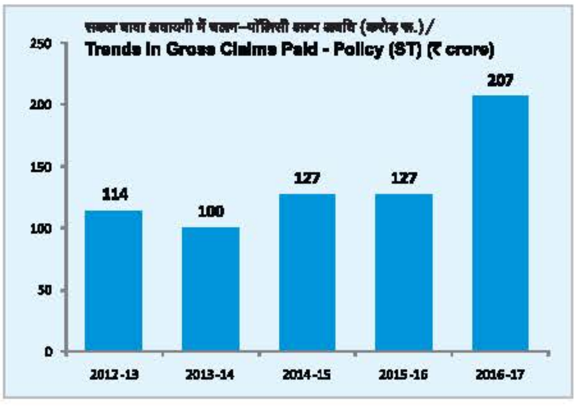

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) का कार्य विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर समग्र साख सीमा का निर्धारण करते हुए ख़रीदारों पर उपयुक्त बीमा निर्णय लेना होता है। यह विभिन्न व्यवसाय सूचना एजेंसियों से अद्यतित व्यवसाय सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है, विदेशी ख़रीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित ख़रीदारों के संव्यवहार व्यवहारों की समीक्षा करता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाईज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

खरीदार सम्पूर्ण सीमा निर्धारण के लिए विकसित स्कोर कार्ड नें बीमांकन एवं जोखिम प्रबंधन की कंपनी की क्षमता को बढ़ा दिया है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टो से सूचना/आंकड़े (वित्तीय और गैर-वित्तीय) की उपलब्धता के आधार पर मॉडल स्कोर कार्ड, जिसमें 1 से 4 की श्रेणी के आधार पर खरीदार का मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान, डीजीएफ़टी के अगस्त 2016 के परिपत्र द्वारा बासमती चावल के निर्यातों को ऋण शर्तों पर, ईसीजीसी की रक्षा अथवा बैंक गारंटी के बिना निषेध कर देने के उपरांत बासमती चावल पर निर्यातों के बीमांकन को अधिक उदार का दिया गया है। कंपनी ने, स्कोर कार्ड के संदर्भ में, हकीम समिति की अनुशंषाओं को लागू कर लिया है जिससे बीमांकन पद्धति उन्नत हुई है।

दिनांक 18/05/2016 से ईरान को प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों की सूची से निकाल कर खुली रक्षा वाले देशों के सूची में स्थापित किया गया है। ईरान स्थित खरीदार के लिए बहु खरीदार रक्षा पॉलिसी (एम.बी.ई.पी.) सहित सभी पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं। हालांकि किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत ईरान के साथ अमेरिकी मुद्रा में अंतरण को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

हरित बी यू डी पहल के अंतर्गत विभाग को पेपर रहित और पूर्ण रूप से डिजिटलाईज्ड करने का निर्णय लिया गया। टर्न अराउंड टाइम (टी ए टी) को कम करने तथा नामित एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया को किफ़ायती बनाने के लिए एजेंसी वितरण सूची तैयार की गई है।

BUYER UNDERWRITING

The role of Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters. It obtains and analyses latest business information reports from various Business Information Agencies, reviews the transactional behaviour of buyers on the basis of system generated data, based on which overall credit limits are fixed on overseas buyers.

Reports received on buyers from different Business Information Agencies, as mentioned above, are also digitalized to make it accessible to all related officials in system.

The Score Card developed to fix OL on the buyer has strengthened the Company's ability in underwriting and risk management. Based on availability of information/ data (financials and non-financials) from the reports received from different agencies, assessment on the buyer is made based on Model of Score Card Ranging from 1 to 4. During FY 2016-17 underwriting was liberalised for the exporters of basmati rice after DGFT's notification of August 2016 prohibiting basmati rice exports on credit terms without ECGC cover or bank guarantee. Company implemented the recommendations of Hakeem Committee in respect of the Score Card which improved the underwriting method.

Iran was moved from Restricted Cover Country List to Open Cover Country List effective from 18/05/2016. With this cover on buyers in Iran is available under all policies including Multi Buyer Exposure Policy (MBEP). However transactions with Iran in US denominated currency are not allowed under any policy.

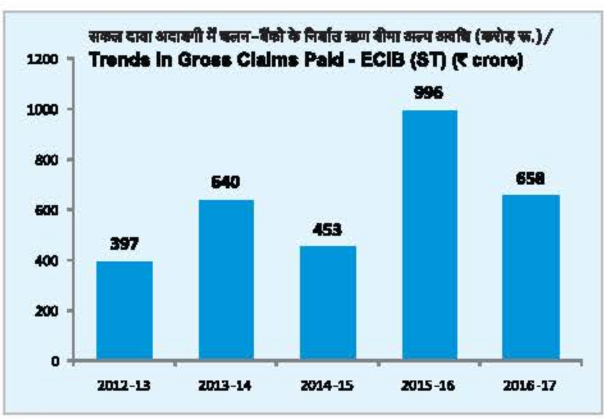

Under Green BUD initiative, it has been decided to make the Department paperless and fully digitalized. Agency distribution list is prepared to reduce Turn Around Time (TAT) and make it cost effective for calling reports from empanelled agencies.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2016-17 was 33,110 as against

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 33,264 की तुलना में 33,110 रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी ख़रीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमांकित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष के ₹33,512 करोड़ की तुलना में ₹36,249 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए ख़रीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 18,278 की तुलना में 17,771 रही।

देश बीमा

देश बीमा विभाग (सी यू डी) देशों पर बीमा पॉलिसी के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने देशों के जोखिम प्रोफ़ाइल को सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित करने हेतु देश मूल्यांकन विषयपरक स्कोरिंग प्रणाली विकसित की है। उस देश के साथ भारत के संबंध, ईसीजीसी का अनुभव एवं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्शुरर्स (बर्न यूनियन) के दृष्टिकोण सहित विभिन्न मानदंडो पर आधारित देशों में व्याप्त आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। यह रक्षा के प्रकार व रक्षा की शर्तों तथा प्रीमियम गणना के उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक होता है। विगत वर्षों में विभिन्न देशों के जोखिम मूल्यांकन के स्वतंत्र उद्देश्य पर कोई समझौता किए बिना कंपनी तथा पॉलिसीधारकों के अनुभव के आधार पर उदार बीमा नीति स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी देशों की समीक्षा की गयी वर्गीकर्ण की संशोधित सूची दिनाक 18 मई 2016 से जारी की गयी। देशों के दावा-जोखिम मूल्य अनुपात, बर्न यूनियन संदर्भ, भारत से किए जाने वाले निर्यातों एवं राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन पर आधारित छमाही आधार पर सभी देशों की समीक्षा की जाती है। देशों की मध्यावधि समीक्षा भी की गई एवं कुछ देशों की रेटिंग में परिवर्तन आया।

31.03.2017 को देश के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण रेटिंग निम्नानुसार है, जिसमें 'गौण जोखिम' को ए 1 रेटिंग और 'अत्यधिक जोखिम' डी में परिभाषित किया गया है ;

वर्गीकरण सूची के कुल 237 देशों में से 217 देशों को 'खुली रक्षा' (जिसमें 21 वे देश भी शामिल है जिन पर सूचना प्राप्त न होने के कारण रेटिंग नही की गई है) की श्रेणी जबकि 18 देशों को 'प्रतिबंधित

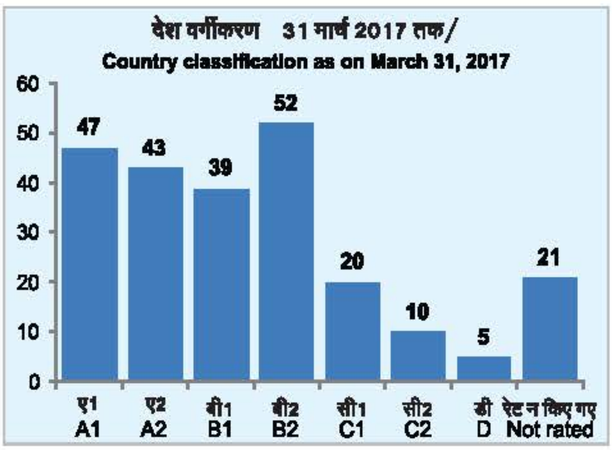

33,264 in the previous year. During the FY 2016-17, the aggregate exposure underwritten by the Company through fixing Overall Limits on foreign buyers was ₹36,249 Crore as against ₹33,512 Crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2016-17 was 17,771 as against 18,278 in the previous year.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting Department (CUD) is responsible for the underwriting policy on countries. The Company has in place an objective scoring methodology for Country evaluation devised to rate the risk profile of countries in a seven fold classification. An analysis is made of the economic, political situation in countries based on the various parameters including India's relationship with the country, ECGC's experience and the approach of International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union). It also helps in determining type and terms of cover and serves the purpose of premium calculation. Over the years efforts have been made to have a liberal underwriting policy based on the experience of the Company and the policy-holders, without compromising on the independent, objective risk assessment of various countries.

During the FY 2016-17, a review of all countries was carried out and the revised list of classification was implemented w.e.f, May 18, 2016. Based on a dynamic system of underwriting review of all countries was carried out on a half yearly basis on the parameters of Claim-Risk Value ratio, Berne Union reference, Exports from India and changes in political and economic situation. Mid-term review of the countries was also carried out in between and some of the country ratings were changed.

The summary of country classification as on 31/03/2017 with 'A1' rating defined as 'Insignificant Risk' and 'D' defined as 'Very High Risk' was as follows:

Out of the 237 countries in the classification list, 217 countries were placed in 'Open Cover' category (which included 21 countries that were not rated

रक्षा' श्रेणी-I (जहां अनुमोदित आवर्ती सीमाएं एक वर्ष के लिए वैध होती हैं) और 5 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-II (जहां मामला दर मामला पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) में रखा गया।

कारोबार का आकार अनुभव व अनुमानित कारोबार के आधार पर सभी 216 देशों ('रेट न किए गए' 21 देशों को छोड़कर) की देश जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, कंपनी ने अल्पावधि पॉलिसी के लिए भारतीय तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ 25% (स्विस आर ई 8%, ए सी आर 4%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 6%, पार्टनर री 1.5%, एमलीन ए जी 1% और क्यू आर ई 0.5%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की तथा अल्पावधि ई.सी.आई.बी. (स्विस री 6%, एसीआर 4%, एससीओआर 4%, जीआईसी 6.50%, पार्टनर री 1.50%, एमलिन एजी 2.50% तथा क्यू री 0.50%) पुनर्बीमा संधि की है। साथ ही एम एल टी रक्षा सहित संपूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई के साथ अनिवार्य 5% पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित पुनर्बीमा संधि की। इसके अतिरिक्त, इन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षा के अधीन बड़े जोखिमों के लिए अतिरिक्त हानि रक्षाओं के लिए पुनर्बीमा संधि की गई।

जोखिम प्रबंधन

5 दशक से अधिक समय से विकसित हुआ संस्था के वर्तमान स्वरूप एवं व्यवहार में मूलभूत ढांचा संलग्न है तथा इस पर जोखिम कार्यप्रणाली को विकसित किया जा सकता है। कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कीं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15, के दौरान, सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण तथा हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के निर्यातों के संबंध में नए जोखिमों को अस्थायी तौर पर स्थगित किए गए एवं देश जोखिम सीमाओं निश्चित करने के मानदंड अपनाने जैसे संशोधन किए गए है।

इन मानदंडों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार/सा.प. खोलने वाली बैंक पर, अल्पावधि ईसीआईबी योजना के अंतर्गत एकल निर्यातक/समूह निर्यातक पर, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहारों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया।

due to lack of information) while 15 countries were placed in 'Restricted Cover' Category-I (where revolving limits are approved normally valid for one year) and 5 countries in 'Restricted Cover' Category-II (where specific approval is given on a case to case basis).

The Country Exposure Limits (CEL) of all 216 countries (excluding 21 'Not Rated' countries) were fixed based on the business volume, experience and anticipated business.

REINSURANCE

For the FY 2016-17 the Company had a proportional (quota share - QS) Reinsurance treaty to the extent of 25% for Short Term Policy (Swiss Re 8%, ACR 4%, SCOR 4%, GIC Re 6%, Partner Re 1.50%, Amlin AG 1% and Q Re 0.50%) and Short Term ECIB (Swiss Re 6%, ACR 4%, SCOR 4%, GIC Re 6.50%, Partner Re 1.50%, Amlin AG 2.50% and Q Re 0.50%) from Indian and Cross Border Reinsurers along with Obligatory 5% reinsurance (QS) cover form GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

RISK MANAGEMENT

The existing organization structure and practices that have evolved over more than five decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process. During FY 2014-15 the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh exports to Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers and introduced criteria for fixing Country Exposure limits.

In addition to these norms, during FY 2015-16, Company has further modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer/LC opening banks under short term policies, individual exporter/group exporter under short term ECIB Schemes, exposure norms for industry sector and Medium and Long Term export transactions.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा इसके आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से पूरे निगम में सूचना तंत्र विकसित करने के लिए तथा कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसकी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का पुनरावलोकन किया। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र विस्तार में, जोखिम मूल्यांकन, नियमन आवश्यकताओं, वित्तीय वास्तविकताओं तथा दीर्घावधि धारणीयता के आधार पर बीमांकन पॉलिसी तथा इसकी रक्षाओं की शर्तें को निर्धारित करने में पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा संपूर्ण बीमांकित जोखिम स्तरों का हस्तांतरण की भूमिका शामिल है। कंपनी द्वारा इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों को बेहतर एवं गतिज बनाने के उद्देश्य से कार्य किए गए है।

वसूलियां

एस.टी. ई.सी.आई.बी. : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वर्ष में समान अवधि के लिए ₹106.06 करोड़ की तुलना में ₹109.76 करोड़ की वसूली की गई।

एस.टी. पॉलिसी : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्तीय वर्ष में समान अवधि के लिए अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹7.80 करोड़ की तुलना में ₹9.77 करोड़ की वसूली की गई।

एमएलटी ईसीआईबी : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्तीय वर्ष में समान अवधि के लिए ₹0.18 करोड़ की तुलना में ₹19.14 करोड़ की वसूली की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (सूप्रौ)

नामचीन सूप्रौ विशेषज्ञों से गठित तथा ईसीजीसी के वरिष्ठ प्रबंधन की निगरानी में कार्यरत प्रौद्योगिकी परमर्शदात्री समिति (टी.ए.सी.) की अनुशंसाओं के अंतर्गत कंपनी नें इसके वर्तमान सूप्रौ तंत्र को अद्यतित तथा सशक्त बनाने के ओर कदम बढ़ाएँ है, जिसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को दी गई है। कंपनी को आशा है कि प्रारम्भिक कदम बहुत ही कम समय में अपना असर दिखाएंगे जिसके बाद ईसीजीसी ग्राहक इंटरफेज को बेहतर बनाने, सेवा पहुँचाने तथा परिचालन प्रभाविता जैसे दीर्घवधि नजरिए को ध्यान में रखकर सूप्रौ को परिवर्तित करने हेतु कदम उठाएगा।

इसके हेतु, कंपनी नें नवम्बर 2016 में इसके लोक-उपलब्ध पोर्टल में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं तथा जून 2017 तक ग्राहक-सेवा पोर्टल को परिवर्तित करने का लक्ष्य है। टीएसी की अनुशंषा के अनुसार, जनवरी 2017 में कंपनी नें वर्तमान एनवायरमेंट में अपने एंटरप्राइज

During the FY 2016-17 Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the company, through its internal risk management framework. The scope of Risk Management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by it so as to decide its underwriting policy and the terms of its cover, based on risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long term sustainability. The Company initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic.

RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2016-17, a sum of ₹109.76 Crore was recovered against claims paid and pending for recovery, against an amount of ₹106.06 Crore, for the same period, in the previous FY.

ST Policy: A sum of ₹9.77 Crore has been recovered from claims paid and pending for recovery under Short Term Policies during the FY 2016-17, against an amount of ₹7.80 Crore for the same period in the previous FY.

MLT ECIB: During the FY 2016-17, a sum of ₹19.14 Crore was recovered against claims paid and pending for recovery, against an amount of ₹0.18 Crore, for the same period, in the previous FY.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company has initiated steps to upgrade and strengthen the existing Information Technology (IT) Systems, under the expert advice of a Technical Advisory Committee (TAC) consisting of renowned IT experts, which are being closely monitored by ECGC Senior Management and reported to the Board of Directors. The Company expects the initial steps to come to fruition within a very short time-frame, after which ECGC would take further steps aiming at IT transformation from a long-term perspective which will further improve customer interface, service delivery and operational efficiency.

In this regard, the Company has revamped its public-facing portal in November 2016, and is on course to revamp its client-servicing portal by June 2017. As advised by the TAC, the Company has upgraded the existing Enterprise Resource Planning (ERP) Application operating system to Windows Server-2008 and the database to oracle 11g platform in the

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत सकल प्रदत्त दावों का मूल्य मुख्य देशवार (करोड़ रु.)
Major Country-wise Value of Gross Claims Paid under Short Term Policies for FY 2016-17 (₹ crore)

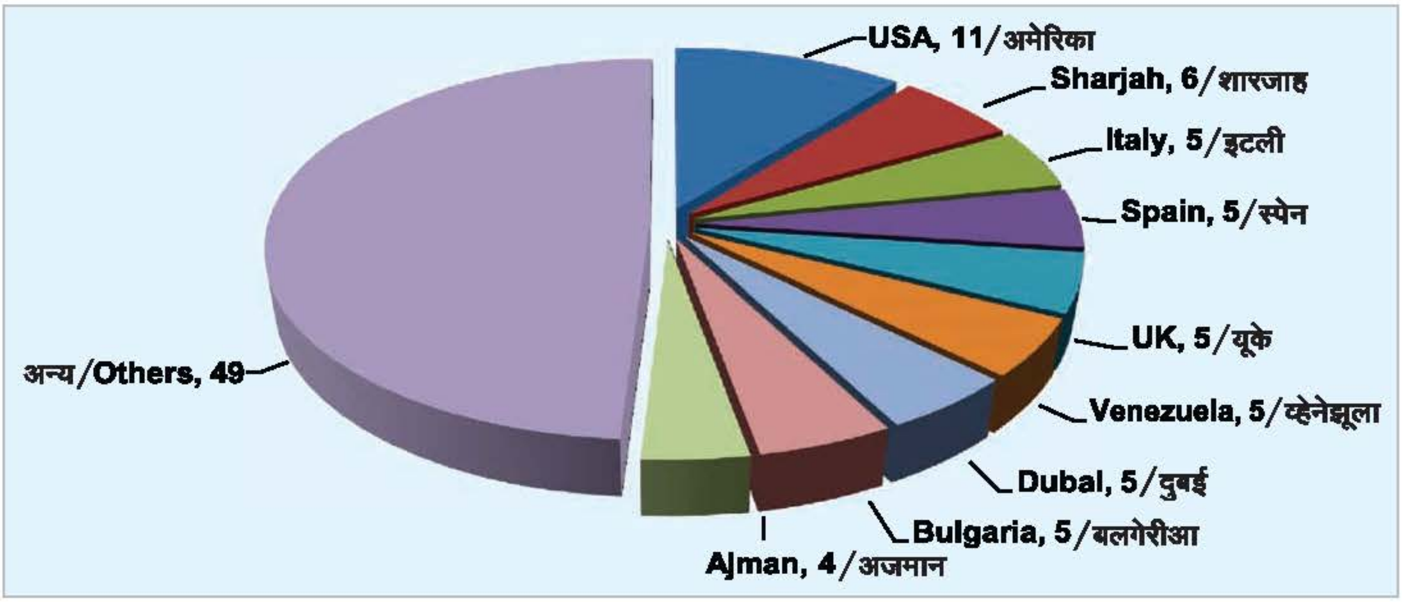

रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोस सर्वर-2008 में तथा डाटाबेस को ऑरेकल 11जी प्लेटफार्म में परिववर्तित कर दिया है। साथ ही, टी.ए.सी. के सुझावों के अनुसार, कंपनी नें बीएसएनएल को अपने थर्ड पार्टी डाटा सेंटर प्रोवाइडर के रूप में नियुक्त किया है तथा मई 2017 तक वर्तमान डाटा सेंटर तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर को इस पर स्थापित कर देगा ताकि वर्तमान साइट के पुराने ढांचे के कारण बाधित होती सेवाओं से मुक्ति मिल सके। कंपनी सी-डैक को अपने सॉफ्टवेयर निर्माता के रूप में नियुक्त करने की अंतिम स्तर पर है तथा इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं, साझेदारों, नियामकों तथा कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन तथा डिजिटल प्लेटफार्मों पर अबाधित सेवा उपलब्ध करना है।

विपणन एवं प्रचार

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विज्ञापन एवं प्रचार गतिविधियों, कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्डिंग, नयी शाखाओं को खोलने, कॉर्पोरेट पत्राचार, उत्पादों का विपणन एवं व्यापार की समग्र वृद्धि तथा धारणीयता के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग, शाखा कार्यालयों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में व्यापार संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने तथा इसकी पुनरीक्षा तथा निगरानी के कार्य में अहम भूमिका निभाता है। कंपनी ने अपने संचालन के 60वें वर्ष में प्रवेश किया तथा एनएमडी पर वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व दिया गया। हीरक जयंती के उद्घाटन समारोह का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय राष्ट्रपति ने की तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,

existing environment in the month of January 2017. Further, as per the TAC suggestions, the Company has appointed BSNL as its third-party managed Data Center provider, and is expected to migrate from the existing Data Center and Disaster Recovery Center by May 2017, which will provide immediate relief from the service disruptions occurring due to ageing infrastructure at the current sites. The Company is also in the advanced stage of discussions with C-DAC for appointing them as its ERP software developer, which will aim to provide seamless and uninterrupted service to clients, partners, regulators, and employees across a variety of online and digital platforms.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the advertisement & publicity activities, corporate brand building, opening of new branches, corporate communications, marketing of products and overall business growth and sustainability. The department plays a critical role in setting business related targets at the start of each financial year for branch offices and in reviewing and monitoring performance. The Company entered its 60th year of operations and NMD was vested with the responsibility of undertaking various activities during the year. The inauguration of the Diamond Jubilee Celebrations was organised at Vigyan Bhavan, New Delhi with Hon'ble President of India as the Chief Guest in the presence of Commerce & Industry Minister, Commerce Secretary and several senior government officials.

वाणिज्य सचिव तथा कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इसमें उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रपति तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री द्वारा ईसीजीसी के हीरक जयंती लोगो, हीरक जयंती जर्नल तथा एक विशेष डाक टिकट का अनावरण किया गया। समारोह के दौरान, ईसीजीसी की उपलब्धियों को दर्शाती तथा भारत के निर्यात में ईसीजीसी की भूमिका पर प्रकाश डालती एक फिल्म को भी रिलीज़ किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी शाखाओं द्वारा हीरक जयंती कार्यक्रम किए गए। देश भर में फैले शाखा कार्यालयों द्वारा विभिन्न निर्यात केन्द्रों में बीमा शिक्षा/जागरूकता संबंधी कार्यकर्म चलाये गए। ब्रोकरों को उत्पादों के विषय में अद्यतित करने के लिए, नई ग्राहक पहलों तथा नया व्यापार लाने के संबंध में उन्हे आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय ब्रोकर मीट का आयोजन किया गया। क्षेत्रों तथा शाखाओं के व्यापार निष्पादन की समीक्षा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्यों के निर्धारण हेतु क्षेत्रीय तथा शाखा प्रबन्धक की एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।

अपने ब्रांड बिल्डिंग प्रयासों के तहत एनएमडी विशेष अवसरों यथा ईसीजीसी स्थापना दिवस, महिला दिवस, हिन्दी दिवस, गणतन्त्र दिवस आदि पर विज्ञापन जारी करता है। निर्यात संवर्धन निकाय के मिशन एवं विज़न को पूरा करने के लिए लिए एनएमडी को व्यापार निकायों जैसे भारतीय निर्यात निगमों के संघ (एफ़आईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बेर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ़आईसीसीआई), कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) तथा विभिन्न निर्यात संवर्धन काउंसिल आदि से निकटता बनाए रखनी होती है।

कॉर्पोरेट योजना

कंपनी द्वारा, अपने कारोबार निष्पादन की समीक्षा की जाती है एवं पाँच वर्ष की अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना तैयार की जाती है। तद्नुसार, वर्ष 2016-2021 की अवधि के लिए कॉर्पोरेट प्लान तैयार किया गया है एवं जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में औसत प्रीमियम दर में .027% से .025% की कमी अनुमानित है इसको ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.04.2016 से घोषणा आधारित पॉलिसियों के लिए घटी हुई दर प्रभावी हैं। योजना में वर्ष 2021 तक अल्पवधि पॉलिसी रक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात के 10% कवर करने की परिकल्पना की गई है। योजना में कंपनी का स्वॉट विश्लेषण, कारोबार प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार परिदृश्य, भारत के निर्यात एवं वार्षिक आधार पर कारोबार अनुमान शामिल किए गए हैं। कंपनी ने अगले पाँच वर्षों में हामीदारी क्षमता को बढ़ाकर, अपने जोखिम प्रबंधन/विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाकर, अपने बीमा को विकसित/संशोधित कर, अपने विपणन प्रयासों को अधिक मजबूत बनाकर, वसूली उपायों को प्रभावी बनाकर एवं अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करते हुए कारोबार के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति तैयार की है।

The Diamond Jubilee Logo of ECGC, the Diamond Jubilee Journal and a special stamp were unveiled by the Hon'ble President and the Minister of the state (I/C) for Commerce and Industry. A Corporate film which highlighted the achievements of ECGC and the role played in India's export promotion was released during the function. Diamond Jubilee Celebration Programmes were also conducted in other regions by the branches. A number of Insurance education/ awareness initiatives were undertaken in several export centres by the branch offices spread across the country. All India Brokers Meet was organised at Mumbai to update on products, new customer initiatives taken and address the constraints faced by them in procuring fresh business. An annual Regional and Branch Manager's conference was held to review the business performance of the branches and regions and also to discuss and decide on the targets for the next financial year.

NMD releases corporate advertisements to commemorate important occasions like, ECGC Foundation Day, Women's Day, Hindi Diwas, Republic Day, etc. in its brand building efforts. It is also the responsibility of NMD to work closely with trade bodies like Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) and several export promotion councils to accomplish its Mission and Vision as an export promotion body.

CORPORATE PLAN

The Company reviews its business performance and prepares a Corporate Plan for a period of five years and accordingly the Corporate Plan for the period 2016 - 21 has been prepared and is approved by the Board. The average premium rate is estimated to decline from 0.27% in FY 2016-17 to 0.25% in view of the reduction in premium rate effected w.e.f. 01/04/2016 for declaration based policies. The Plan envisages increasing coverage of national exports to 10% under Short Term Policy Covers by 2021. The Plan gives a SWOT analysis of the Company, business trends, international business scenario and India's exports and provides business projections on a year-on-year basis. The Company has chalked out its strategy to achieve the business projected in the next five years by augmenting its underwriting capacity, reinforcing its risk management / prudential norms, developing/modifying its insurance products, strengthening its marketing efforts and laying emphasis on recovery measures and providing quality service to its customers.

वैकल्पिक विपणन और वितरण प्रणाली

ईसीजीसी के अपने सेवा नटवर्क की 58 शाखाओं के जरिए बीमा उत्पादों की सीधी बिक्री के अतिरिक्त भी, कंपनी अपने बीमा उत्पादों के विपणन के लिए सूचीबद्ध ब्रोकरों के जरिए वैकल्पिक विपणन एवं वितरण प्रणाली का भी उपयोग करता है। 31.03.2017 की समाप्ति तक, विभिन्न स्थानों पर 113 ब्रोकरों के सूचीबद्ध किया है। वर्ष के दौरान आई आर डी ए आई द्वारा ऋण बीमा उत्पादों के विपणन हेतु ईसीजीसी को अनुमत तीन साधारण बीमाकर्ताओं के अतिरिक्त कॉर्पोरेट एजेन्टों (साधारण) के साथ अनुबंध करने की भी विशेष छूट प्रदान की गई है। एन एम डी द्वारा बैंकाश्युरेंस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संपर्क आरंभ किया गया है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, ब्रोकरों के जरिए प्राप्त व्यापार का मूल्य 33.44 करोड़ रु. है जो कि अल्पावधि पॉलिसी आय 360 करोड़ रु. का 9.29 % है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल और धारणीय विकास (एसडी) :

ईसीजीसी की बोर्ड से अनुमोदित सी एस आर नीति (पॉलिसी) है जो कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, शिक्षा, सूखा प्रभावित गावों में स्वच्छ पेय जल, स्वास्थ्य, वृद्ध-आश्रम की सुविधा,

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

Apart from direct selling of insurance covers through ECGC's own service network of 58 branches, the Company also makes use of the alternate channels of distribution for marketing its insurance products by empanelling brokers. As at the end of 31.03.2017, the Company had 113 brokers empanelled across different locations. During the year IRDAI has provided special dispensation to ECGC to have tie up with the Corporate Agents (General) to market credit insurance products in addition to the arrangement with three General Insurers permitted by the regulator. NMD has initiated talks with the public sector banks for signing of bancassurance agreements.

During FY 2016-17, premium earned under the business placed by the brokers was ₹33.44 Crore which constitutes 9.29% of the Short Term policy premium income of ₹360 Crore.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

ECGC has a Board approved CSR Policy in tune with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE). During FY 2016-17, a number of CSR initiatives

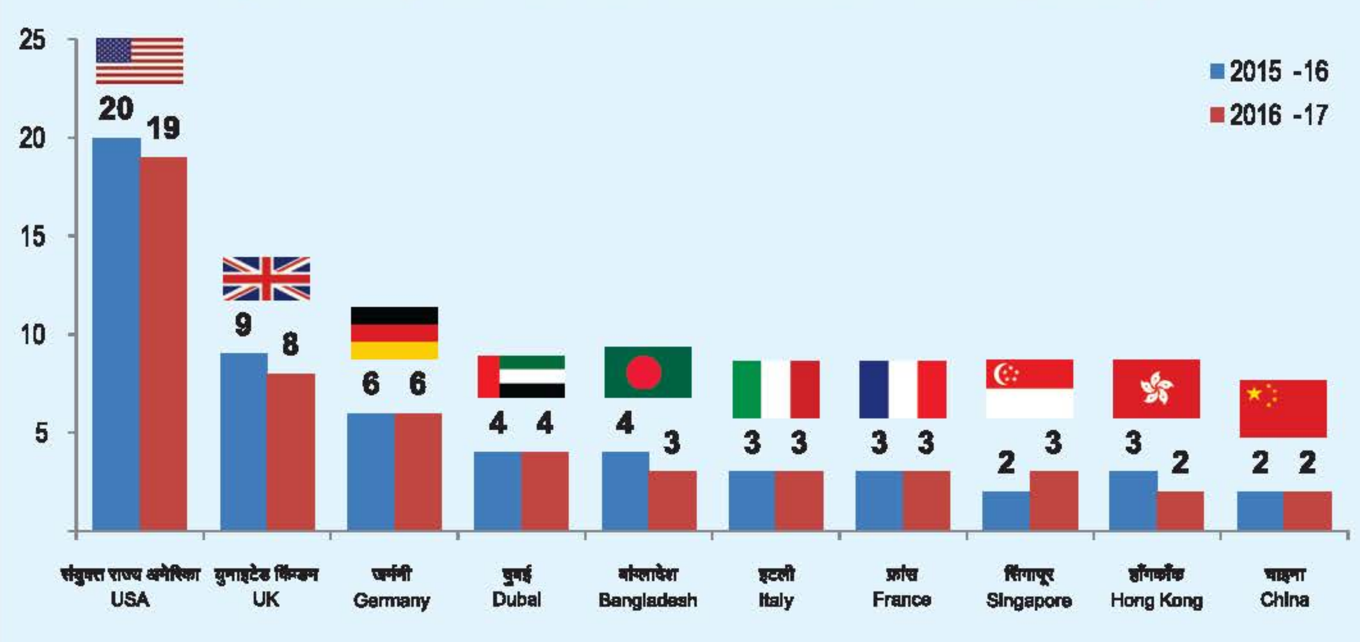

पॉलिसियों के अंतर्गत मुख्य देशों के आधार पर रक्षित जोखिमों का मूल्य (% भाग)
Major Country-wise Risk Value covered under Policies (% share)

स्वच्छ भारत अभियान आदि जैसे कई क्षेत्रों मे सी एस आर पहल की गईं। इन सीएसआर गतिविधियों के कार्यों मे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी आई एस एस), विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) पुणे, विवेकानंद केंद्र एवं एकम फ़ाउंडेशन, चेन्नई आदि कार्यपालन भागीदार हैं। ईसीजीसी, टीआईएसएस के माध्यम से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्रों, जो बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एम-वार्ड मे स्थित है, के संचालन मे सहयोग कर रहा है। शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के तहत शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु तमिलनाडु में छह सरकारी अस्पतालों को एकम फाउंडेशन के माध्यम से कुछ चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए साथ ही कुछ नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सहायक साधन उपलब्ध कराए गए। ईसीजीसी सामाजिक उत्थान में भागीदार बनने तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने की भूमिका निभाने हेतु कटिबद्ध है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। निगम ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों प्राप्ति की है। कंपनी को वर्ष 2015-16 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 14 सितंबर 2016 को आयोजित "राजभाषा पुरस्कार" समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति "श्री प्रणब मुखर्जी" द्वारा राजभाषा कीर्ति "द्वितीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। कंपनी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पिछले कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। कंपनी को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कंपनी में लगातार प्रगति हो रही है। ईसीजीसी लिमिटेड की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितंबर माह के दौरान दिनांक 14 सितंबर 2016 से 28 सितंबर 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 07 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हिन्दी दिवस समारोह के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया तथा हिन्दी दिवस समारोह में श्री विष्णु शर्मा, सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक एवं रंगमंच कलाकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

वर्ष के दौरान झाँसी, मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/प्र का के विभागों के हिन्दी अधिकारियों की उपलब्धियों व समस्याओं के निवारण के लिए अखिल भारत हिन्दी अधिकारियों के सम्मेलन

have been undertaken in the field of education, providing safe drinking water in drought prone villages, health care, providing facilities to old age homes, Swachh Bharat Abhiyaan, etc. The implementation partners for CSR activities are TATA Institute of Social Sciences (TISS), Science & Technology Park (STP) Pune, Vivekananda Kendra and Ekam Foundation, Chennai. ECGC is continuing its support in running of five Community study centres in M-ward area of Municipal Corporation of Greater Mumbai through TISS. Under health care for infants, certain medical equipments have been provided to six Government Hospitals in Tamil Nadu through Ekam Foundation to help lower infant mortality and also training aids for providing training to nurses. ECGC is committed to contribute to the upliftment of the society in fulfilment of its role as a socially responsible corporate entity.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is very active in the implementation of Official Language Policy of Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the annual Rajbhasha programme for the FY 2016-17 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company has been honoured with the third prize of The Rajbhasha Kirti Puraskar, in the 'Rajbhasha Puraskar Samaroh' organized on 14/09/2016 for the FY 2015-16 in the 'B' Region, by the Hon'ble President of India 'Shri Pranab Mukherjee'. The Company is getting this prestigious award continuously since many years. The Company has also been conferred the First Prize for excellent implementation of Rajbhasha for the FY 2015-16 by the Ministry of Commerce and Industry.

The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Branch and Regional offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from 14/09/2016 to 28/09/2016 during the month of September 2016. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and officers at every level participated enthusiastically. The winners were awarded cash prizes during the prize distribution function that was organized during the Hindi Day held on 07/10/2016 and Mr. Vishnu Sharma, stage artist and a renowned Hindi author was present as a Chief Guest.

An All India Hindi Officers Conference was organized to

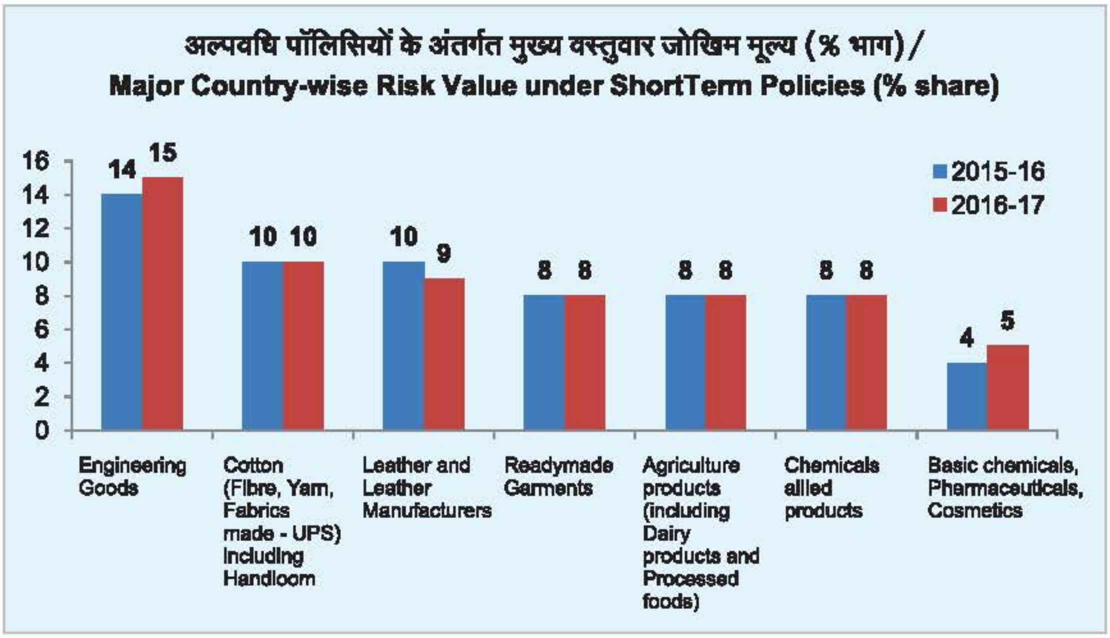

का आयोजन किया गया जिसमें निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों व प्रधान कार्यालय के विभागों के हिन्दी अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान दिए गए।

निगम के अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निगम में नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग और अपने कार्यालयों और विभागों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की प्रत्येक वर्ष "अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार" के लिए आपस में एक दूसरे की साथ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी का अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले हिन्दी पत्राचार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब निगम के सभी अधिकारियों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड उपलब्ध करवा दिये जाने के फलस्वरूप अपने निर्यातक और बैंकर ग्राहकों को हिन्दी में ई मेल भी भेजे जा रहे है। निगम का वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2016-17 में विभिन्न प्रशिक्षणों, जिनमें सब स्टाफ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, में प्रशिक्षण द्विभाषी रूप में प्रदान किए गए। निगम द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 घंटे की हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई।

कंपनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जातीं हैं जिसमें संबन्धित

discuss the achievements and problems faced by Hindi Officers at Regional/Branch/HO(Dept) level in Jhansi in which Hindi Officers of various Regional and Branch offices and Departments of Head Offices of ECGC Ltd. have participated. Solutions were suggested by the senior officials.

Various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the 'Chairman and Managing Director's Official Language Award' for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending Hindi mails to Exporters and Bankers. The Website of the Company is available in bilingual form.

During the FY 2016-17, various training programs, including a training program for the substaff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. A two hour workshop related to the Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Company.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and Head Office of the Company

तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कंपनी बर्न यूनियन (क्रेडिट एवं निवेश बीमा कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ), जो कि निर्यात क्रेडिट और और निवेश बीमाकर्ताओं की एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, की इसके प्रारम्भ से ही सदस्य है। बर्न यूनियन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में सहयोग और वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। चूंकि ईसीजीसी के देश जोखिम रेटिंग प्रणाली में यह भी एक मानदंड है अतः बर्न यूनियन का अनुभव देशों की रेटिंग में ईसीजीसी की सहायता करता है। बर्न यूनियन सदस्यों के साथ संपर्क एवं उनका व्यवहार ईसीजीसी को जोखिम को उनके दृष्टिकोण से समझने में सहायता करता है, जो कि हमें किसी देश विशेष पर हामीदारी, जहां भी आवश्यक हो, में सहायता करता है। ईसीजीसी 'बर्न यूनियन प्रबंधन समिति' का, अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2017 तक दो वर्षों के लिए आवर्ती सदस्य भी है।

बर्न यूनियन (बी यू) द्वारा व्यापार को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इन पहलों के अंतर्गत, बीयू कार्यकारी समूह तैयार करता है जिसमें बर्न यूनियन निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) एवं मुख्य बाह्य संस्था शामिल हैं। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल ऐसे ही दो कार्यकारी समूहों- विश्व बैंक एवं आई सी सी निर्यात वित्त का सदस्य है। इन कार्यकारी समूहों का गठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व बैंक/आई एफ सी एवं आई सी सी के मध्य सहयोग के उद्देश्य से हुआ है। वित्त वर्ष के दौरान, ईसीजीसी भी श्रीलंका में बर्न यूनियन देश जोखिम विशेषज्ञ बैठक के आयोजन में भी शामिल था। वर्तमान में, ईसीजीसी बी यू डाटा टास्क फोर्स का भी हिस्सा है जिसका गठन बी यू सदस्यों के बीच उचित एवं संगत डाटा साझा कर सकें ताकि एक दूसरे के अनुभव का लाभ उठा सकें। यह बी यू के क्षेत्रीय सहयोग समूह (बी यू के एशिया महाद्वीप क्षेत्र से उप समूह) का पुराना एवं सक्रिय सदस्य है एवं क्षेत्र में अग्रदूत है।

ईसीजीसी, निर्यात क्रेडिट एजेंसीयों के जी-12 समूह का भी सदस्य है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य, द. कोरिया, ब्राजील, रूस, भारत, और चीन शामिल हैं। जी 12 ईसीए के प्रमुख चैथम हाउस नियम के आधार पर वर्ष में एक बार मिलते हैं एवं ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष सह प्रबन्ध

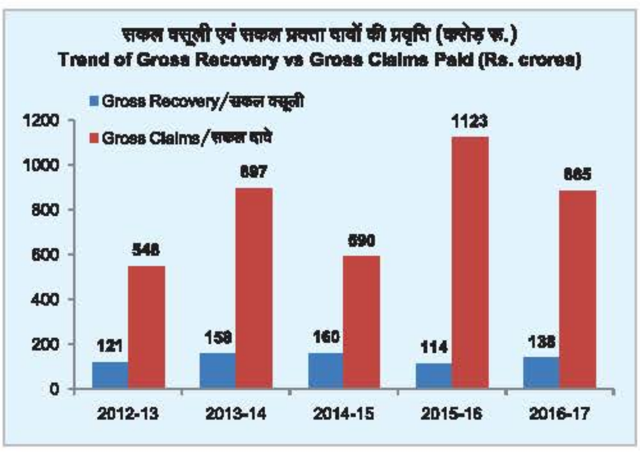

wherein detailed discussions were held with regard to implementation of official language during the quarter.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading International Association for the export credit and investment insurers, since inception. The aim of the Berne Union is to promote co-operation, growth in global trade and investments. The experience of Berne Union helps ECGC in rating of countries as it is one of the parameters of ECGC's country risk rating system. The interaction with Berne Union members and their attitude also helps ECGC in understanding risk perception from their perspective, which helps us tuning our underwriting on a particular country, wherever required. ECGC is a rotating Member of the Management Committee of Berne Union for two years i.e. from October 2015 to October 2017.

Berne Union (BU) has been taking initiatives to develop and promote trade. Under the initiatives, BU forms Working Groups involving Berne Union Export Credit Agencies (ECAs) and leading external organisations. ECGC is a member of two such Working Groups involving Berne Union-World Bank and ICC export Finance. These Working Groups are set up with an objective of further Co-operation with the World Bank/IFC and ICC to support in international trade. During the Financial Year, ECGC was also involved in organising Berne Union Country Risk Specialist meeting in Sri Lanka. Currently, ECGC is also a part of BU Data task Force which is set up to ensure BU members sharing accurate and consistent data so as to gain from each other's experience. It is also one of the oldest and active members of Regional Co-operation Group of the BU (Sub Group of BU from Asia Pacific region) and the pioneer in the region.

ECGC is also a part of G12 Export Credit Agencies consisting of members from Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States, South Korea, Brazil, Russia, India and China. G12 Heads of ECAs meet once a year on Chatham

निदेशक द्वारा किया जाता है। सदस्यों के व्यवसाय परिणामों के अतिरिक्त यह फोरम व्यापार पर सहयोग, वित्त एवं बीमा पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है। 19-21 फरवरी 2017 के दौरान चेन्नई में ईसीजीसी द्वारा 2017 की जी12 ईसीए के प्रमुखों की बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता द्वारा की गई।

ब्रिक्स देशों के ईसीए द्वारा "ब्रिक्स ईसीए फोरम" का गठन किया गया है एवं भारत से ईसीजीसी इसका सदस्य है। इसका गठन ब्रिक्स देशों के ईसीए नामतः एबीजीएफ़ ब्राज़ील, ईएक्सआईएआर रशिया, ईसीजीसी भारत, एसआईएनओएसयूआरई चाइना और ईसीआईसी एसए दक्षिण अफ्रीका के मध्य, ब्रिक्स देशों में व्यापार सहयोग और सरलीकरण पर साझा विचार-विमर्श स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

ब्रिक्स ईसीए की दूसरी बैठक 12-13 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में ईसीजीसी द्वारा आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता की गई। बैठक के दौरान सहयोग के लिए सी ई ओ द्वारा संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुखों द्वारा न्यू डवलपमेंट बैंक (एन डी बी), ब्रिक्स देशों में व्यापार हेतु सहायता के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा प्रारम्भ, के साथ सहयोग हेतु सहमति व्यक्त की गई। ईसीजीसी द्वारा एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर 2016 में गोवा में ईसीए एवं ब्रिक्स देशों के डवलपमेंट बैंक के लिए उदघाटन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के मध्य व्यापार सहयोग के लिए ईसीए एवं डवलपमेंट बैंक को समीप लाना है। ईसीजीसी द्वारा ब्रिक्स ईसीए के परिचालन स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता वृद्धि हेतु दिसंबर 2016 में हैदराबाद में तकनीकी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

ईसीजीसी ब्रिक्स व्यापार परिषद के "वित्तीय सेवा कार्यकारी समूह" का भी हिस्सा है। इसके सदस्य टेलीकॉन्फ्रेंस एवं बैठकों के जरिए वित्त, भुगतान प्रणाली की स्थापना, रेटिंग एजेंसी एवं बीमा क्षेत्र में सहयोग अपनी बहुमूल्य राय साझा करते हैं।

House Rule basis and ECGC is represented by its CMD. The forum gives an opportunity for discussions and co-operation on trade, finance and insurance related issues apart from sharing business results of the members. The 2017 meeting of the G-12 heads of ECA's was hosted and chaired by ECGC in Chennai during February 19-21, 2017.

The ECAs of the BRICS countries have formed 'BRICS ECA Forum' and ECGC is the member from India. It is set up with an objective of joint discussion for trade cooperation and facilitation amongst BRICS countries through enhanced dialogue between the BRICS ECAs, namely ABGF Brazil, EXIAR Russia, ECGC India, SINOSURE China and ECIC SA South Africa.

The 2nd Meeting of BRICS ECAs was hosted and Chaired by ECGC on October 12-13, 2016 in New Delhi. During the meeting the CEOs signed the Terms of Reference for co-operation. The Heads also agreed to enter into co-operation with New Development Bank (NDB) floated by BRICS countries for supporting trade within the BRICS countries. ECGC in association with EXIM Bank of India organised an inaugural workshop for the ECAs and Development banks of the BRICS countries during October 2016 at Goa. The idea is to bring the ECAs and the development banks closer to support intra BRICS trade. ECGC also hosted a technical workshop for the operational level officers of the BRICS ECAs for capacity enhancement during December 2016 at Hyderabad.

ECGC is also part of the 'Financial Service Working Group' of the BRICS Business Council. The members through meetings and teleconferences made valuable suggestions in the area of finance, establishing payment system, rating agency, and co-operation in the area of insurance.

ईसीजीसी, अंतर्राष्ट्रीय ई सी ए को शामिल कर द्विपक्षीय बैठक एवं कार्यशाला में शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापर मॉडल, उत्पाद एवं हामीदारी तकनीकी को समझना है। ये गतिविधियां ईसीजीसी को आवश्यक परिवर्तन करने में सहयोग प्रदान करती है साथ ही इसके अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय ईसीए की कार्यप्रणाली से अवगत कराती है। ईसीजीसी द्वारा ऐसी

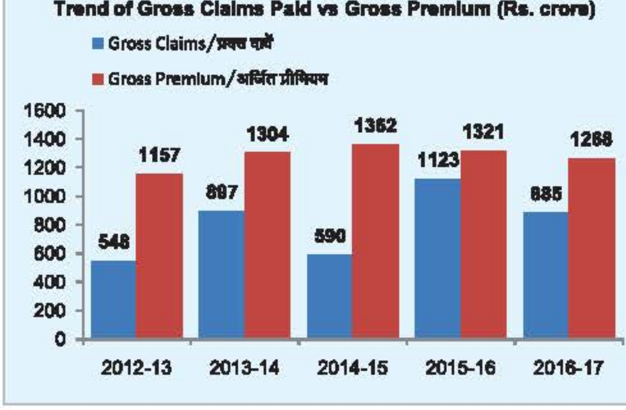

ECGC has been engaged in bilateral meetings and workshops involving international ECAs. The objective is to understand the business model products and underwriting techniques. These activities help ECGC to make necessary changes and also let its officers exposed to working of International ECAs. ECGC has participated in several of these workshops / conferences at bilateral or

विभिन्न द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय स्तर की कार्यशाला/सम्मेलनों में भाग लिया गया है।

अन्य ईसीए के साथ अपने संबंध बढ़ाते हुए, ईसीजीसी द्वारा एक्सपोर्ट गारंटी फंड ऑफ ईरान (ई जी एफ़ आई) के सहयोग का कदम उठाया गया है। मई 2016 में, भारत एवं ईरान के मध्य विदेशी निवेश एवं व्यापार को सहायता एवं वृद्धि प्रदान करने हेतु ईसीजीसी द्वारा ईजीएफआई के साथ समझौता किया गया। दिनांक 23 मई 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं ईरान के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिती में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 2016 में, सीनोश्युर चाइना एवं ईसीजीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस ज्ञापन का उद्देश्य पक्ष्यों के मध्य, व्यापार के सहयोग एवं बढ़ावा हेतु ढांचा स्थापित करना व भारत एवं चीन के मध्य विदेश निवेश को बढ़ावा देना, जहां भी उपयुक्त हो, एवं किसी तीसरे देश में परियोजना हेतु संबन्धित देशों से माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करना है।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध :

31 मार्च 2017 तक कंपनी की स्वीकृत कर्मचारी संख्या 655 थी। तथापि, केवल 603 कर्मचारी ही कंपनी के रोल पर कार्यरत थे। वर्ष 2016-17 के दौरान, विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए कुल 54 नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कार्य ग्रहण किया। आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी के व्यापार में जोखिम की समीक्षा हेतु एक नियुक्त बीमांकिक की नियुक्ति परामर्श के आधार पर की गई है। वर्ष के दौरान 152 कर्मचारियों की पदो-उन्नति विभिन्न संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर हुई। कंपनी की आवश्यकताओं तथा सतर्कता विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर 178 अधिकारियों का रोटेशन ब्रांच कार्यालयों/ विभागों में किया गया है। नियुक्ति और पदो-उन्नति के प्रक्रम में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

वर्ष के दौरान, वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी के बकायों, जो कि 01/08/2012 से लंबित थे, का भुगतान किया गया। गृह ऋण योजना एवं वाहन ऋण योजना, अतिरिक्त चिकित्सा योजना के अंतर्गत कमरे के किराए की पात्रता में संशोधन व समूह टर्म बीमा पॉलिसी की सुनिश्चित राशि तथा समूह निजी दुर्घटना पॉलिसी में संशोधन किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने

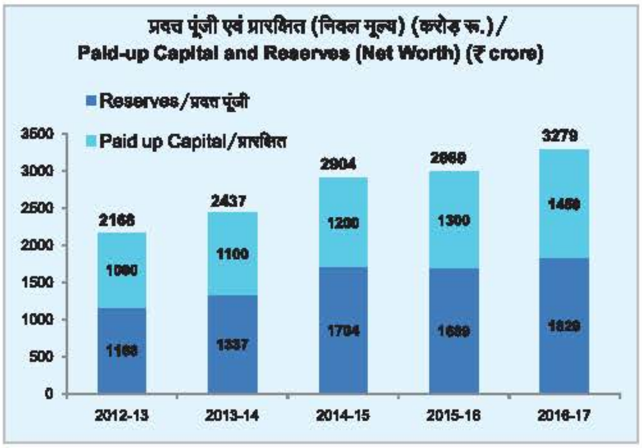

प्रदत्त पूंजी एवं प्रारक्षित (निवल मूल्य) (करोड़ रू.)/
Paid-up Capital and Reserves (Net Worth) (₹ crore)

multilateral level.

Enhancing its International relations with other ECAs, ECGC took initiative to cooperate with Export Guarantee Fund of Iran (EGFI). In May 2016 ECGC entered into agreement with EGFI to establish a framework of co-operation leading to supporting and encouraging the trade and foreign investment between India and Iran. The MOU was signed by Chairman-cum-Managing Director on May 23, 2016 in the presence of the Hon'ble Prime Minister of India and Hon'ble President of Iran. A Memorandum of Understanding was also signed between ECGC and SINOSURE, China in October, 2016. The purpose of this Memorandum was to establish the framework of cooperation between the Parties in supporting and encouraging trade and foreign investment between India and China, where appropriate, the supply of goods and services from their respective countries as part of a project to a third country.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS:

As on 31/03/2017, the sanctioned employee strength of the Company was 655. However, only 603 employees were on the rolls of the Company. Total 54 new candidates selected as Probationary Officers through different recruitment processes have joined the Company in the year 2016-17. In accordance with the guidelines of IRDAI, Appointed Actuary was appointed on consultancy basis to evaluate the risk involved in the business of the Company. Total 152 employees were promoted during the year in different cadres based on the vacancies available. Based on the requirement of the Company and in compliance with the vigilance guidelines total 178 officers were rotated among Branch Offices/Departments. All statutory provisions were complied with in the recruitment & promotion process.

During the year, the arrears due to wage revision of the employees which was effective from 01/08/2012 were settled. Modifications in Housing Loan Scheme and in Vehicle Loan Scheme, revision in room rates under Excess Medical Scheme and sum assured under Group Term Insurance Policy and Group Personnel Accident Policy for employees has been carried out. The new initiative like celebration of International Yoga Day, facility

की सुविधा, कर्मचारियों को उनके बच्चों के लिए शिक्षा ऋण योजना जैसे भी नए कदम उठाए गए। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013, के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) उन सभी ब्रांच/ कार्यालयों में सक्रिय है जहां कम से कम 10 कर्मचारी नियुक्त हैं। एक आईसीसी प्र.का. मे सक्रिय है जो प्र.का. के सभी विभागों और विशेष शाखाओं जिनकी कर्मचारी संख्या 10 से कम है, के लिए है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इस अधिनियम के अधीन दायर किए गए वादों की संख्या शून्य है।

प्रशिक्षण:

अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाने के कंपनी द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विस्तृत श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। नव-नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई में आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेशनल इन्शुरेंस बैंक एंड मैनेजमेंट पुणे में निर्यात ऋण प्रबंधन विषय पर उच्च एवं मध्यम प्रबंधन वर्ग सहित सभी स्तर के वास्तविक श्रमबल के लगभग 50% अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शेष अधिकारियों को वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत भर में क्षेत्र अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों यथा उ.म.प्र. व स.म.प्र. को प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है जो कि नेतृत्व क्षमता जैसे कौशलों के विकास हेतु था तथा जिसका आयोजन प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे आईआईएम द्वारा किया गया था। कर्मचारियों को उनके कार्यो के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे भेजा गया। समूह ग एवं घ के कर्मचारियों को कौशल विकास और व्यवहार विज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया है। महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के महिला फोरम (विप्स) की राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया गया।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक कंपनी में 12 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2017 तक कंपनी के कुल श्रमबल में अ.जा. और अ.ज.जा. का विभिन्न काडरों में प्रतिनिधित्व तथा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भीगीदारी) अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत

for online submission of Annual Confidential Report and Education Loan Scheme for employees for their children was also undertaken. Quarterly meetings with employee's representatives were conducted.

In accordance with the 'The Sexual Harassment at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013', Internal Complaints Committees (ICC) are functioning in all the branches/ offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at HO which includes all the Departments at HO, special branches wherever employee strength is less than 10. During the financial year 2016-17, the number of cases filed under this Act is Nil.

TRAINING:

In its endeavour to continuously upgrade the knowledge and skills of its employees, the Company had charted out a comprehensive plan. During FY 2016-17, officers at various levels were sponsored for a wide range of training programme for upgradation of skills. Induction course was organized for newly recruited Probationary Officers at Insurance Institute of India, Mumbai. Around 50% of actual strength of officers at various levels including middle and Senior Management level were provided training on export credit management at National Institute of Bank Management, Pune. Remaining officers will be provided training on the above subject in the year 2017-18. A comprehensive training was provided to Field Officers all over India. The senior level executives i.e. DGMs and AGMs were nominated for Management Development Programmes for upgradation of the skills like leadership etc. conducted by reputed institutes like IIMs. Employees were sponsored for the trainings as per their functional area of work. Training on skill upgradation and behavioural science was given to Group C and D employees. Women employees were nominated to attend National meet of Forum of Women in Public Sector (WIPS).

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with disabilities. As of 31st March, 2017, the Company has 12 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on March 31, 2017 and representation of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and

दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण क्रमशः अनुलग्नक I तथा अनुलग्नक II में है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अ.जा./अ.ज.जा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद-आधारित रोस्टर तंत्र' अपनाया है। सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक III और अनुलग्नक IV में अंकित है।

सामान्य प्रशासन:

1. कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित हुआ है।

2. सभी शाखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल, 2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी, के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 20% की खरीद 3 वर्षों की अवधि में, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 20% में अ.जा. और अ.ज.जा. के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए 4% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है।

3. कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची बनाई तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला नहीं है।

4. कंपनी नें ई-प्रकाशन पॉलिसी का भी अनुपालन किया है जो कि भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 का एक भाग है।

5. शासकीय ई बाजार (जी ई एम) के जरिए खरीद के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु जी ई एम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है।

Full Participation) Act, 1995, are furnished in Annexure I and Annexure II respectively.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment and by Promotions' at different level under reservation for SC, ST and OBC are furnished in Annexure III & IV.

GENERAL ADMINISTRATION

1. Revenue and Capital Expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.

2. All the Branch Offices/Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 20% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprise (MSEs) in a period of 3 years. Government has also prescribed a sub-target of 4% procurement of goods and service out of the 20% from MSEs owned by SC/ST enterprises.

3. The Company has identified a list of items which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

4. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of Govt. of India.

5. As per the directions received from Ministry of Commerce & Industry regarding Procurement through Government e Marketplace (GeM) the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services.

भारतीय लेखांकन मानकों का परिपालन:

इंड ए एस जो कि भारत में आई एफ़ आर एस का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक वर्ष की तुलना के साथ लागू होगा। आई आर डी ए आई ने निर्देश दिए हैं कि इंड-एएस के आधार पर प्रोफ़ार्मा वित्तीय विवरण तैयार कर उन्हे 31 दिसंबर, 2016 तक भेजना है और बोर्ड को तिमाही आधार पर सूचित करना है। आई आर डी ए आई को प्रस्तुत करने हेतु आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित भारतीय बीमांकन विवरण के प्रोफ़ार्मा में 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही के 1 अप्रैल 2016 से तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रभाव आंकलन निदेशक मण्डल के समुचित रूप से सूचित करते हुए तैयार किया गया।

निर्दिष्टित बैंक नोट

कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना संख्या जी एस आर 370 (ई) एवं 308 (ई) के अनुसार सभी कंपनियों को निर्दिष्टित बैंक नोटों (एस बी एन) का प्रकटन आवश्यक है।

हमारी कंपनी के लिए एस बी एन का विवरण निम्नानुसार है -

विवरण	एस बी एन (₹)	अन्य मूल्यवर्ग के नोट (₹)	कुल (₹)
दिनांक 08.11.2016 को शेष रोकड़	1,83,000.00	2,24,448.35	4,07,448.35
(+) अनुमत प्राप्तियाँ	-	19,56,795.00	19,56,795.00
(-) अनुमत भुगतान	7,500.00	19,21,572.50	19,29,072.50
(-) बैंकों में जमा की गई राशि	1,75,500.00	8,101.00	1,83,601.00
30.12.2016 को शेष रोकड़	-	2,51,569.85	2,51,569.85

निदेशक मण्डल के प्रति तथा उनकी ओर से

गीता मुरलीधर

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2017

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

Ind AS which is converged standards of IFRS in India will be applicable to Insurance sector from FY 2018-19 with one year comparatives. IRDAI has advised to prepare the proforma financial statement as per Ind AS and send it to them effective 31st December, 2016 and report the progress to the Board on quarterly basis. An impact assessment was made and pro-forma Ind-AS financial statements in the format prescribed by IRDAI for the quarter ended 31st December, 2016 with comparative figures as at 1st April, 2016 were prepared for submission to IRDAI after due reporting to Board of Directors.

SPECIFIED BANK NOTES

Ministry of Corporate Affairs vide Notification No. GSR 307(E) and 308(E) dated 30.03.2017 required all Companies to disclose the details of Specified Bank Notes (SBN).

The details of SBN for our Company is as follows-

Particulars	SBNs (₹)	Other denomination notes (₹)	Total (₹)
Closing cash in hand as on 08.11.2016	1,83,000.00	2,24,448.35	4,07,448.35
(+) Permitted receipts	-	19,56,795.00	19,56,795.00
(-) Permitted payments	7,500.00	19,21,572.50	19,29,072.50
(-) Amount deposited in Banks	1,75,500.00	8,101.00	1,83,601.00
Closing cash in hand as on 30.12.2016	-	2,51,569.85	2,51,569.85

For and o n behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Date: May 25, 2017

वर्ष 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2016 TO 31.12.2016

अनुबंध III / Annexure III

(क) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by direct recruitment

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या						नियुक्त अजा/अजजा/अपिव की संख्या			पिछले वर्ष से आगे लाए गए अजा/अजजा/अपिव की रिक्तियों की संख्या (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है)			कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अजा के आरक्षण में नियुक्त अजजा के उम्मीदवार तथा अजजा के आरक्षण में अजा के उम्मीदवारों की संख्या (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है)			तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने बाद व्यपगत आरक्षण (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है)			पदों की कुल संख्या जिन्हें अगले वर्ष के न भरे गए आरक्षित रिक्तियों के रूप में आगे लाया गया		
	बैकलॉग रिक्तियाँ		वर्तमान रिक्तियाँ		कॉलम (4) में से			कॉलम (5) में से																	
Class of Post	Total No. of Vacancies				No. of vacancies reserved						No.of SC/ST/OBC candidates appointed			No. of SC/ST/OBC vacancies carried forward from previous years(In such cases where dereservation is permitted)			No. of ST candidates appointed against SC candidates & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (In such cases where dereservation is permitted)			No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (In such cases where dereservation is permitted)			No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year		
	Backlog Vacancies		Current Vacancies		Out of Col. (4)			Out of Col. (5)																	
	अधिसूचित	भरी गई	अधिसूचित	भरी गई	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	0	0	31	19	4	1	6	4	1	2	4	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वर्ष 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2016 to 31.12.2016

अनुबंध IV / Annexure IV

(ख) पदोन्नति से भरे गए पद (01.01.2016 से 31.12.2016) / (B) Posts filled by promotion (01.01.2016 to 31.12.2016)

पद की श्रेणी Class of Posts	रिक्तियों की कुल संख्या Total Number of Vacancies		रिक्तियों की संख्या कॉलम (2) में से No. of Vacancies Out of Col. (2)		अजा/अजजा के लिए आरक्षित कॉलम (3) में से Reserved for SC/ST Out of Col.(3)		अजा/अजजा के पदोन्नत उम्मीदवारों की संख्या No. of SC/ST Candidates promoted		पिछले वर्ष से आगे लाई गई अजा/अजजा की रिक्तियों की संख्या No. of SC/STs vacancies carried forward from the previous year		आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष में अजा के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर पदोन्नत अजजा की संख्या व इसके विपरीत No. of STs promoted against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward and vice versa		तीन वर्षों तक आगे लाए जाने के बाद व्यपगत रिक्तियों की संख्या No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years		अगले वर्ष के लिए आगे जाने वाली रिक्तियों की संख्या No. of vacancies carried forward to next year	
	अधिसूचित Notified	भरी गई Filled	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST	अजा SC	अजजा ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	60	51	11	4	8	4	10	4	1	0	0	0	0	0	3	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	56	46	9	5	3	3	4	3	0	1	0	0	0	0	5	2
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सी एस आर के अंतर्गत चेन्नई में सरकारी अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए।
Medical equipments provided to Government Hospitals in Chennai under CSR.

सी एस आर के अंतर्गत गरीब मरीजों के उपचार हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को 50 लाख रु का चेक प्रदान करते हुए।
Cheque for ₹ 50 Lakhs being handed over to Tata Memorial Hospital for treatement of poor patients under CSR.

पालघर जिले में ईसीजीसी द्वारा 6 जलदूतों को आरंभ किया गया।
Launch of 6 Jaldhoots by ECGC for Vilage in Palghar district.

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सी एस आर गतिविधि।
CSR activity under Swachh Bharat Mission.

सी एस आर के अंतर्गत विशेष छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए का.नि.।
ED handing over scholarships to special children under CSR.

सी एस आर के अंतर्गत नांदेड़ में स्कूल के छात्रों को सोलर लालटेन का वितरण।
Distribution of solar lanterns to students of schools in Nanded district under CSR.

कंपनी शासन
CORPORATE GOVERNANCE

अनुबंध II

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

निदेशक मण्डल

कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 निदेशक हों व जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े लोग शामिल होते हैं। आज की तारीख़ तक बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के तेरह स्थानों में से चार स्थान रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

Annexure II

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/ procedures are framed conforming to legal and to ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, four of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to Board that they fulfil all the requirements as to qualify for their appointment as an independent Director under the provision of the Companies Act, 2013.

31 मार्च 2017 तक निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तारीख़ तथा श्रेणियाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया गया का विवरण **सारणी 1** में उल्लेखित है:

The names of Directors on the Board as on 31/03/2017 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1 / Table 1

क्र सं Sr.No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख़ Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	बी.एस.सी., एम.कॉम (बैंकिंग एवं बीमा), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तथा इन्टरनेशनल बिज़नेस ऑपरेशन्स	23/06/2015	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
1.	Smt. Geetha Muralidhar	B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance), PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations	23/06/2015	Chairman-cum-Managing Director
2.	श्री सुनील कुमार	एम ए (समाज शास्त्र)	17/08/2016	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
2.	Shri Sunil Kumar	M.A (Sociology)	17/08/2016	Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	बी.टेक., एम.बी.ए., पीएच.डी.	03/11/2014	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)
3.	Dr. Saurabh Garg	B.Tech., MBA, Ph.D.	03/11/2014	Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
4.	श्रीमती मीना हेमचंद्र	एम.ए. (अर्थशास्त्र), सी.एफ.ए	06/07/2015	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
4.	Smt. Meena Hemchandra	M.A. (Economics), CFA	06/07/2015	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
5.	श्री राजीव ऋषि	बी ए, एल एल बी	06/09/2016	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
5.	Shri Rajeev Rishi	BA, LLB	06/09/2016	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
6.	श्री अरुण तिवारी	एम एस सी (रसायन शास्त्र), कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोर्स	06/09/2016	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
6.	Shri Arun Tiwari	M.Sc (Chemistry), Course in Computer Programming	06/09/2016	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
7.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	एम.ए. (अँग्रेजी साहित्य.), एफ़.आई.आई.आई	08/02/2016	पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
7.	Smt. Alice G. Vaidyan	M.A. (Engl. Lit.), FIII	08/02/2016	Ex-Officio Non- Executive Part- Time Non-Government Director
8.	श्री एस.सी. रल्हन	बी.ए., मैकेनिकल इंजीनियरिंग	16/06/2015 (दिनांक 01/04/2017 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
8.	Shri S. C. Ralhan	B.A., Mechanical Engineering	16/06/2015 (ceased to be a Director w.e.f. 01/04/2017)	Ex-Officio Non- Executive Part- Time Non-Government Director
9.	श्री माणेक एरुच दावर	बी ए (ऑ)	30/01/2017	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
9.	Shri Maneck Eruch Davar	B.A (Hons)	30/01/2017	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
10.	श्रीमती सरनला मालती रानी	बी एस सी (बी जेड सी) बी एल (बैचलर ऑफ लॉ) आई आर पी एम	16/02/2017	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
10.	Smt. Saranala Malathi Rani	B.Sc(BZC), B.L(Bachelor of Law), IRPM	16/02/2017	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11.	श्री एम. सेंथिलनाथन	बी.एससी., एम.बी.ए	30/12/2015	कार्यपालक निदेशक
11.	Shri M. Senthilnathan	B.Sc., MBA	30/12/2015	Executive Director
12.	डॉ. गुरुप्रसाद मोहापात्रा	एम.ए (राजनीति विज्ञान), एम. फिल., एमबीए (लोक नीति), पीएच.डी.	01/12/2015 (दिनांक 18/07/2016 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
12.	Dr. Guruprasad Mohapatra	M.A.(Political Science), M. Phil, MBA(Public Policy), Ph.D	01/12/2015 (ceased to be a Director w.e.f. 18/07/2016)	Non-Executive Part-Time Government Director(Ministry of Commerce & Industry, GOI)
13.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	बी.ए., एमबीए (वित्त)	13/05/2014 (दिनांक 05/02/2016 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	पदेन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
13.	Shri Yaduvendra Mathur	B.A., MBA(Finance)	13/05/2014 (ceased to be a Director w.e.f. 15/02/2017)	Ex-Officio Non-Government Part- Time Director

नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1. **श्री सुनील कुमार**, आई ए एस अधिकारी उ प्र संवर्ग 1987 बैच, ने दिनांक 30.07.2016 से वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव का प्रभार संभाला है। वे दिनांक 17.08.2016 से कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं।

2. **श्री राजीव ऋषि**, दिनांक 01.08.2013 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। वर्तमान में उन्होने इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि, इंडिया इंफ्रास्ट्रकचर फाइनेन्स कं लि, एक्ज़िम बैंक, एन सी जी टी सी के बोर्ड के सदस्य के अलावा इंडियंस बैंक्स असोसियेशन के अध्यक्ष का भी पद धारण किया है इसके अलावा वे आई बी पी एस व भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान में भी विभिन्न पदों पर आसीन हैं। इसके पहले वे इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर थे।

   श्री ऋषि ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना बैंकिंग करियर का आरंभ किया था। पिछले तीन दशकों के दौरान उन्होने ओरिएंटल बैंक में विभिन्न पदों तथा स्थलों पर कार्य किया।

   वे युनिवर्सिटी रैंक धारक रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट प्राप्त छात्र रहे हैं तथा पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से कानून की स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। खेलों में भी उनकी रुचि है तथा उन्होने टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का एवं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग मीट में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है।

3. **श्री अरुण तिवारी** दिनांक 26.12.2013 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ वे एक व्यावसायिक बैंकर हैं उनके पास बैंकिंग व वित्त के विभिन्न क्षेत्रों तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 38 वर्षों का व्यापक अनुभव है। यूनियन बैंक में कार्यग्रहण करने के पहले वे दिनांक 18.06.2012 से ईलाहाबाद बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है जिसमें उन्होने ऋण, ऋण निगरानी, मा सं, सू प्रौ, जोखिम प्रबंधन, वित्त व लेखा, सतर्कता, शाखा विस्तार व सहायक सेवाओं को संभाला है। उन्होने ऑल बैंक फाइनेन्स लि तथा भारतीय साधारण बीमा निगम (जी आई सी आर ई) के भी बोर्ड के निदेशक रह चुके हैं।

   वर्तमान में वे बैंक की विदेशी सहयोगी शाखा यथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू के) लि के अध्यक्ष हैं तथा यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टार यूनियन डाइ-इच्ची लाइफ इन्श्युरंस

BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS:-

1. **Shri Sunil Kumar,** IAS Officer of 1987 batch UP cadre has took charge as Joint Secretary, Department of Commerce in the Ministry of Commerce & Industry with effect from 30/07/2016. He joined as Director on the Board of the Company on 17/08/2016.

2. **Shri Rajeev Rishi** joined the Central Bank of India as Chairman and Managing Director with effect from 01/08/2013. Currently he is also holding the position of Chairman, Indian Banks' Association besides being on the Boards of Indo Zambia Bank Ltd., India Infrastructure Finance Co. Ltd., EXIM Bank, NCGTC as also on various committees of IBPS & Indian Institute of Banking and Finance. Prior to that he was the Executive Director of Indian Bank.

   Shri Rishi started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer. He served for over three decades in Oriental Bank in various positions and geographies.

   He has been a University Rank Holder, national Merit Scholar and is a law graduate from Punjab University, Chandigarh. He is a sport enthusiast and has represented his College in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating meet.

3. **Shri Arun Tiwari** is the Chairman and Managing Director of Union Bank of India since 26/12/2013. A postgraduate in Chemistry, Shri Tiwari, a career Banker with 38 years of rich banking experience has extensive knowledge in area as diverse as banking & finance and computer programming. Before joining Union Bank of India, Shri Tiwari was Executive Director in Allahabad Bank from 18/06/2012 and handled the portfolio of Credit, Credit Monitoring, HR, IT, Risk Management, Finance & Accounts, Vigilance, Branch Expansion & Support Services. He has also served as Director on the Board of AllBank Finance Ltd. and General Insurance Corporation of India (GIC Re). Presently, he is the Chairman of Bank's overseas subsidiary i.e. Union Bank of India (UK) Ltd and Director on the Boards of Union Asset Management company, Star Union Dai-ichchi Life Insurance Company, ECGC Ltd. and New India Assurance Company Ltd. Shri Arun Tiwari is the Vice-Chairman of Indian Banks' Association,

कं, ई सी जी सी लि तथा न्यू इंडिया एश्युरंस कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं। श्री अरुण तिवारी भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष हैं तथा जोखिम प्रबंधन व बेसल कार्यान्वयन पर भा बैं सं के अध्यक्ष भी हैं। वे भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान के शासी परिषद तथा नाबार्ड की 'वित्तीय समावेशन निधि' के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं।

4. **श्री माणेक एरुच डावर**, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, स्पेंटा मल्टीमीडिया प्रा लि का प्रिंट पत्रकारिता तथा प्रकाशन में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, जिसके दौरान उन्होने कई प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं - जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्स्प्रेस, स्टेट्समेन, मिड डे तथा इंडिया टूडे आदि के लिए लिखा एवं कार्य किया।

   श्री माणेक, वर्तमान में काला घोड़ा एसोसिएशन के मा. अध्यक्ष, मेक ए विश फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रबन्धक ट्रस्टी, सोसाइटी फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चिलड्रन इन वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष व ट्रस्टी, सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल डेव्लपमेंट (एस एच ई डी) के कार्यकारी अध्यक्ष, अपने आप, वूमेंस कलेक्टिव के मा. सचिव का कार्यभार / पदभार संभाले हुए हैं। यह सेवा रिपोर्ट संवर्धन परिषद की शासी परिषद में हैं एवं इसकी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं।

5. **श्रीमती सरनला मालती रानी**, विज्ञान, कानून तथा आई आर पी एम में स्नातक हैं। वे समाज के कमजोर तबकों मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कानूनी सहायता संबंधी कानूनी जागरूकता जैसे सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं; ग्रामीण इलाकों में गरीब व बेसहारा लोगों के लिए लॉयंस क्लब की सहायता से चिकित्सा कैंप आयोजित करती हैं। उन्हें आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात नव्यान्धरा प्रदेश में 3 री बार महिला मोर्चा राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशकों के लिए परिचय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची के साथ उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं।

निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का

and also Chairman of IBA Standing Committee on Risk Management & Basel implementation. He is also a member of the Governing Council of Indian Institute of Banking & Finance and Advisory Board of "Financial Inclusion Fund's of NABARD, constituted by Government of India.

4. **Shri Maneck Eruch Davar**, Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd. has almost 40 years experience in print journalism and publishing, having written for and worked with major Indian newspapers and magazines - The Times of India, Indian Express, Statesman, Midday and India Today.

   Shri Maneck, at present, is the Hon. Chairman of Kala Ghoda Association, Managing Trustee - Make-A-Wish Foundation of India, Chairman & Trustee - The Society for the Protection of Children in Western India, Acting President - Society for Human and Environmental Development (SHED), Hon. Secretary - Apne Aap Women's Collective. He is on the Governing Council of the Services Export Promotion Council (SEPC) and Chairman of its Finance Committee.

5. **Smt. Saranala Malathi Rani,** having degree in Science, law and IRPM. She actively participates in social issues like legal awareness among the weaker sections of the society especially for women legal aid seekers; organising medical camps with aid of Lions club in villages and slum areas for poor and destitute patients. She was appointed Mahila Morcha State President 3rd time in Navyandhra Pradesh after bifurcation of Andhra Pradesh.

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/ rules/regulations including Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable Guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director and the Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various Sectors/Departments of the Company,

प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों / विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों / भारत सरकार, जैसे लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले की संबंधी विभिन्न बोर्ड प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है। कंपनी के अधिकांश निदेशकों, जो कि सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों / बैंकों आदि में वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं, की व्यस्तता के कारण कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी उन्हें प्रशिक्षण देने में असमर्थ है। सभी निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों के दौरान कंपनी शासन तथा कंपनी के अन्य लागू नियमों तथा विनियमों से संबन्धित विभिन्न प्रावधानों पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के परिचालानों पर नए निदेशकों को अपडेट करने सहित निदेशकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :-

1) श्री राजीव ऋषि तथा श्री अरुण तिवारी को दिनांक 04.10.2017 को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया।

2) श्री माणेक एरुच डावर तथा श्रीमती सरनला मालती रानी (स्वतंत्र निदेशक) ने दिनांक 27.02.2017 से 29.02.2017 तक रायपुर में लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के नव नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की क्षमता निर्माण हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार मिलना आवश्यक है कि दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल न हो। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल छह बैठकें आयोजित की गयी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण निम्नलिखित **सारणी 2** में उल्लिखित है :-

including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board related practices and orientation programmes, etc. conducted by various Institutes of repute/ Government of India, such as Department of Public Enterprises. Due to busy schedule of most of the Directors of the Company, who are holding very senior positions either in the Government Departments/ public sector companies/ banks, the Company is unable to impart training to them as per policy of the Company. All the Directors are regularly updated on the various provisions related to Corporate Governance and other applicable rules and regulations of the Company during Board/Committee Meetings.

Details of training imparted to new Directors during FY 2016-17 including updating them on Company operations etc. are as follows:

1) Shri Rajeev Rishi and Shri Arun Tiwari, were given a brief description of the Company by the Senior Management at the Registered Office of the Company on 04/10/2017.

2) Shri Maneck Eruch Davar and Smt. Saranala Malathi Rani,(Independent Directors), attended "Orientation Programme for capacity building of newly appointed Independent Directors of CPSEs" organized by the Department of Public Enterprises at Raipur from 27/02/2017 to 29/02/ 2017.

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2016-17

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, as per the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. There were six meetings held during the FY 2016-17. Details of the Meetings of the Board of Directors held during the FY 2016-17 are furnished below in **Table 2:**

सारणी 2

क्रम सं.	बैठक सं.	बैठकों की तारीख	मण्डल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	402	13/04/2016	8	6
2.	403	18/05/2016	8	5
3.	404	10/08/2016	7	5
4.	405	07/11/2016	10	7
5.	406	03/02/2017	11	8
6.	407	23/03/2017	11	7

दिनांक 31 मार्च 2017 तक बोर्ड बैठकों, वार्षिक साधारण बैठकों तथा अन्य निदेशक बैठकों की सं तथा उसमें उपस्थिती संबंधी विवरण (**सारणी 3**)

सारणी 3

क्र सं	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिती / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं	दिनांक 16 अगस्त 2016 को आयोजित 58वीं वा सा बै में उपस्थिती	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	6/6	नहीं	1
2.	श्री सुनील कुमार	3/3	लागू नहीं	0
3.	डॉ सौरभ गर्ग	3/6	नहीं	1
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	2/6	नहीं	0
5.	श्री राजीव ऋषि	2/3	नहीं	2
6.	श्री अरुण तिवारी	2/3	नहीं	4
7.	श्रीमती एलिस जी वैद्यन	4/6	नहीं	3
8.	श्री एस सी रलहन	2/6	नहीं	0
9.	श्रीमती सरनला मालती रानी	1/1	लागू नहीं	0
10.	श्री माणेक एरुच डावर	2/2	लागू नहीं	0
11.	श्री एम सेंथिलनाथन	6/6	हाँ	0
12.	डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	2/2	लागू नहीं	0
13.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	3/5	हाँ	2

* कंपनी अधिनियम 2013 की अधीन पंजीकृत कंपनी में निदेशकों की बैठक में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा कंपनी अधिनियम 203 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों की बैठके शामिल नहीं होती हैं।

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	402	13/04/2016	8	6
2.	403	18/05/2016	8	5
3.	404	10/08/2016	7	5
4.	405	07/11/2016	10	7
5.	406	03/02/2017	11	8
6.	407	23/03/2017	11	7

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS ON MARCH 31, 2017(Table 3)

Table 3

Sr. No.	Name of Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure	Attendance at the 58th AGM held on August 16, 2016	No. of other Directorships held *
1.	Smt. Geetha Muralidhar	6/6	No	1
2.	Shri Sunil Kumar	3/3	NA	0
3.	Dr. Saurabh Garg	3/6	No	1
4.	Smt. Meena Hemchandra	2/6	No	0
5.	Shri Rajeev Rishi	2/3	No	2
6.	Shri Arun Tiwari	2/3	No	4
7.	Smt. Alice G. Vaidyan	4/6	No	3
8.	Shri S. C. Ralhan	2/6	No	0
9.	Smt. Saranala Malathi Rani	1/1	NA	0
10.	Shri Maneck Eruch Davar	2/2	NA	0
11.	Shri M. Senthilnathan	6/6	Yes	0
12.	Dr. Guruprasad Mohapatra	2/2	NA	0
13.	Shri Yaduvendra Mathur	3/5	Yes	2

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2016-17 में, 17.08.2016, 07.11.2016 तथा 23.03.2017 को पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31.03.2017 तक लेखा परीक्षा समिति में नौ गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। दिनांक 13.04.2016 तथा दिनांक 10.08.2016 को सम्पन्न बैठकों की अध्यक्षता श्री यदुवेन्द्र माथुर ने की। दिनांक 18.05.2016 तथा दिनांक 07.11.2016 को सम्पन्न बैठकों की अध्यक्षता श्री एस सी रल्हन ने की। श्रीमती एलिस जी वैद्यन तथा श्री माणेक एरुच डावर ने क्रमश: दिनांक 03.02.2017 तथा दिनांक 23.03.2017 को आयोजित बैठकों की अध्यक्षता की। श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी की कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति की भी सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के कुल लेखा परीक्षा कार्यों, जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/ बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सीएंडएजी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख है। लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित भूमिका पूर्ण रूप से अदा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा समिति की दि. 13.04.2016, 18.05.2016, 10.08.2016, 07.11.2016, 03.02.2017 तथा 23.03.2017 को छह बार बैठक हुई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नानुसार **सारणी 4** में दर्शाये गए हैं :-

सारणी 4

क्र सं	निदेशकों के नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
1.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016	3/3
2.	डॉ सौरभ गर्ग	10/11/2014	1/6
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015	2/6
4.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016	1/2
5.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016	1/2
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	4/6
7.	श्री एस सी रल्हन	11/02/2016 (01/04/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/6
8.	श्री माणेक एरुच डावर	22/03/2017	1/1

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been reconstituted on 17/08/2016, 07/11/2016 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. As on 31/03/2017, the Audit Committee of the Company comprises of nine Non-Executive Directors. Shri Yaduvendra Mathur was the Chairman of the Audit Committee for the meetings held on 13/04/2016 and 10/08/2016. Shri S.C. Ralhan was the Chairman of the Audit Committee for the meetings held on 18/05/2016 and 07/11/2016. Smt. Alice G. Vaidyan and Shri Maneck Eruch Davar were the Chairman of the Audit Committee meetings held on 03/02/2017 and 23/03/2017 respectively. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. total audit functions shall imply supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory / external auditors of the Company and C&AG of India. The Audit Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met six times, on 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in **Table 4:**

Table 4

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016	3/3
2.	Dr. Saurabh Garg	10/11/2014	1/6
3.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015	2/6
4.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016	1/2
5.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016	1/2
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	4/6
7.	Shri S. C. Ralhan	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 01/04/2017)	2/6

क्र सं	निदेशकों के नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
9.	श्रीमती सरनला मालती रानी	22/03/2017	1/1
10.	डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दि. 18/07/2016 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/2
11.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दिनांक 15/02/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/5

निवेश समिति - संगठन और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन, 17.08.2016 और 07.11.2016को किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश समिति दिनांक 13.04.2016, 18.05.2016, 10.08.2016, 07.11.2016 03.02.2017 तथा 23.03.2017 को छह बार बैठक आयोजित की गयी। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नलिखित **सारणी 5** में दर्शाया गया है:-

सारणी 5

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	23/06/2015	6/6
2.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016	3/3
3.	डॉ सौरभ गर्ग	10/11/2014	1/6
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015	1/6
5.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016	1/2
6.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016	1/2
7.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	4/6
8.	श्री एम सेंथिलनाथन	11/02/2016	6/6
9.	श्री संदीप मुखर्जी	दि 21/07/2015 से मुख्य निवेश अधिकारी	6/6
10.	श्री सी एन ए अंबरसन	दि 13/10/2015 मु वि अ के रूप में नियुक्त	6/6
11.	श्री राजीव मानवी	10/08/2016 मु जो अ के रूप में नियुक्त	2/3
12.	श्रीमती योगिता अरोरा	दि 07/02/2017 से नियुक्त बीमांकिक के रूप में नियुक्त	1/1

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
8.	Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017	1/1
9.	Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017	1/1
10.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 18/07/2016)	2/2
11.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f. 15/02/2017)	3/5

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on 17/08/2016, and 07/11/2016 during the FY 2016-17. The Investment Committee met six times, on 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in **Table 5:**

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors/ Members	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/Total no. of meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	6/6
2.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016	3/3
3.	Dr. Saurabh Garg	10/11/2014	1/6
4.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015	1/6
5.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016	1/2
6.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016	1/2
7.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	4/6
8.	Shri M. Senthilnathan	11/02/2016	6/6
9.	Shri Sandeep Mukherjee	As Chief Investment Officer w.e.f. 21/07/2015	6/6
10.	Shri C N A Anbarasan	As CFO w.e.f. 13/10/2015	6/6
11.	Shri Rajiv P. Manavi	As CRO w.e.f. 10/08/2016	2/3
12.	Smt. Yogita Arora	As Appointed Actuary w.e.f. 07/02/2017	1/1

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
13.	डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दि 18/07/2016 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/2
14.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दि. 15/02/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/5
15.	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	दि. 10/08/2015 से नियुक्त बीमांकिक (दि. 26/08/2016 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/3

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन, 17/08/2016, 07/11/2016 तथा 22/03/2017 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 तथा 23/03/2017 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की छह बैठकें सम्पन्न हुई। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित **सारणी 6** में दर्शाया गया है :

सारणी 6

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	23/06/2015	6/6
2.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016	3/3
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015	1/6
4.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016	1/2
5.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016	1/2
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	4/6
7.	श्री एस सी रल्हन	15/07/2015 (दि 01/04/2017 से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/6
8.	श्री माणेक एरुच डावर	22/03/2017	1/1
9.	श्रीमती सरनला मालती रानी	22/03/2017	1/1
10.	श्री एम सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5

Sr. No.	Name of the Directors/ Members	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/Total no. of meetings held during his/her tenure
13.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 18/07/2016)	2/2
14.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f. 15/02/2017)	3/5
15.	Smt. Priscilla Sinha	As Appointed Actuary w.e.f. 10/08/2015 (ceased to be a Member w.e.f. 26/08/2016)	3/3

POLICYHOLDERS' INTEREST PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee of the Company has been re-constituted on 17/08/2016, 07/11/2016 and 22/03/2017 for the FY 2016-17. The Policyholders' Interest Protection Committee met six times, on 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished below in **Table 6:**

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	6/6
2.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016	3/3
3.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015	1/6
4.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016	1/2
5.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016	1/2
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	4/6
7.	Shri S. C. Ralhan	15/07/2015 (ceased to be a Member w.e.f. 01/04/2017)	2/6
8.	Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017	1/1
9.	Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017	1/1
10.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
11.	डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दि18/07/2016 से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/2
12.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दि 15/02/2017 से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/5

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
11.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 18/07/2016)	2/2
12.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f. 15/02/2017)	3/5

जोखिम प्रबंधन समिति- संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 को किया गया I वित्तीय वर्ष 2016-17 में जोखिम प्रबंधन समिति की छ बैठकें 06.05.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 और 11.02.2016 को हुईं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण **सारणी 7** में दर्शाया गया है:

सारणी 7

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	23/06/2015	6/6
2.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016	3/3
3.	डॉ सौरभ गर्ग	10/11/2014	2/6
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015	1/6
5.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016	1/2
6.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016	1/2
7.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	4/6
8.	श्री एम सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5
9.	डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दि 18/07/2016 से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/2
10.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दि 15/02/2017 से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/5

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, दिनांक 17/08/2016 तथा 07/11/2016, को किया गया। एन.सी.आर. की कोई भी बैठक

RISK MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on 17/08/2016 and 07/11/2016 during the FY 2016-17. The Risk Management Committee met six times, on 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee meetings are furnished below in **Table 7:**

Table 7

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	6/6
2.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016	3/3
3.	Dr. Saurabh Garg	10/11/2014	2/6
4.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015	1/6
5.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016	1/2
6.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016	1/2
7.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	4/6
8.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
9.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 18/07/2016)	2/2
10.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f. 15/02/2017)	3/5

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Company has been reconstituted on 17/08/2016 and 07/11/2016, during the FY 2016-17. No meeting of the NRC was held during the FY 2016-17. The details of the Members

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित नही की गयी। एन.सी. आर. के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित **सारणी 8** में दर्शाया गया है:

सारणी 8

क्र सं	निदेशकों के नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016
2.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015
3.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016
4.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016
5.	श्रीमती एलिस जी वैद्यन	11/02/2016
6.	श्री एम सेंथिलनाथन	13/04/2016
7.	डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दिनांक 18/07/2016 से कार्यकाल समाप्त हुआ)
8.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दि15/02/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफ़ारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित आरओसी के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भा स द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों / उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होंगे। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे ((i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) अध्यक्ष, एक्ज़िम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक को छोड़कर भारत सरकार के निर्देशों / सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड / समितियों की बैठकों में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शुल्क के पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी रु 10,000/- रु प्रति बोर्ड बैठक तथा रु 5,000/- रु प्रति समिति बैठक के हिसाब से अदायगी कर रही है)। ईसीजीसी लि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार के कमीशन की अदायगी नहीं की है। कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार का स्टॉक

of the NRC are furnished below in **Table 8**.

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member
1.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016
2.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015
3.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016
4.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016
5.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016
6.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016
7.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f.18/07/2016)
8.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f.15/02/2017)

ECGC is a 100% Government of India (GOI) owned Company. Appointment of all Directors including CMD is done by the President of India as per recommendation of Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry as per Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with ROC including informing IRDAI. Remuneration of Whole Time Director is fixed by GOI.

The Government Nominee Directors are appointed(as Non-Executive Part-Time Government Director) by Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration / sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government

Directors(Independent Directors) are appointed by the GOI and they(excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman, EXIM Bank (iii) Chairman and Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman /Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹5000 for each Committee Meeting). The Pay Scales and allowances of Staff and Officers of ECGC Ltd. are approved by the Government of India.

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any

विकल्प नहीं प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के संव्यवहारों में किसी भी निदेशक का व्यक्तिगत / आर्थिक हित निहित नहीं था।

निगम सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) एवं धारणीय विकास (एस.डी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी. एस. आर. और एस. डी. परियोजनाओं की मोनिटरिंग के लिए सी.एस.आर. और एस.डी. हेतु एक समिति का गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, 17/08/2016, 07/11/2016 तथा 23/03/2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 13.04.2016 तथा 18.05.2016 को आयोजित सी एस आर तथा एस डी बैठकों की अध्यक्षता क्रमशः श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा श्री एस सी रल्हन ने की। दिनांक 10 अगस्त 2016 को आयोजित सी एस आर व एस डी की बैठकों की अध्यक्षता श्रीमती गीता मुरलीधर ने की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सी एस आर व एस समिति की दिनांक 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 तथा 23/03/2017 को छह बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिती संबंधी विवरण **सारणी 9** में दर्शाये गए हैं।

सारणी 9

क्र सं.	निदेशक / सदस्यों का नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों / बैठकों में उपस्थिती की सं
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	15/07/2015	6/6
2.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016	3/3
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15/07/2015	1/6
4.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016	1/2
5.	श्री अरुण तिवारी	07/11/2016	1/2
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	4/6
7.	श्री एस सी रल्हन	15/07/2015 (दि 01/04/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/6
8.	श्री माणेक एरुच डावर	23/03/2017	0/0
9.	श्रीमती सरनाला मालती रानी	23/03/2017	0/0
10.	श्री एम सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5
11.	डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11/02/2016 (दि18/07/2016 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	2/2
12.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13/05/2014 (दि15/02/2017 से कार्यकाल समाप्त हुआ)	3/5

pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2016-17.

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) PROJECTS:

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 17/08/2016, 07/11/2016 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. Shri Yaduvendra Mathur and Shri S. C. Ralhan were the Chairman of Committee on the CSR & SD for the meeting held on 13/04/2016 and 18/05/2016 respectively. Smt. Geetha Muralidhar was appointed as the Chairman of Committee on CSR & SD for the meetings held from August 10, 2016. The Committee on CSR & SD met six times, on 13/04/2016, 18/05/2016, 10/08/2016, 07/11/2016, 03/02/2017 and 23/03/2017 during the FY 2016-17. The details of the attendance of the Directors at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in **Table 9.**

Table 9

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	15/07/2015	6/6
2.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016	3/3
3.	Smt. Meena Hemchandra	15/07/2015	1/6
4.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016	1/2
5.	Shri Arun Tiwari	07/11/2016	1/2
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	4/6
7.	Shri S. C. Ralhan	15/07/2015 (ceased to be a Member w.e.f. 01/04/2017)	2/6
8.	Shri Maneck Eruch Davar	23/03/2017	0/0
9.	Smt. Saranala Malathi Rani	23/03/2017	0/0
10.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
11.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11/02/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 18/07/2016)	2/2
12.	Shri Yaduvendra Mathur	13/05/2014 (ceased to be a Member w.e.f. 15/02/2017)	3/5

निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है। अ प्र नि सहित हमारे अधिकांश निदेशक सा क्षे उ अथवा सा क्षे बैं से हैं। तद्नुसार मानदंडों के अनुसार उनका मूल्यांकन संबन्धित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (भा स) के साथ किए गए स ज्ञा के जरिये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों / मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) हमारे संबन्धित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों / ग्रेड पर आधारित होती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ल उ वि द्वारा दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 07.11.2016 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के बीच आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो कि बोर्ड द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न **सारणी 10** में उल्लिखित है :-

सारणी 10

क्र सं.	वित्तीय वर्ष	वा सा बैठकों की सं	दिनांक व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो
1	2013-14	56	27, जून 2014 1500 बजे	उद्योग भवन, नयी दिल्ली	2
2	2014-15	EGM	16, जनवरी 2015 1000 बजे	एक्सप्रेस टावर्स	2
3	2014-15	57	11, जून 2015 1145 बजे	उद्योग भवन, नयी दिल्ली	कुछ नहीं
4	2015-16	58	16, अगस्त 2016 1415 बजे	उद्योग भवन, नयी दिल्ली	कुछ नहीं

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS' AND THE BOARD AND MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated 05/06/2015 has exempted Government Companies from the provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013. As per the notification, evaluation of Board of Directors and that of its Committees and individual Directors shall not apply to Government Companies in case the Directors are evaluated by the Ministry of the Central Government or by the State Government as per its own evaluation methodology. Most of our Directors are head of PSU or PSB including our CMD. Accordingly their evaluations are done by respective Ministry as per norms.

In our case such evaluation is done through Annual MOU with Department of Public Enterprises (GOI) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. Our Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on mark/grade obtained in such evaluation by our respective Ministry.

During the FY 2016-17, the Independent Directors met on 07/11/2016 as per requirement of DPE guidelines Office Memorandum dated 20/06/2013, inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 10:**

Table 10

Sr. No.	Financial Year	No. of AGM	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed, if any
1	2013-14	56	June 27, 2014 1500 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	2
2	2014-15	EGM	January 16, 2015 1000 Hours	Express Towers, Mumbai	2
3	2014-15	57	June 11, 2015 1145 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
4	2015-16	58	August 16, 2016 1415 Hrs	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL

कारोबार आचार संहिता और नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता और नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित सन्निहित हो।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन होता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के सज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य / अनैतिक /अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें स्टाम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु **7,20,500** रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत **4,46,710** रुपए का दंड लगाया था, कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है।

तथपि, दिनांक 22.01.2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष हमने दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी तक हमे सुनवाई का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इस लिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except by Stamp Office, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710 (Rupees Four Lakhs Forty Six Thousand Seven Hundred Ten Only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

However, we have represented our case on 22/01/2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. We have not yet received any notice for hearing.

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

शेयरधारकों की जानकारी

(1) वार्षिक साधारण बैठकः 59 वीं वार्षिक साधारण बैठक दि 10, अगस्त 2017 at 1700 बजे नयी दिल्ली में होगी.

(2) 31 मार्च 2017 को शेयर धारण का स्वरूपः कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 14,50,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमे कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।

(3) (ग) पत्राचार का पताःश्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व मे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) एक्सप्रेस टावर, 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.Email-cs@ecgc.in.

संपर्क के माध्यम

- वेबसाइटः कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर 'हमारे बारे में' खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूज़र फ्रैंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप मे उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणामः वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर पोस्ट किए जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट :

वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो सदस्यों तथा अन्य प्राधिकृत व्यकित्यों में परिचालित की जाती हैं। प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण (एम.डी.एवं ए.) रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई 2017

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The 59th Annual General Meeting is scheduled to be held on August 10, 2017 at 1700 hours at New Delhi.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2017: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 14,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.), Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-cs@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.

Annual Report:

The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 25, 2017

कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मै स्मिता वी. पंडित एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक:25 मई 2017

अनुबंध III

कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

1. हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित एवं सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ मे कंपनी के सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी ने लोक उपक्रम विभाग(डी पी ई)के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 मे अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी मे सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग **05,03,45,056** रु का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा **TISS** के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्र की स्थापना एम-वार्डे, वाशी नाका और माहुल गाँव मे की गई जिसका लक्ष्य वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करने के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियों भी उपलब्ध कराना है। बोर्ड ने 150 दिव्यंगों तथा 600 वंचित वर्ग के हाईस्कूल छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को भी मंजूरी दी है । दो अन्य प्रोजेक्ट यथा जिला नांदेड़ के गाँवों में छात्रों को ऊर्जा संरक्षी यंत्र(सोलर लालटेन) उपलब्ध कराना और जिला पालघर, महाराष्ट्र के गाँव मे स्वच्छ पेयजल(जल दूत) को उपलब्ध करने का कार्य ईसीजीसी ने विज्ञान और प्रौधोगिकी पार्क(एसटीपी) पुणे के सहयोग से अपने हाथ मे लिया है।एसटीपी पुणे इसमे प्रोजेक्ट लीडर के रूप मे कार्यरत है और ये कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कंपनी ने, नवजात मृत्यु-दर को कम करने के उद्देश्य से तमिलनाडू के 6 सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराएं हैं तथा सरकारी अस्पतालों की नर्सों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से चार कौशल स्वास्थ्य लैब का स्थापित की है, दोनों ही प्रोजेक्ट की

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: May 25, 2017

Annexure III

DETAILS OF POLICY DEVEOLPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

1. A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CSR POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

Company has adopted revised DPE guideline on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of Board has been constituted to monitor the CSR activities of the Company. An aggregate amount of ₹5,03,45,056/- was spent on CSR activities of the Company during FY 2016-17. The Company has set up five Community Study Centers in M-Ward, Vashi Naka, Mahul village, Mumbai through TISS aimed at providing curriculum based education as well as a extracurricular activities for the overall development of the underprivileged students. The Board has approved distribution of scholarship to 150 differently abled students and 600 underprivileged high school students. Two projects viz., providing Energy Saving Devices (Solar lantern) to students in villages of Nanded District, Maharashtra and providing Safe drinking water (Jal Dhoot) in the villages of Palghar District Maharashtra have been undertaken by ECGC with Science & Technology Park (STP) Pune as Project Implementing Agency. Under health care, the Company has provided Medical equipment to six Government Hospitals in Tamil Nadu to bring down infant mortality rate and has set up four skill health labs for providing training to nurses of Government Hospitals, both the projects are monitored by Ekam Foundation. An amount of ₹51.96 Lakhs has been set

देखरेख एकम् फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। विवेकानंद केंद्र के तत्वाधान में पूर्वोत्तर हेतु अनुमोदित दो प्रोजेक्ट के लिए 51.96 करोड़ रु की राशि अलग से रख दी गयी है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की सीएसआर समिति में श्रीमती गीता मुरलीधर, अ.प्र.नि., ईसीजीसी, श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय,; श्रीमती मीना हेमचन्द्र, ई.डी.,आर.बी.आई.; श्री राजीव ऋषि, अ.प्र.नि., सी.बी.आई., श्री अरुण तिवारी, अ.प्र.नि., यू.बी. आई.,; श्रीमती एलिस जी. वैद्यन, अ.प्र.नि., जीआईसी; श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ़आईईओ; श्री मानेक इरुच डावर, अ.प्र.नि., स्पेन्टा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक तथा श्री एम. सेंथिलनाथन, का.नि., ईसीजीसी, सदस्य रूप में डीपीई के 01.04.2014 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। सीएसआर पॉलिसी के तहत वरिष्ठ कार्यपालकों की एक आंतरिक समिति का भी गठन किया गया है।

3. कंपनी की अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में) ₹
2013-14	543.82
2014-15	250.42
2015-16	387.85
औसत लाभ	393.85

4. विहित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में यथा प्रदत्त राशि का 2%)

वित्तीय वर्ष	बजट का आबंटन(करोड़ में) ₹
2014-15	7.72
2015-16	7.60
2016-17	7.90

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए खर्च का विवरण

(अ) वित्तीय वर्ष मे कुल खर्च की जाने वाली राशि
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि 7.90 करोड़ रु.

(ब) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो;
वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च न की गयी राशि 5.31 करोड़ रु.

aside for two projects approved for execution in the North East by Vivekananda Kendra.

2. THE COMPOSITION OF CSR COMMITTEE :

CSR Committee of Board comprising of Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC, Shri Sunil Kumar, JS, MOC&I, Smt. Meena Hemchandra, ED, RBI, Shri Rajeev Rishi, CMD, CBI, Shri Arun Tiwari, CMD, UBI, Smt. Alice G. Vaidyan, CMD, GIC, Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO, Shri Maneck Eruch Davar, CMD Spenta Media Private Ltd, Smt. Saranala Malathi Rani, Director and Shri M. Senthilnathan, ED, ECGC as Members for monitoring of Company's activities / initiatives as per DPE's revised guidelines effective from 01/04/2014. As per the CSR Policy a Committee consisting of Internal Senior Executives, had been formed and is in place.

3. NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS AS PER SECTION 198 OF COMPANIES ACT

Financial Year	Net Profit (In Crore) ₹
2013-14	543.82
2014-15	250.42
2015-16	387.31
AVERAGE PROFIT	393.85

4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (Two per cent of the amount as in Item 3 above)

Financial Year	Allocation of Budget (In Crore) ₹
2014-15	7.72
2015-16	7.60
2016-17	7.90

5. DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR

(a) Total amount to be spent for the financial year;
Amount to be spent for FY 2016-17 ₹7.90 Crore.

(b) Amount unspent if any;
Amount unspent up to FY 2016-17 ₹5.31 Crore.

(c) REASONS FOR AMOUNT UNSPENT UNDER CSR UPTO FY 2016-17.

(स) वित्तीय वर्ष 2016-17 तक सी.एस.आर. पॉलिसी के अंतर्गत राशि खर्च न होने का कारण

ईसीजीसी की बोर्ड द्वारा स्वीकृत तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों से सुसंगत एक सी.एस.आर. पॉलिसी है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, शिक्षा, सूखा पीड़ित गावों में स्वच्छ जल की उपलब्धता, स्वास्थ्य, वृद्धाश्रमों को सुविधा उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत अभियान आदि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर गतिविधियां संचालित की गयी हैं। सी.एस. आर. गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन सहयोगी के रूप में, टाटा समाज विज्ञान संस्थान(टिस), विज्ञान एवं प्रौधोगिकी पार्क(एस.टी.पी.) पुणे तथा एकं फाउंडेशन, चेन्नई कार्यरत है। ईसीजीसी, ग्रेटर मुंबई मुंसिपल कार्पोरेशन के एम-वार्ड क्षेत्र में टिस के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्यन केन्द्रों का संचालन कर रहा है। एकम् फाउंडेशन द्वारा नवजात मृत्यु दर को कम करने में सहयोग करने के लिए तमिलनाडू के छः सरकारी अस्पतालों चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराये गएँ हैं तथा नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई गयी है। ईसीजीसी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कार्पोरेट इकाई की अपनी भूमिका निभाने के क्रम में समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

31 मार्च 2017 तक, 5.31 करोड़ रु की राशि खर्च नहीं की गयी थी इसमें से 3.50 करोड़ रु की राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित की गयी है। 1.81 करोड़ रु. की राशि खर्च नहीं हो पायी है जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च किया जाएगा।

(द) वित्तीय वर्ष के दौरान किस प्रकार राशि खर्च की गयी उसका विवरण अधोलिखित है:

ECGC has a Board approved CSR Policy in tune with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE). During FY 2016-17, a number of CSR initiatives have been undertaken in the field of education, providing safe drinking water in drought prone villages, health care, providing facilities to old age homes, Swachh Bharat Abhiyaan, etc. The implementation partners for CSR activities are TATA Institute of Social Sciences (TISS), Science & Technology Park (STP) Pune and Ekam Foundation, Chennai. ECGC is continuing its support in running of five Community study centres in M-ward Area of Municipal Corporation of Greater Mumbai through TISS. Under health care for infants, certain medical equipments have been provided to six Government Hospitals in Tamil Nadu through Ekam Foundation to help lower infant mortality and also training aids for providing training to nurses. ECGC is committed to contribute to the upliftment of the society in fulfilment of its role as a socially responsible corporate entity.

As on March 31, 2017, there is an unspent amount of ₹5.31 Crore out of which an amount of ₹3.50 Crore has been committed towards various projects being undertaken under CSR as the payments are released as per the approval by Board. An amount of ₹ 1.81 Crore remains unutilized, which will be utilized for the projects to be undertaken in FY 2017-18.

(d) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANICAL YEAR IS DETAILED BELOW:

(₹ in Lakhs)

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs 1) Local area or other 2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड (₹लाख मे) Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1) Direct expenditure on projects or programs 2) Overheads (₹)	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय (₹लाख मे) Cumulative Expenditure up to the reporting period (₹)	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency*
1	वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रों Scholarship to under privileged students	शिक्षा Education	एम. वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र M Ward , Distt Mumbai, Maharashtra	₹10000 प्रति दिव्यांग छात्र को और ₹6000 प्रति छात्र/ प्रति वर्ष ₹10000 per differently abled student and ₹6000 per student/p.a	25.44 25.44	106.98 106.98	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) Tata Institute of Social Sciences (TISS)
2	शिक्षा प्रयासो के लिए बेसलाइन सर्वे Baseline Survey for education initiatives	शिक्षा Education	एम. वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र M Ward, Mumbai, Maharashtra		25.56 25.56	25.56 25.56	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) Tata Institute of Social Sciences (TISS)
3	बालिकाओं हेतु वितीय सहायता Financial Help for Girl Child	शिक्षा Education	भटिंडा,पंजाब Bhatinda, Punjab		0.27 0.27	0.67 0.67	कॉलेज को भुगतान किया गया Paid to the College
4	सामुदायिक अध्यन केंद्र को सहायता Community Study Centers	शिक्षा Education	एम. वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		32.43 32.43	65.01 65.01	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) Tata Institute of Social Sciences - (TISS)
5	आशा एन.जी.ओ.- शिक्षा हेतु छः कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गए Asha Sadan (NGO) - Provided Six Computers for Education	शिक्षा Education	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		1.77 1.77	1.77 1.77	प्रत्यक्ष रूप से Direct
6	छात्रों को सौर लालटेन का वितरण Distribution of Solar Lantern to students	शिक्षा Education	जिला नांदेड, महाराष्ट्र Nanded, Maharashtra		58.45 58.45	138.06 138.06	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, (STP) Pune
			उप-योग / Subtotal-		143.92	338.05	
7	स्वच्छ पेय जल Safe drinking water facility	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	जिला पालघर, महाराष्ट्र Distt Palghar, Maharashtra		14.03 14.03	146.35 146.35	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, (STP)Pune
8	छः सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध करना Providing medical equipment in Six Govt. hospitals	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	तमिलनाडू में I. चेन्नई II. डिंडिगुल III. इरोड I) Chennai II) Dindigul, iii) Erode in Tamilnadu		102.03 102.03	102.03 102.03	एकम फाउंडेशन Ekam Foundation

(₹ in Lakhs)

क्र. सं. / Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि / CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है / Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। / Projects or programs 1) Local area or other 2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार / Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड (₹लाख मे) / Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1) Direct expenditure on projects or programs 2) Overheads (₹)	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय (₹लाख मे) / Cumulative Expenditure up to the reporting period (₹)	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से / Amount spent : Direct or through implementing agency*
9	चार कौशल स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का निर्माण Creation of four skill health labs	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	मदुरई, थिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु Madurai, Thiruvannamalai Tamilnadu		13.34 13.34	13.34 13.34	एकम फाउंडेशन Ekam Foundation
10	साधारण बीमा परिषद-हाइवे आकस्मिक सहायता राहत कैम्पेन General Insurance Council - Highway Emergency Relief Campaign	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	सम्पूर्ण भारत Pan India		7.42 7.42	7.42 7.42	प्रत्यक्ष रूप से Direct
11	टाटा मेमोरियल अस्पताल- गरीब मरीजों के इलाज में योगदान Tata Memorial Hospital - Contribution for treatment of poor patients	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		50.00 50.00	50.00 50.00	प्रत्यक्ष रूप से Direct
12	दिव्याङ्गो को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना Providing artificial limbs to disabled persons	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	शिलांग, मेघालय Shillong, Meghalaya		5.00 5.00	5.00 5.00	ए.एल.आई.एम.सी.ओ. ALIMCO
13	स्वास्थ्य कैंप का आयोजन Medical Camp organized	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	जिला सोनारी, असम Dist Sonari, Assam		3.35 3.35	3.35 3.35	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra
14	अस्पताल में गरीब रोगियों का इलाज Treatment of poor patients at Hospital	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	बेंगलुरु, कर्नाटक Bangalore, Karnataka		100.00 100.00	100.00 100.00	एन.आई. एम.एच.ए. एन.एस. NIMHANS
15	चैरिटेबल अस्पताल को चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराये। Provided medical equipment to charitable hospital	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	कोलकाता, पश्चिम बंगाल Kolkata, West Bengal		10.00 10.00	10.00 10.00	रामकृष्ण मिशन Ramakrishna Mission
			उप-योग / Subtotal-		305.17	437.49	
16	नवज्योति फाउंडेशन- बस की खरीद हेतु अनुदान Nav Jyot Foundation - Grant for purchase of Bus	कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण Skill development & Women empowerment	जिला गुरुग्राम, हरियाणा Dist Gurgaon, Haryana		17.12 17.12	17.12 17.12	प्रत्यक्ष रूप से Direct
			उप-योग / Subtotal-		17.12	17.12	
17	श्री सम्मुखानंद फाइन आर्ट्स- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस Sri Shanmukhanand Fine Arts - Intl. Women's Day	महिला सशक्तिकरण Women Empowerment	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		2.30 2.30	2.30 2.30	प्रत्यक्षरूप से Direct
			उप-योग / Subtotal-		2.30	2.30	

(₹ in Lakhs)

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs 1) Local area or other 2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड (₹लाख मे) Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1) Direct expenditure on projects or programs 2) Overheads (₹)	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय (₹लाख मे) Cumulative Expenditure up to the reporting period (₹)	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency*
18	वृद्धाश्रम, अनाथालय, अस्पतालो को योगदान Contribution made to Old age homes, Orphanages, Hospitals	वरिष्ठ नागरिकों की सहायता Support for Senior Citizens	सम्पूर्ण भारत Pan India		10.54 10.54	10.54 10.54	प्रत्यक्ष रूप से Direct
19	वानप्रस्थ आश्रम(वृद्धाश्रम) Vanaprasth Ashram (Old age home) - Purchase of Furniture	वरिष्ठ नागरिकों की सहायता Support for Senior citizens	बेंगलुरु, कर्नाटक Bangalore, Karnataka		2.60 2.60	2.60 2.60	प्रत्यक्ष रूप से Direct
20	नव अरुणोदय प्रामाणिक ट्रस्ट के वृद्धाश्रम में सोलर पैनलों की स्थापना Installation of Solar Panels at old age home of NAV Arunodaya Pramanik Trust	वरिष्ठ नागरिकों की सहायता Support for Senior Citizens	इंदौर, मध्य प्रदेश Indore, Madhya Pradesh		8.80 8.80	8.80 8.80	प्रत्यक्ष रूप से Direct
			उप-योग / Subtotal-		**21.94**	**21.94**	
21	पंडित चतुरलाल मेमोरियल सोसाइटी Pandit Chaturlal Memorial Society	संस्कृति Culture	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		2.00 2.00	2.00 2.00	प्रत्यक्ष रूप से Direct
			उप-योग / Subtotal-		**2.00**	**2.00**	
22	सार्थ प्रतिष्ठान Sarth Pratishthan	ग्रामीण खेल Rural Sports	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		1.00 1.00	1.00 1.00	प्रत्यक्ष रूप से Direct
			उप-योग / Subtotal-		**1.00**	**1.00**	
23	कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए Provided dustbins	स्वच्छता Sanitation	वाराणसी, उत्तर प्रदेश Varanasi, Uttar Pradesh		10.00 10.00	10.00 10.00	वाराणसी नगर निगम Varanasi Nagar Nigam
			उप-योग / Subtotal-		**10.00**	**10.00**	
		कुल- / Total-			**503.45**	**829.9**	

सी.एस.आर. तथा एस.डी. समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष
Chief Executive Officer & Chairman CSR&SD Committee

The 60 year journey...

1957

The Corporation was established as Export Risks Insurance Corporation (ERIC) on 4th October, 1957 by Shri Morarji Desai, the then Union Minister of Commerce

Authorised capital: ₹ 5 crore
Paid up capital: ₹ 50 lacs

The pioneers... Shri Morarji Desai flanked by Shri T. C. Kapur and Shri V. G. Pendharkar to his right and Shri Ratilal M. Gandhi and Shri M. M. Murugappa Chettiar to his left.

The first policy cover was issued on 14th October, 1957

1959

First Specific Policy issued

1960

Name changed from ERIC to Export Credit & Guarantee Corporation Ltd.

Packing Credit Policy (later to be known as Packing Credit Guarantee) introduced for Banks

1964

Post Shipment Export Credit Guarantee introduced

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of **FY1966:**
₹ 44 crores

1967

Introduced Export Performance Guarantee for Banks

1970

Construction Works Policy and Services Policy introduced

1973

Dr. Manmohan Singh and Dr. C. Rangarajan were on the Board of ECGC

ECGC wins the highest national award for outstanding export efforts

1974

Assisted Sri Lankan Government in setting up Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation (SLECIC)

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of **FY1976:**
₹ 1174 crores

1977

Imparted new impulse of efficient management such as computerisation, long term planning, HR management, etc.

1980

As one of the oldest members, ECGC hosted the Annual General Meeting of International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union)

1981

Real breakthrough made under Medium and Long Term exports and specific policy covers issued with maximum liability of ₹ 546 crores

1982

ECGC celebrated Silver Jubilee with Hon'ble Shri Pranab Mukherjee (the then Minister of Finance) as the Chief Guest

ECGC hosted Management Committee Meeting of Berne Union

Small Exporters Comprehensive Risk Policy launched with additional benefits

1983

Name changed from Export Credit & Guarantee Corporation Ltd. to Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of **FY1986:**
₹ 6583 crores

1991

Unprecedented claim of ₹ 800 crores due to losses from Iraq war paid by ECGC

1996

ECGC won the Rajbhasha Puraskar. Since then, ECGC has been a proud recipient of this award year after year

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of **FY1996:**
₹ 28447 crores

1997

ECGC undertook restructuring of organisation and business

Hosted Berne Union Annual General Meeting in Delhi

berneunion

2000

To help cut down on response time, ECGC implemented WAN

Accumulated deficit carried on from 1991 was finally wiped out

2002

IRDAI was set up and ECGC was registered (Regn No. 124)

Hosted workshop of Berne Union Regional Co-operation Group, which is the Asian Group of major ECAs

2004

Present logo and tag line 'You focus on exports. We cover the risks.' added

2005

The Corporation continued to diversify its policy portfolio which reached from single product to many products for exporters

ECGC introduced customised covers for large exporters and the first customised cover was issued

Reduction in premium by 33% across the board

Assigned the iAAA rating by ICRA for highest claim paying ability and the validity continues

2006

IT architecture upgraded with WAN connectivity

ECGC became one of the top ten Public Sector Enterprises and received MOU award for excellence from the Government of India

National Export Insurance Account was set up by Government of India with ECGC as its administrator

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of FY2006:
₹ 48739 crores

2007

Introduced full-fleged Factoring Scheme

ECGC celebrated Golden Jubilee

Premium rate reduced by upto 10% across all products

Obtained re-insurance for the entire business from the national reinsurer

2008

Awarded the SCOPE Meritorious Award for best managed bank, financial institution or insurance company

2009

Stimulus package introduced for MSMEs and Labour Intensive Industries

2011

CSR initiatives started with Tata Institute of Social Sciences (TISS) and continue

2012

Premium income crossed ₹ 1000 crores

Grievance Redressal Mechanism introduced

2013

Authorised Capital enhanced to ₹ 5000 crores

2014

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

Name changed from Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. to ECGC Ltd.

Multilateral agreement with BRICS ECAs signed

2016

Claim payments crossed ₹ 1000 crore

ECGC reduced premium by an average of 17% in Whole Turnover Policies

Bilateral agreement signed with Iranian counterpart, EGFI in the presence of the Prime Minister of India and President of Iran

Paid up Capital increased to ₹ 1,450 crores

Aggregate Maximum Liability of covers in force at the end of FY2016:
₹ 79554 crores

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वाणिज्य एवंम उद्योग राज्यमंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन को लाभांश के रुप में 72.5 करोड़ रु. का चेक प्रदान करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लि. ।
ECGC CMD presenting the Divident Cheque of ₹ 72.5 crores for FY 2016-17 to Smt. Nirmala Sitaraman, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industries.

प्रेस बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए अप्रनि।
CMD addressing the Press meet to announce the financial results for FY 2016-17.

वित्तीय विवरण
FINANCIAL STATEMENTS

फॉर्म बी- आर ए / FORM B-RA
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918
31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता
REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September, 2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net)	1	871,57,27.78	978,93,81.14
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		9,98,03.14	1,05,14.95
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment		(0.11)	-
4	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		1,40,60.20	1,30,85.42
	- दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज / Interest on Claims & Premium		82,49.52	1,83,89.51
	- विनिमय घटबढ़ लाभ (शुद्ध) / Exchange Fluctuation Profit (net)		-	0.00
	- विविध आय / Miscellaneous Income		21,32.60	1,13,92.45
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		3,59.33	4,55.61
5	ब्याज एवं लाभांश - सकल / Interest & Dividend - Gross		371,58,61.55	351,08,49.70
	कुल (क) / TOTAL (A)		**1255,61,94.01**	**1335,40,68.78**
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	1056,65,01.81	1000,62,50.19
2	कमीशन / Commission	3	(70,04,80.73)	(67,71,01.89)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	199,11,84.38	185,56,64.81
4	अन्य - प्रीमियम की कमी / Other - Premium Deficiency		(68,20,00.59)	1,102,000.59
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**1117,52,04.87**	**1228,68,13.70**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ /(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C = (A-B)		138,09,89.14	106,72,55.08
	विनियोजन APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholder's Account		138,09,89.14	106,72,55.08
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) / TOTAL (C)		**138,09,89.14**	**106,72,55.08**

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं ।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita V. Pandit)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date attached :

कृते आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
(Shekhar M. Kulkarni)
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई , 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

पंजीकरण संख्या 124 | **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**
Registration No. 124 | **Date of Registration : 27th September, 2002**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	परिचालन लाभ/(हानि)			
	OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(a) Fire Insurance			
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(b) Marine Insurance			
	(ग) विविध बीमा		138,09,89.14	106,72,55.08
	(c) Miscellaneous Insurance			
2	निवेशों से आय			
	INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश - सकल		247,72,41.04	243,97,43.01
	(a) Interest & Dividends-Gross			
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		6,65,35.42	73,07.00
	(b) Profit on Sale of Investments			
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि		(0.07)	-
	Less: Loss on Sale of Investments			
3	अन्य आय			
	OTHER INCOME			
	(क) फ़ैक्टरिंग आय		21.56	-
	(a) Factoring Income			
	(ख) एन ई आई ए आई		1,30,87.93	96,90.99
	(b) NEIA Income			
	(ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ		4,82.11	4,63.76
	(c) Rent & Other receipts			
	(घ) विविध आय		16,27,52.98	37,51,15.43
	(d) Miscellaneous Income			
	कुल (क) / TOTAL (A)		410,11,10.11	389,95,75.27
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)			
	PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए		(2,26.38)	2,32.04
	(a) For diminution in the value of investments			
	(ख) फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान			
	(b) Provision for Investments			
	- मानक आस्ति		-	-
	- Standard Asset			

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	- निम्न मानक आस्ति		-	-
	- Sub Standard Asset			
	- सदिंग्ध आस्ति		20,00.00	20,50.00
	- Doubtful Asset			
	(ग) सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-
	(c) Provision for Doubtful Debts			
5	अन्य व्यय			
	OTHER EXPENSES			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय			
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	- निवेशों के लिए किए गए व्यय		2,43,94.64	2,36,95.28
	- Expenses towards Investments			
	- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु व्यय		-	-
	- Expenses towards Corporate Social Responsibility			
	- विविध व्यय		0.01	-
	- Miscellaneous Expense			
	(ख) अन्य - फैक्टरिंग व्यय		-	-
	(b) Others - Factoring expenses			
	कुल (ख) / TOTAL (B)		2,61,68.27	2,59,77.32
	कर पूर्व लाभ (क - ख) / Profit Before Tax (A - B)		407,49,41.84	387,35,97.95
	घटाएँ / Less:			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान			
	(a) Provision for Taxation			
	- आस्थगित कर		37,09,73.83	(40,97,57.68)
	- Deferred Tax			
	- वर्तमान कर		88,00,00.00	160,00,00.00
	- Current Tax			
	- संपत्ति कर		-	-
	- Wealth Tax			
	- न्यूनतम विकल्प कर ऋण पात्रता		-	-
	- MAT Credit Entitlement			
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन			
	(b) Prior Period Adjustments		25,26.72	37.61
	(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष			
	(c) Tax Adjustments - Earlier years		-	(78,948.68)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		282,14,41.29	276,22,66.70
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
	(a) Interim Dividends Paid During the Year			
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
	(b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend			
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		72,50,00.00	65,00,00.00
	(c) Proposed Final Dividend			
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		14,75,92.94	13,23,24.71
	(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend			

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	(ङ) निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय		5,03,84.11	7,60,00.00
	(e) Expenses towards Corporate Social Responsibility			
	(च) निगमित सामाजिक दायित्व व दीर्घकालिक विकास में अंतरण		-	-
	(f) Transfer to Corporate Social Responsibility & SD			
	(छ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में अंतरण		-	-
	(g) Transfer to Reserve for Factoring Scheme			
	(ज) सामान्य निधियों में अंतरण		189,84,64.24	190,39,41.99
	(h) Transfer to General Reserve			
	पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष		-	-
	Balance of profit/loss brought forward from last year			
	तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष		-	-
	Balance carried forward to Balance Sheet			

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita V. Pandit)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date attached :

कृते आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
(Shekhar M. Kulkarni)
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई , 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

फॉर्म बी-बी एस / FORM B - BS
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918
31 मार्च 2017 तक का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

पंजीकरण संख्या 124 | **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**
Registration No. 124 | **Date of Registration : 27th September, 2002**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ '000)
I.	**निधियों के स्त्रोत**			
	SOURCES OF FUNDS			
	शेयर पूंजी Share Capital	5	1450,00,00.00	1300,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	2169,19,48.21	1979,34,83.97
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		302,29,68.16	94,30,57.86
	ऋण Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		-	-
	कुल / Total		**3921,49,16.37**	**3373,65,41.83**
II.	**निधियों का प्रयोग**			
	APPLICATION OF FUNDS			
	निवेश Investments	8 & 8A	7891,73,37.35	6713,36,50.43
	ऋण Loans	9	-	-
	अचल संपत्ति Fixed Assets	10	233,00,01.84	195,27,64.36
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred Tax Assets		19,35,50.53	56,45,24.36
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ Current Assets			
	नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	451,61,52.67	597,28,69.68
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ Advances and Other Assets	12	1179,44,64.41	1336,71,01.81
	उप कुल (क) / Sub Total (A)		**1631,06,17.08**	**1933,99,71.49**
	वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	13	5239,06,52.48	4811,31,43.51
	प्रावधान Provisions	14	614,59,37.95	714,12,25.30
	उप कुल (ख) / Sub Total (B)		**5853,65,90.43**	**5525,43,68.81**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ '000)
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग) = (क-ख) Net Current Assets (C) = (A-B)		(4222,59,73.35)	(3591,43,97.32)
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		-	-
	विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
	लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
	कुल / Total		**3921,49,16.37**	**3373,65,41.83**
	महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
	लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita V. Pandit)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date attached :

कृते आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
(Shekhar M. Kulkarni)
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई , 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -1 / SCHEDULE -1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
सीधे कारोबार से प्रीमियम / Premium from Direct Business Written	1267,62,48.71	1320,72,97.15
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	427,97,57.34	417,23,32.97
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	**839,64,91.37**	**903,49,64.18**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन	31,92,36.41	75,44,16.96
Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks		
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	**871,57,27.78**	**978,93,81.14**

अनुसूची -2 / SCHEDULE -2
उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		885,33,90.16	1122,84,07.27
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा / Less : Reinsurance ceded		216,25,09.68	616,63,70.57
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	131,34,11.51		114,03,29.38
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा / Less : Share of reinsurer	24,21,95.97		20,79,66.68
	107,12,15.54	107,12,15.54	93,23,62.70
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid (A)		561,96,64.94	412,96,74.00
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		4879,27,35.21	4398,27,18.21
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		12,92.30	13,81,12.17
	(ख) / (B)	4879,14,42.91	4384,46,06.04
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)		4398,27,18.21	3807,98,77.36
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		13,81,12.17	11,18,47.51
	(ग) / (C)	4384,46,06.04	3796,80,29.85
कुल उपगत दावे (क + ख - ग) / Total Claims Incurred (A + B - C)		**1056,65,01.81**	**1000,62,50.19**

अनुसूची -3 / SCHEDULE -3
कमीशन / COMMISSION

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	3,43,03.81	2,82,76.86
कुल (क) / TOTAL (A)	3,43,03.81	2,82,76.86
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	73,47,84.54	70,53,78.75
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(70,04,80.73)**	**(67,71,01.89)**
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए		
Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.		
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप		
Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	3,40,72.39	2,72,05.65
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	2,31.42	10,71.21
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	**3,43,03.81**	**2,82,76.86**
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए		
Note: Total (A) and (B) above should tally.		

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं / Employees' Remuneration and Welfare benefits	106,22,46.36	106,75,40.28
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय / Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	10,11,10.54	8,39,29.87
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	1,57,14.29	1,15,12.59
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	17,71,98.89	17,77,04.09
5	मरम्मत / Repairs	12,94,46.67	11,24,73.69
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,10,66.56	1,10,26.99
7	सूचना व्यय / Communication expenses	2,61,45.34	2,21,55.10
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	4,65,37.38	4,98,86.31
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	58,44.89	58,32.19

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / Taxation matters	10,92.74	10,97.93
	(ii) बीमा मामले / Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management services	-	-
	(c) किसी अन्य सेवा के लिए / In any other capacity	97,56.54	1,00,43.49
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	15,18,82.24	6,88,37.13
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	9,73.03	9,70.18
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय / Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	21,85,69.03	19,72,31.64
13	मूल्यह्रास / Depreciation	3,35,99.88	3,54,23.33
	कुल / TOTAL	**199,11,84.38**	**185,56,64.81**

अनुसूची -5 / SCHEDULE -5
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	**प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital**		
	100 रु. प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	5000,00,00.00	5000,00,00.00
	50,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 50,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
2	**निर्गमित पूंजी / Issued Capital**	1450,00,00.00	1300,00,00.00
	100 रु. प्रत्येक के 14,50,00,000 इक्विटी शेयर		
	14,50,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 13,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
3	**अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital**	1450,00,00.00	1300,00,00.00
	100 रु. प्रत्येक के 14,50,000 इक्विटी शेयर		
	14,50,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 13,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
4	**मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital**	1450,00,00.00	1300,00,00.00
	100 रु. प्रत्येक के 14,50,000 इक्विटी शेयर		
	14,50,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 13,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	-	-
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)		
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य	-	-
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	घटाएँ : आरंभिक व्यय	-	-
	Less : Preliminary Expenses		
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	-	-
	कुल / TOTAL	1450,00,00.00	1300,00,00.00

अनुसूची -5 क / SCHEDULE -5 A

शेयर धारण का स्वरुप (प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / PATTERN OF SHAREHOLDING (As Certified by the Management)

(₹ '000)

शेयरधारक / Shareholder	वर्तमान वर्ष / Current Year		पिछले वर्ष / Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	14500,00,00.00	100.00	13000,00,00.00	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	14500,00,00.00	100.00	13000,00,00.00	100.00

अनुसूची -6 / SCHEDULE -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा / General Reserve - Opening Balance	1919,34,83.97	1728,95,41.98
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	189,84,64.24	190,39,41.99
		2109,19,48.21	1919,34,83.97
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year	-	-
		2109,19,48.21	1919,34,83.97
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) / Other Reserves (to be specified)	-	-
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	कुल / TOTAL	**2169,19,48.21**	**1979,34,83.97**

अनुसूची -7 SCHEDULE -7
उधार / BORROWINGS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8
निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	747,75,51.28	702,61,79.87
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	526,11,78.79	514,77,36.52
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	26,03,70.03	26,69,60.13
	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
3	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	353,00,82.70	303,49,01.41
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	bb. Preference Shares		
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	445,17,64.15	366,81,18.25
	Investment in housing sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	169,49,14.41	189,28,26.05
	Market sector Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	687,91,55.21	518,16,62.70
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश / Other Investments	69,01,60.47	16,34,22.64
	कुल (क) Total (A)	**3024,51,77.04**	**2638,18,07.57**

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	25,91,69.73	14,59,07.47
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	7,97,94.30	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments	-	-
	क. शेयर	-	-
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	-	-
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित	-	-
	bb. Preference		
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	53,27,18.67	57,35,02.93
	Investment in housing sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	10,00,00.15	28,69,94.65
	Market sector Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ	17,59,18.11	-
	e. Other Securities		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	14,91,56.88	13,65,84.06
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश	2,50,00.06	-
	Other Investments		
	कुल Total (ख) / (B)	**132,17,57.90**	**114,29,89.11**
	कुल Total (क + ख) / (A + B)	**3156,69,34.94**	**2752,47,96.68**

अनुसूची -8क / SCHEDULE -8A

निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	1121,63,26.92	1011,08,44.20
	राज्य सरकार की प्रतिभूतिया / State Government Securities	789,17,68.18	740,77,18.41
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	39,05,55.05	38,41,62.14
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	529,51,24.06	436,72,97.14
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	bb. Preference Shares		
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	667,76,46.23	527,85,11.62
	Investment in housing sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	254,23,71.61	272,38,22.85
	Market sector Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्देष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1031,87,32.81	745,65,39.01
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश	103,52,40.69	23,51,69.16
	Other Investments		
	कुल (क) Total (A)	**4536,77,65.55**	**3796,40,64.53**

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	38,87,54.60	20,99,64.41
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	11,96,91.44	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	Other Approved Securities		
3	अनुमोदित निवेश		
	Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	-	-
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	bb. Preference		
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	79,90,78.02	82,52,84.71
	Investment in housing sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	15,00,00.24	41,29,92.30
	Market sector Bonds		
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)	26,38,77.16	-
	e. Other Securities		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	22,37,35.32	19,65,47.80
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश	3,75,00.09	-
	Other Investments		
	कुल Total (ख) / (B)	**198,26,36.86**	**164,47,89.22**
	कुल Total (क + ख) / (A + B)	**4735,04,02.41**	**3960,88,53.75**

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9
ऋण / LOANS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान / Less : Provision for doubtful debts	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities		
	(ग) अन्य / गैर जमानती	-	-
	(c) Others / Unsecured		
	कुल / TOTAL	-	-
2	लेनदारवार वर्गीकरण		
	BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(a) Central and State Governments		
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(c) Subsidiaries		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(d) Industrial Undertakings		
	(ङ) अन्य	-	-
	(e) Others		
	कुल / TOTAL	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण		
	PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY -WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पावधि		
	(a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि		
	(b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची -10 / SCHEDULE 10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

आंकड़े ₹ '000 में / Figures in ₹ '000

		सकल ब्लॉक / Gross Block					मूल्य ह्रास / Depreciation					परिसंपत्तियों की हानि / Impairment of Assets				निवल ब्लॉक / Net Block	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	प्रारंभिक / Opening	समायोजन / Adjustment	परिवर्धन / Additions	कटौतियाँ / Deductions	अंतिम / Closing	के लिए / For 01.04.2016	समायोजन / Adjustment	वर्ष के लिए/ For the Year	बिक्री पर / समायोजन / On Sale / Adjustments	आज तक / To date	के लिए / For 01.04.2016	अतिरिक्त अपर्जन / Additional Impairment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक / To date	तक / As at 31.03.2017	तक / As at 31.03.2016
1	साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त / Intangibles	4,42,34.55	-	-	-	4,42,34.55	3,95,88.79	-	12,10.21	-	4,07,99.00	-	-	-	-	34,35.55	46,45.76
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	-	74,81,52.33	-	-		-	-	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Leasehold Property	5,87,63.54	-	1,01,68.00	-	6,89,31.54	1,34,00.31	-	7,96.16	-	1,41,96.47	-	-	-	-	5,47,35.07	4,53,63.23
5	भवन / Building	43,55,57.41	-	-	-	43,55,57.41	12,20,71.57	-	74,66.81	-	12,95,38.38	-	-	-	-	30,60,19.03	31,34,85.84
6	फर्नीचर तथा फिटिंग / Furniture and Fittings	16,11,04.85	-	62,86.01	7,84.55	16,66,06.31	13,43,72.57	-	59,03.26	7,82.32	13,94,93.51	1.25	-	1.25	-	2,71,14.80	2,67,31.03
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	16,24,48.73	-	30,84.76	27,43.93	16,27,89.56	14,24,34.92	-	1,00,33.46	27,43.93	14,97,24.45	-	-	-	-	1,30,65.11	2,00,13.81
8	वाहन / Vehicles	7,14,41.64	-	-	-	7,14,41.64	6,45,46.98	-	17,32.36	-	6,62,79.34	-	-	-	-	51,62.30	68,94.66
9	कार्यालय उपकरण / Office Equipment	6,65,30.15	-	100,70.50	16,22.62	7,49,78.03	5,06,42.51	-	64,57.62	16,05.07	5,56,95.06	0.97	-	0.97	-	1,92,82.97	1,56,86.67
कुल / Total		174,82,33.20	-	2,96,11.27	51,51.10	177,26,93.37	56,72,57.65	-	3,35,99.88	51,31.32	59,57,26.21	2.22	-	2.22	-	117,69,67.16	118,09,73.33
प्रगतिरत कार्य / Work in Progress																115,30,34.68	77,17,91.03
कुल योग / Grand Total		174,82,33.20	-	2,96,11.27	51,51.10	177,26,93.37	56,72,57.65	-	3,35,99.88	51,31.32	59,57,26.21	2.22	-	2.22	-	233,00,01.84	195,27,64.36
पिछले वर्ष / Previous Year		173,36,27.75	-	3,16,07.42	1,70,01.97	174,82,33.20	54,86,80.05	-	3,54,23.33	1,68,45.73	56,72,57.65	2.22	-	-	2.22	195,27,64.36	220,43,36.61

अनुसूची -11 / SCHEDULE -11

नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	1,07,88.35	1,45,62.46
	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते		
	(a) Deposit Accounts		
	अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	Short Term (due within 12 months):		
	अनुसूचित बैंकों के पास	431,63,00.00	421,65,00.00
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	139,79,00.00
	With Financial Institutions		
	अन्य / Others		
	अनुसूचित बैंकों के पास	4,65,00.00	4,13,00.00
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	With Financial Institution		
	(ख) चालू खाता	14,24,64.32	30,25,07.22
	(b) Current Accounts		
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	(c) Others - Balance with Reserve Bank of India		
3	मांग एवं अल्प नोटिस मुद्रा / Money at Call and Short Notice		
	बैंकों के पास	-	-
	With Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	With other Institutions		
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	451,61,52.67	597,28,69.68

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ		
	Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		
	Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान		
	Prepayments	10,88,11.43	2,75,98.11
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम		
	Advance for Capital Expenses	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)		
	Advance Tax paid (Net of provision for taxation)	655,09,74.21	397,74,87.94
6	न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता		
	MAT Credit Entitlement	-	-
7	बैंकों को लेखागात दावा अदायगी		
	On account claim payment to Banks	-	-
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान		
	Less: Provision for Doubtful Recovery	-	-
8	कर्मचारियों को अग्रिम		
	Advances to Employees	16,77,99.55	16,18,70.49
9	व्ययों के लिए अग्रिम		
	Advance for Expenses	1,64,01.63	1,07,60.11
	कुल (क) / TOTAL (A)	**684,39,86.82**	**417,77,16.65**
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय		
	Income accrued on Investments	225,14,17.60	196,36,78.05
2	बकाया प्रीमियम		
	Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष		
	Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		
	Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय		
	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	235,27,02.42	689,77,14.01

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
6	गौण/धारक इकाइयों से देय		-	-
	Due from subsidiaries/holding			
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		-	-
	Deposit with Reserve Bank of India			
	(बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)		-	-
	(Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)			
8	आवास ऋण पर प्रौद्भूत ब्याज		3,33,11.87	3,70,58.42
	Interest accrued on Housing Loan			
9	विविध देनदार- / Sundry Debtors-			-
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset			
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान			-
	Less : Provision for Standard Asset			
	(I)	-	-	-
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ	-		-
	Sub - Standard Asset			
	घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-		-
	Less : Provision for Sub - Standard Asset			
	(II)	-	-	-
	सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ	7,04,26.80		7,04,26.80
	Doubtful Asset			
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	7,04,26.80		7,04,26.80
	Less : Provision for Doubtful Asset			
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)		-	-
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि	15,96,43.58		
	Amount Recoverable from others			
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान	1,95,11.50		
	Less: Provision for Doubtful Recovery			
		14,01,32.08	14,01,32.08	17,78,38.78
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits	15,40,58.86		
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-		
	Less : Provision for Doubtful Debts			
		15,40,58.86	15,40,58.86	11,30,95.90
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु दावा न की गई राशि		1,88,54.76	-
	Unclaimed Amount for Policyholder Assets			
	शाखाओं के मध्य / Inter - branch		-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**495,04,77.59**	**918,93,85.16**
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		**1179,44,64.41**	**1336,71,01.81**

अनुसूची -13 / SCHEDULE -13

वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	एजेन्टों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	57,52,89.11	95,51,41.74
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	67,19,22.98	57,54,34.07
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	194,20,56.31	189,95,63.86
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,69,71.57	1,79,00.30
7	विविध लेनदार Sundry Creditors	21,49,90.74	20,42,39.26
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	-	-
9	बकाया दावे Claims outstanding	4879,14,42.91	4384,46,06.04
10	कर्मचारियों को देय Due to Employees	5,25,30.64	39,09,77.39
11	अन्य को देय - एन ई आई ए Due to Others - NEIA	10,93,45.94	4,99,47.45
	- फ़ैक्टरिंग - Factoring	-	-
	- विविध - Miscellaneous	1,61,02.27	17,53,00.83
	- सेवा कर देयता - Service Tax Liability	0.01	32.57
12	बैंक बही ओवरड्राफ्ट- अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
	कुल / TOTAL	**5239,06,52.48**	**4811,31,43.51**

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14

प्रावधान / PROVISIONS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित		
	Reserve for Unexpired Risk	419,82,45.69	451,74,82.09
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित		
	Reserve for Premium Deficiency	42,00,00.00	110,20,00.59
3	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित		
	Reserve for Corporate Social Responsibility	2,44,24.00	2,44,24.00
4	कराधान के लिए		
	For Taxation		
	- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर)		
	- Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
	- संपत्ति कर / Wealth Tax	-	-
	- उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटा कर)		
	- Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए		
	For Proposed Dividends	7,25,000.00	65,00,00.00
6	लाभांश वितरण कर के लिए		
	For Dividend distribution Tax	1,47,592.94	13,23,24.71
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए		
	For Retirement Benefits		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा		
	- Leave Encashment & Long Service	42,40,43.87	39,75,78.24
	- उपादान / - Gratuity	10,65,41.32	8,87,95.86
	- पेंशन / - Pension	10,00,90.13	22,80,53.86
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए		
	For Thinly Traded Shares	-	5,65.95
9	संदिग्ध परिसंपत्ति के लिए - निवेश		
	For Doubtful Assets - Investment		-
	कुल / TOTAL	**614,59,37.95**	**714,12,25.30**

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited
1	शेयर / डिबेंचर जारी करने में अनुमन छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची - 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

लेखा प्रणाली

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11 (1); बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा ये कंपनी (लेखमानक) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखा मानकों की आवश्यकताओं की लेखामानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास

2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल / निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उन्हें शामिल किए जाने / निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,

SCHEDULE 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस-26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, को "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है। जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है।

4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर, बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को "निवेश" के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में, अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय तथा यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ/हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक की गयी है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर की गयी है तथा मूल्य/ बही मूल्य तथा एन.ए.वी. के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन.ए.वी. उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन.एस.ई. तथा बी.एस.ई. दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई.आर.डी.ए.आई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को एन.एस.ई. में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/ Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDAI guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation.

जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है।

4.9 अल्प व्यापारित इक्विटियों तथा असूचीबद्ध इक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी के रुप में किया गया है। यह भी कि, पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।

4.10 सूचीबद्ध इक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में:- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया।

ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो:- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स

The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/ Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for

के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की गई है। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ख) एक बार जब उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व/ लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के पहले व दूसरे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "संपार्श्विक उधार लेने और देने की बाध्यता" (सीबीएलओ), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाजार के उपकरण माना गया है। सीबीएलओ के जरिये उधार देने पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित, "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 "शेयरधारकों" एवं "पॉलिसीधारकों" की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में निगम के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ" व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ" शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधि में आबंटित किया गया है।

writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of ₹ 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "Collateralised Borrowing and Lending Obligation" (CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Corporation are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para No.10.2).

4.16 The Corporation follows the prudential norms

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों/ डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में निगम भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण, वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% तक प्रावधान किया गया है।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब आती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो तो।

8. बकाया दावों तथा अनुमानित वसूलियों के लेखा के लिए प्रारक्षित निधियाँ

8.1 रिपोर्ट की जानेवाली तारीख को बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियों के निर्धारण को मध्यम व दीर्घ अवधि (एमएलटी) रक्षाओं/ पॉलिसियों के अधीन सभी दावा मामलों में तथा अल्पावधि पॉलिसियों / रक्षाओं के अधीन प्रक्रियाधीन दावों के मामलों में देय राशि के अनुसार किया गया है। अल्पावधि रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया के लिए शेष बकाया दावों के लिए, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों संबंध में हमारे अनुभव के विश्लेषण के आधार पर औसत दर की गणना के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान को आगे की जानकारी की उपलब्धता / उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा।

8.2 आगे, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखांकित किया गया है।

8.3 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

(i) निगम द्वारा नामंजूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के मामलो के वित्तीय विवरणों में दावों के अन्तर्गत रखा गया है।

prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of analysis of previous five years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/ scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं के द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में, यदि कोई हो, ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से किया गया है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 निगम के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त निगम द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयर धारक निधि" व "पॉलिसीधारक निधि" के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims, etc.

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कर्मचारी लाभ :

11.1 निगम सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा निगम में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। निगम बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निगम का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं।

11.3 निगम की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान, तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई निगम को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Corporation provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4 Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards

पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है, प्राप्तियों में हुई कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई निगम करेगा।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से निगम अपना अंशदान करता है। वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। निगम ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में निगम समान राशि का अंशदान करता है। निगम के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि निगम यह विश्वास दिलाते हुए प्रमाण प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31.03.2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contribution's are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया गया है जब निगम की संभावित अथवा वर्तमान दायित्व है तथा यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent Assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDAI. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDAI

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

निम्नमानक परिसंपत्तियाँ :	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
सुरक्षित अंश :	I. एक वर्ष तक – 20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक – 30%
	III. तीन वर्षों से अधिक – 100%
असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्ति :	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता – विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है

16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रगत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर – मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDAI norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDAI :

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	I. Upto one year – 20%
	ii. One to three years – 30%
	iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची 17

लेखों से संलग्न तथा उनका भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करना**

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. **स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता**

प्रबंधन की राय में, कारोबार की सामान्य स्थिति में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **अचल परिसंपत्तियों**

अचल परिसंपत्तियों में, ₹3,98.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) मूल्य के वे ''बिल्डिंग'' शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को - ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

4. **अग्रिम तथा अन्य आस्तियां :**

4.1 अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

कंपनी के खिलाफ दायर दावों के लिए न्यायालय के आदेशों तथा जिसके लिए अंतिम निर्णय प्रतीक्षित हैं, के अनुसरण में न्यायालय में ₹4,31,09.31 हज़ार (पिछले वर्ष ₹83,51.15 हजार) की राशि जमा की गयी। इसकी घोषणा विविध जमाओं में की गई है।

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. **PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. **REALISABILITY OF STATED AMOUNTS**

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. **FIXED ASSETS:**

Buildings under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousands (previous year ₹6,50.76 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousands (previous year ₹5,77,43.90 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

4. **ADVANCES AND OTHER ASSETS:**

4.1 Advances and other assets include:

An amount of ₹4,31,09.31 thousands (previous year ₹83,51.15 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता है, तो अंतिम निपटान के समय किए गए हैं।

5. चालू देयताएं :

5.1 चालू देयताओं में, ₹1,84,10.00 हजार (पिछले वर्ष ₹1,50,00.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2017 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

5.2 कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार, अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदानुसार, रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹2906,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹3135,00,00.00 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

6. पुनर्बीमा

कंपनी ने, भारतीय साधारण बीमा कंपनी के लिए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकतानुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 25% (पिछले वर्ष 25%) सा बी नि - आर ई (6%), स्विस आर ई (8%), एशिया कैपिटल रिइन्श्युरंस ग्रूप (4%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (0.5%), पार्टनर आर ई (1.50%), अमलिन ए जी (1.00%) तथा ई सी आई बी के अधीन 25% (पिछले

4.2 Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

5. CURRENT LIABILITIES:

5.1 Current Liabilities include ₹1,84,10.00 thousands (previous year ₹1,50,00.00 thousands) towards Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2017 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5.2 As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹2906,00,00.00 thousands (previous year ₹3135,00,00.00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

6. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance Company of India. Quota share cession under policy is 25% (previous year 25%) - with GIC Re (6%), Swiss Re (8%), Asia Capital Reinsurance Group (4%), SCOR Re (4%),Q Re (0.5%), Partner Re (1.50%),

वर्ष 25%) सा बी नि - आर ई (6.5%), स्विस आर ई (6%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (4%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (0.50%), अम्लिन ए जी (2.5%) तथा पार्टनर आर ई (1.50%), कारोबार को कोटा शेयर अध्यर्पण किया गया है। कंपनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ता के साथ अल्पावधि रक्षाओं के लिए हानि की अधिकता (एक्सओएल) अध्यर्पण संधि की है। पिछले वर्षों के लिये बीमा योजना निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्सओएल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	कोई एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्सओएल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	कोई एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्सओएल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध

7. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए.आर.टी.)

कंपनी ने, भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए शुल्क की अदायगी कर 79 मध्यम तथा दीर्घावधिक रक्षाओं (पिछले वर्ष 14 मध्यम तथा दीर्घावधिक रक्षाओं) के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ₹2,83,79.83 हजार (पिछले वर्ष ₹1,11,83.20 हजार) एन ई आई ए ट्रस्ट को गारंटी शुल्क अदा किया गया।

8. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं) तथा तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हजार प्रावधान किया है।

Amlin AG (1.00%) and under ECIB is 25% (Previous year 25%)- with GIC Re (6.5%), Swiss Re (6%), Asia Capital Reinsurance Group (4%), SCOR Re (4%),Q Re (0.50%), Amlin AG (2.5%) and Partner Re (1.50%) . The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty arrangement for Short Terms (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance program for the earlier years was as under:

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08(only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available

7. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The Company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 79 MLT covers (previous year 14 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2016-17. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹2,83,79.83 thousands (previous year ₹1,11,83.20 thousands) to NEIA Trust.

8. FACTORING

The Company has made provision of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) on account of sub-standard assets, whereas in relation to doubtful assets the Company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousands in line with IRDAI norms.

9. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹1,30,87.93 हज़ार (पिछले वर्ष ₹96,90.99 हज़ार) के प्रशासनिक शुल्क अन्य आय में शामिल है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹10,93,45.94 हजार (पिछले वर्ष ₹4,99,47.45 हजार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं - अन्य - एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

10. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2017 के अंत तक, किए गए पोतलदानों/ प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹84,03,21.00 हजार (मार्च 2016 के लिए ₹58,01,49.52 हज़ार) के प्रीमियम का अनुमान किया है। आई आर डी ए आइ के पत्र सं FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई है।

11. विविध आय में 12,44,10.00 हज़ार रु शामिल है:

कंपनी ने सू प्रौ प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए की गयी संविदा पर एच सी एल टेक्नालॉजीस के विरुद्ध निष्पादन गारंटी की मांग की। निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी संविदा के पूर्ण न किए जाने के फलस्वरूप मांग की गयी निष्पादन गारंटी की प्राप्तियों को विविध आय में शामिल किया गया।

12. (क) कंपनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंजूर कर दिया है जिसके विरुद्ध पॉलिसीधारक (पॉधा) ने संविदा के निष्पादन के लिए कंपनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया तथा दिनांक 31.03.2017 तक यह मामला विचाराधीन है । अनुसूची 13 - चालू देयताओं में पॉलिसी धारक से घोषणा की अप्राप्ति के कारण असमायोजित प्रीमियम में ₹2,32,44.55 हज़ार शामिल है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कंपनी को ₹2,40,00.00 हजार के न्यूनतम प्रीमियम की अदायगी का वचन दिया था तथा शेष का यदि उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ों में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प

9. NEIA TRUST

The administrative charges received by the Company from NEIA Trust of ₹1,30,87.93 thousands (previous year ₹96,90.99 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹10,93,45.94 thousands (previous year ₹4,99,47.45 thousands), are included in Current Liabilities - Others - NEIA Trust.

10. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2017 at ₹ 84,03,21.00 thousands (March 2016 ₹58,01,49.52 thousands). IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

11. MISCELLANEOUS INCOME INCLUDES ₹12,44,10.00 THOUSANDS:

The company has invoked performance guarantee of HCL Technologies Limited against the contract for setting up I.T platform. Non compliance beyond time limit resettled in invoking performance guarantee which is included in miscellaneous income.

12. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2017 the matter is sub-judice. Premium received in advance under Schedule 13 - Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-

है व मामला जैसा कि विचारधीन है, इसलिए सम्पूर्ण ₹2,32,44.55 हजार (₹30,00.00 हज़ार से अधिक की न्यूनतम प्रीमियम की राशि सहित) की राशि को विविध लेनदारों शीर्ष - अनुसूची 13 के अधीन दर्शाया गया है।

12. (ख) आगे, अनुसूची 13 - चालू देयताएं ' के अधीन विभिन्न बैंकों से प्राप्त ₹3,42,64.07 हज़ार की राशि शामिल है जो कि निर्यातक - उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गयी गारंटियों के लिए जारी रक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है तथा रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता को दर्शाते हुए बैंकों को सूचित कर दिया है। कंपनी ने कथित राशि को बैंकों को वापस लौटा दिया है जिन्होंने इस वापसी को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को " विविध देनदार " शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

13. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

14. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

15. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के वेतन व भत्ते निम्नानुसार हैं :

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(₹ '000)

विवरण	अवधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
श्रीमती गीता मुरलीधर	1/4/2016 से 31/03/2017	39,00.18	22,44.08

judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00.00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors - Schedule 13.

12. (b) Further, `Sundry Creditors' under `Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹3,42,64.07 thousands on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers who have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head `Sundry Creditors'.

13. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including Amount Recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

14. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

15. The salary and allowance of Chairman-cum-Managing Director is as under:

Chairman-cum-Managing Director

(₹ '000)

Particulars	Period	Current Year	Previous Year
Smt. Geetha Muralidhar	1/4/2016 to 31/03/2017	39,00.18	22,44.08

16. पूर्व अवधि समायोजन में निम्नलिखित शामिल हैं :

नामे:

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	11,82.10	-
अन्य	-	2.73
मूल्यह्रास	5.48	-
वेतन तथा भत्ते	-	41.43
बिजली	-	1.11
सामान्य प्रभार	11.63	-
अतिरिक्त वसूली की वापसी	-	-
किराया	-	4.90
मरम्मत व रखरखाव	24,90.89	3.13
वेतन संशोधन	-	-
सदस्यता शुल्क	56.18	-
कुल	**37,46.28**	**53.30**

जमा : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
डी एंड बी अलायंस	12,16.97	-
अन्य	2.59	-
बिजली जमा	-	15.69
कुल	**12,19.56**	**15.69**
निवल नामे / (ऋण) पूर्व अवधि समायोजन में	**25,26.72**	**37.61**

17. विदेशी विनिमय में अर्जन तथा व्यय :

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	-	15,33.19

(₹ '000)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क व अन्य व्यय	71,13.34	83,15.49
यात्रा व्यय	45,90.30	36,55.51
हैसियत जांच शुल्क	115,49.97	1,61,66.15
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	6,91.69	4,20.97
पुनर्बीमा	144,14,40.57	142,14,70.99
लंदन, यू के में प्रतिनिधि कार्यालय	-	29,75.62
अन्य	-	1,30,44.62
कुल	**146,53,85.87**	**146,60,49.35**

16. Prior Period Adjustments Include:

Debits:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	11,82.10	-
Others	-	2.73
Depreciation	5.48	-
Salary Allowances	-	41.43
Electricity	-	1.11
General Charges	11.63	-
Refund of excess recovery	-	-
Rent	-	4.90
Repair and Maintenance	24,90.89	3.13
Wage Revision	-	-
Membership Fee	56.18	-
Total	37,46.28	53.30

Credits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
D & B Alliance	12,16.97	-
Others	2.59	-
Electricity Deposit	-	15.69
Total	12,19.56	15.69
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	**25,26.72**	**37.61**

17. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	-	15,33.19

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	71,13.34	83,15.49
Travelling expenses	45,90.30	36,55.51
Status Enquiry Fees	115,49.97	1,61,66.15
Books and periodicals	6,91.69	4,20.97
Re-insurance	144,14,40.57	142,14,70.99
Representative Office at London, UK	-	29,75.62
Others	-	1,30,44.62
Total	146,53,85.87	146,60,49.35

18. कंपनी एकल खंड ''निर्यात ऋण बीमा'' में परिचालन करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है, परंतु अब तक कोई बिल फैक्टर नहीं किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान कोई राजस्व (पिछले वर्ष कुछ नहीं) उपार्जित नहीं हुआ है।

19. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

क) श्रीमती गीता मुरलीधर (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

ख) श्री एम सेंथिलनाथन (कार्यपालक निदेशक)

(ii) कंपनी के संबंधित पार्टी:

क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियाँ:

(₹ '000)

नाम	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सुश्री गीता मुरलीधर (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)	वेतन तथा भत्ते	39,00.18	22,44.08
श्री सेंथिलनाथन (कार्यपालक निदेशक)	वेतन तथा भत्ते	37,59.97	5,29.34 (30/12/2015 से 31/03/2016)

(iv) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ अंतरण:

क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र सं	संव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	1,30,87.93	96,90.99
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (वर्तमान तक शेष)	10,93,45.94	4,99,47.45
3	एनईआईए को अदा किया गया अग्रिम व्यय (वर्तमान तक शेष)	7,37,77.72	1,06,77.24
4	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम	-	-
5	वर्ष के अंत तक बकाया शेष - नामे शेष	7,61,01.84	1,72,58.92
6	नियोक्ता के हिस्से का अंशदान	-	-
7	प्रदत्त गारंटी शुल्क	2,83,79.83	1,11,83.20

18. The Company operates in single segment `Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided. Though the Company has initiated activities to start factoring of export bills, no bills have been factored and correspondingly no revenue accrued during the year (previous year NIL).

19. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

a) Smt. Geetha Muralidhar (Chairman-cum-Managing Director)

b) Shri M. Senthilnathan (Executive Director)

(ii) Company's related parties:

a) NEIA Trust

(iii) Remuneration paid to Key Management Personnel:

(₹ '000)

Name	Particulars	Current Year	Previous Year
Smt. Geetha Muralidhar (Chairman-cum-Managing Director)	Salary and allowances	39,00.18	22,44.08
Shri M. Senthilnathan (Executive Director)	Salary and allowances	37,59.97	5,29.34 (30/12/2015 to 31/03/2016)

(iv) Transactions during the year with related parties:

(a) NEIA Trust

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	1,30,87.93	96,90.99
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	10,93,45.94	4,99,47.45
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	7,37,77.72	1,06,77.24
4	Reinsurance premium ceded to NEIA Trust	-	-
5	Outstanding Dues as at year end - Debit Balance	7,61,01.84	1,72,58.92
6	Contribution of Employer's share	-	-
7	Guarantee Fees paid	2,83,79.83	1,11,83.20

20. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹37,09,73.83 हजार (पिछले वर्ष ₹40,97,57.68 हज़ार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक ₹19,35,50.53 हज़ार (पिछले वर्ष ₹56,45,24.36 हज़ार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

विवरण	01/04/2016 को जमा	वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)	31/03/2017 को शेष
देयता पर कर			
मूल्यह्रास	3,21,44.78	6,17.99	3,27,62.77
कुल	3,21,44.78	6,17.99	3,27,62.77
परिसंपत्तियों पर कर			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	13,75,93.88	91,59.22	14,67,53.10
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	2,93,95.45	17,30.40	3,11,25.85
उपदान हेतु प्रावधान	3,07,30.47	61,41.35	3,68,71.82
पी एल एल आई	51,91.20	63,71.33	1,15,62.53
लंबी सेवा देयता	-	-	-
कंपनी अधिनियम की धारा 441क के अधीन उपकर	11,38.14	(11,38.14)	
प्रीमियम में कमी हेतु प्रावधान	38,13,80.36	(38,13,80.36)	-
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	1,12,39.64	(1,12,39.64)	-
कुल	**59,66,69.14**	**(37,03,55.84)**	**22,63,13.30**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**56,45,24.36**	**(37,09,73.83)**	**19,35,50.53**

20. DEFFERED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax credit during the year amounting to ₹37,09,73.83 thousands (previous year credit ₹40,97,57.68 thousands). The Net Deferred Tax Asset at the end of the year amounts to ₹19,35,50.53 thousands (previous year Deferred Tax Asset ₹56,45,24.36 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01/04/2016	Charge/ (Credit) during the year	Closing at 31/03/2017
Tax Element on Liability			
Depreciation	3,21,44.78	6,17.99	3,27,62.77
Total	3,21,44.78	6,17.99	3,27,62.77
Tax Element on Assets			
Provision for leave encashment	13,75,93.88	91,59.22	14,67,53.10
Provision for doubtful debts	2,93,95.45	17,30.40	3,11,25.85
Provision for gratuity	3,07,30.47	61,41.35	3,68,71.82
PLLI	51,91.20	63,71.33	1,15,62.53
Long Service liability	-	-	-
Cess u/s. 441A of Companies Act	11,38.14	(11,38.14)	
Provision for Premium Deficiency	38,13,80.36	(38,13,80.36)	-
Wage Revision (PF & leave encashment)	1,12,39.64	(1,12,39.64)	-
Total	**59,66,69.14**	**(37,03,55.84)**	**22,63,13.30**
Deferred Tax Asset/ (Liability)	**56,45,24.36**	**(37,09,73.83)**	**19,35,50.53**

21. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

(₹ '000)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : अंश लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (रु '000)	282,14,41.29	276,22,66.70
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	134986262.30	124726775.96
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	20.90	22.15
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

21. Earnings Per Share is calculated as under: (₹ '000)

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator: Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	282,14,41.29	276,22,66.70
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	134986262.30	124726775.96
c)	Earnings per share: Basic (₹)	20.90	22.15
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

22. (क) आकस्मिक देयताएं (₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	27,16,22.00	31,94,32.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	855,17,92.00	10,27,71,15.00
4.	कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	164,96,16.55	17,24,60.36
6.	आय कर	953,25,60.00	481,75,10.42

(ख) लंबित मुकदमों का प्रभाव

कंपनी ने राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जैसा भी मामला हो, के समक्ष 107 मामलों में अपील की है जो कि संबन्धित निचली फोरम द्वारा कंपनी के विरुद्ध ₹5,28,90,85.00 हज़ार की राशि के निर्णय के विरुद्ध है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव निचली फोरमों द्वारा कंपनी के खिलाफ लिए गए निर्णय की राशि पर आधारित होंगे।

23. राशि ₹397,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹497,00,00.00 हज़ार) का दावा लागत अनुमानित है तथा दिनांक 31 मार्च 2017 तक असंरक्षित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार कुल ₹42,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹110,20,00.59 हज़ार) की प्रीमियम कमी आरक्षित की गयी है।

22. (a) CONTINGENT LIABILITIES (₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current year	Previous Year
1.	Partly paid up Investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	27,16,22.00	31,94,32.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt and not provided for	855,17,92.00	10,27,71,15.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Capital Commitments	164,96,16.55	17,24,60.36
6.	Income Tax	953,25,60.00	481,75,10.42

(b) IMPACT OF PENDING LITIGATIONS

There are 107 cases in which the Company has filed appeals before the State or National Consumer grievance Redressal Forum as the case may be against the Awards amounting to ₹5,28,90,85.00 thousands granted against the Company by respective lower forum. The impact on account of these pending litigations on the financial statements of the Company shall be to the extent of the amount of the awards of the lower forums.

23. The expected claim costs is estimated at ₹397,00,00.00 thousand (previous year ₹497,00,00.00 thousand) and after taking into account URR as at 31st March, 2017, a premium deficiency reserve of ₹42,00,00.00 thousand (previous year ₹110,20,00.59) as per IRDAI requirements.

24. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि :

कंपनी ने कंपनी नियम 2013 की धारा 135 तथा 198 के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार सी एस आर प्रावधान अभिकलित किए हैं। आरंभिक प्रारक्षण, भुगतान व शेष प्रारक्षण का विवरण निम्नानुसार हैं :-

विवरण		राशि
सी एस आर गतिविधियों के लिए आरंभिक प्रारक्षण	(क)	2,44,24.00
कंपनी अधिनियम 2013, को धारा 135 के अधीन व्यय की जानेवाली राशि	(ख)	7,90,00.00
कुल उपलब्ध राशि	(ग = क + ख)	10,34,24.00
वर्ष के दौरान कुल वास्तविक व्यय	(घ)	5,03,45.00
सीएसआर गतिविधियों के तहत कुल गैर-व्याप्ति राशि/शेष	(च= ग - घ)	5,30,79.00

25. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

26. अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹4,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,00,00.00 हज़ार के जमा) शामिल हैं जिसे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास नकद मार्जिन के रूप में गिरवी रखा गया है।

27. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में निवेशों में शामिल हैं :

(i) निगम द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,99,25 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

(ii) निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने के दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हज़ार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

24. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2016-17 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ `000)

Particulars		Amount
Opening Reserve for CSR activities	(A)	2,44,24.00
Amount to be spent as per section 135 of Companies Act, 2013	(B)	7,90,00.00
Total available amount	(C= A + B)	10,34,24.00
Amount actually spent during the year	(D)	5,03,45.00
Total unspent amount/balance under CSR activities	(E=C-D)	5,30,79.00

25. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-1A & 1B.

26. Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include deposits of ₹4,00,00.00 thousands (previous year deposits of ₹4,00,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as a cash margin.

27. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

i. 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

ii. 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

28. कर्मचारी लाभ:

28.1 कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी ए) में शामिल किया गया है।

28.2 कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

28.3 निश्चित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में, कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

28.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को निश्चित लाभ योजना माना जाये।

28.5 भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि, भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अत: उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

28.6 कंपनी के कर्मचारी कंपनी के छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टियों के पात्र हैं। लेखा वर्ष के अंतिम तारीख को जमा छुट्टी के कारण उत्पन्न देयता की, बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को निश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर पहचान की गयी है।

(₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	तुलन पत्र में दर्शाया गया		
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	42,40,43.87	39,75,78.24
	वर्ष के आरंभ में देयता	39,75,78.24	36,22,40.30
	तुलन पत्र में दर्शायी गयी अतिरिक्त देयता	2,64,65.13	3,53,37.94

28. EMPLOYEE BENEFITS:

28.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

28.2 The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each employee.

28.3 In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

28.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

28.5 As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

28.6 The employees of the Company are entitled to leave as per the leave policy of the Company. The liability on account of accumulated leave as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ `000)

	Category	Current Year	Previous Year
1	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	42,40,43.87	39,75,78.24
	Liability at the beginning of the year	39,75,78.24	36,22,40.30
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	2,64,65.13	3,53,37.94

28.7 उपदान तथा सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न ''निश्चित कर्मचारी लाभ योजना 'के अधीन कर्मचारी लाभ जिन पर वित्त व्यवस्था की गयी है, के विवरण निम्नानुसार हैं :-

पेंशन (₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	299,16,08.10	273,16,27.25
	ब्याज दर	23,93,28.65	21,57,98.55
	चालू सेवा लागत	10,38,03.87	9,58,06.58
	स्थानांतरित देयता		-
	प्रदत्त लाभ	(28,54,54.25)	(19,43,86.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	9,61,76.09	14,27,61.72
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	314,54,62.46	299,16,08.10
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	276,35,54.24	221,89,15.12
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन	22,10,84.34	17,52,94.29
	अंशदान	33,31,97.80	53,25,23.20
	स्थानांतरित परिसंपत्तियाँ		-
	प्रदत्त लाभ	(28,54,54.25)	(19,43,86.00)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	1,29,90.20	3,12,07.63
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	304,53,72.33	276,35,54.24
3	**तुलन पत्र में दर्शाया गया**		
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	314,54,62.46	299,16,08.10
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	304,53,72.33	276,35,54.24
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	10,00,90.13	22,80,53.86
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	10,38,03.87	9,58,06.58
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	1,82,44.31	4,05,04.26 (17,52,94.29)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	8,31,85.89	11,15,54.09
	राजस्व खाते में दर्शाये गए व्यय	20,52,34.07	24,78,64.93

28.7 The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

Pension (₹ '000)

	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	299,16,08.10	273,16,27.25
	Interest Cost	23,93,28.65	21,57,98.55
	Current Service Cost	10,38,03.87	9,58,06.58
	Liability Transferred		-
	Benefits paid	(28,54,54.25)	(19,43,86.00)
	Actuarial (Gain) / Loss	9,61,76.09	14,27,61.72
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	314,54,62.46	299,16,08.10
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	276,35,54.24	221,89,15.12
	Expected return on Plan Assets	22,10,84.34	17,52,94.29
	Contributions	33,31,97.80	53,25,23.20
	Assets Transferred In		-
	Benefits paid	(28,54,54.25)	(19,43,86.00)
	Actuarial Gain / (Loss)	1,29,90.20	3,12,07.63
	Plan Assets at the end of the year at fair value	304,53,72.33	276,35,54.24
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	314,54,62.46	299,16,08.10
	Plan Assets at the end of the year at fair value	304,53,72.33	276,35,54.24
	Liability recognised in the Balance Sheet	10,00,90.13	22,80,53.86
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	10,38,03.87	9,58,06.58
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	1,82,44.31	4,05,04.26 (17,52,94.29)
	Actuarial (Gain) / Loss	8,31,85.89	11,15,54.09
	Expense recognised in the Revenue account	20,52,34.07	24,78,64.93

उपदान (₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	37,91,08.76	37,79,15.71
	ब्याज लागत	3,01,77.06	3,00,44.30
	चालू सेवा लागत	92,14.77	86,50.56
	विगत सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(2,74,51.13)	(2,85,33.75)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	2,63,28.59	(89,68.06)
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	39,21,72.45	37,91,08.76
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	29,03,12.90	29,53,40.19
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन	2,31,08.91	2,34,79.55
	अंशदान	-	15.39
	प्रदत्त लाभ	(2,74,51.13)	(2,85,33.75)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	(3,39.55)	11.52
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	28,56,31.13	29,03,12.90
3	**तुलन पत्र में दर्शाये गए**		
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	39,21,72.45	37,91,08.76
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्ति	28,56,31.13	29,03,12.90
	तुलन पत्र में दर्शाई देयता	10,65,41.32	8,87,95.86
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	92,14.77	86,50.56
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन)	70,68.15	65,64.75 (2,34,79.55)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	14,62.54	(89,79.58)
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ		-
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	1,77,45.46	62,35.73
	श्रेणी	पेंशन	उपदान
5.	**अनुमान**		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.50% (8.00%)	7.29% (7.96%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन दर	7.50% (8.00%)	7.29% (7.96%)
	वेतन वृद्धि	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	परियोजित इकाई जमा विधि	

Gratuity (₹ '000)

	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	37,91,08.76	37,79,15.71
	Interest Cost	3,01,77.06	3,00,44.30
	Current Service Cost	92,14.77	86,50.56
	Past Service Cost - Vested Benefit	-	-
	Benefits paid	(2,74,51.13)	(2,85,33.75)
	Actuarial (Gain) / Loss	2,63,28.59	(89,68.06)
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	39,21,72.45	37,91,08.76
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	29,03,12.90	29,53,40.19
	Expected return on Plan Assets	2,31,08.91	2,34,79.55
	Contributions	-	15.39
	Benefits paid	(2,74,51.13)	(2,85,33.75)
	Actuarial Gain / (Loss)	(3,39.55)	11.52
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	28,56,31.13	29,03,12.90
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	39,21,72.45	37,91,08.76
	Plan Assets at the end of the year at fair value	28,56,31.13	29,03,12.90
	Liability recognised in the Balance Sheet	10,65,41.32	8,87,95.86
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	92,14.77	86,50.56
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	70,68.15	65,64.75 (2,34,79.55)
	Actuarial (Gain) / Loss	14,62.54	(89,79.58)
	Past Service Cost - Vested Benefit		-
	Expense Recognised in the Revenue account	1,77,45.46	62,35.73
	Category	Pension	Gratuity
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting	7.50% (8.00%)	7.29% (7.96%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.50% (8.00%)	7.29% (7.96%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
6.	**Method of Valuation**	Projected Unit Credit Method	

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण क	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकार योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

29. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविदा पर अलग होती हैं।

परिचालन पट्टों के लिए ₹16,67,71.13 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 15,09,05.30 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है ।

ए एस - 19 के अनुसार परिचालन पट्टे के लिए न्यूनतम भविष्य भुगतान की ''पट्टे'' की राशि ₹27,45,78.78 हज़ार है।

30. कंपनी का कोई व्युत्पन्न अनुबंध तथा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं हैं (बिना बचाव व्यवस्था के)।

31. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006, के प्रावधानों के अनुसार :

i. बकाया राशि ₹कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹कुछ नहीं)

ii. वर्ष भर में किए गए विलंबित भुगतान ₹कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹कुछ नहीं) नहीं हैं।

iii. देय ब्याज जहां देय तारीख के पश्चात देय मूलधन की अदायगी की गयी हो ₹कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹कुछ नहीं)

32. कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों के व्ययों (अनुसूची 2) को ₹ 131,34,11.51 (पिछले वर्ष ₹114,03,29.38) निवल व्ययों में दर्शाया गया है जैसे वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि।

33. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 067/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मार्च - 08 दिनांक 28.03.2008 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

	Category	Current Year	Previous Year
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

29. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹16,67,71.13 thousands (previous year ₹15,09,05.30 thousands).

As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹27,45,78.78 thousands.

30. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

31. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

i. Amount Outstanding ₹NIL (previous year ₹NIL)

ii. Delayed Payments made through-out the year ₹NIL (previous year ₹NIL)

iii. Interest payable where principal dues are settled after due date ₹NIL (previous year ₹NIL).

32. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹131,34,11.51 thousands (previous year ₹114,03,29.38 thousands) such as recovery commission, bank charges, service tax, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

33. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i.	आउटसोर्सिंग व्यय	2,71,36.22	2,99,51.12
ii.	कारोबार विकास	1,64,81.10	1,35,39.59
iii.	विपणन समर्थन	13,54,01.14	5,52,97.54

34. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध - 2 में संलग्न है।

35. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (हानि की अधिकता तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	धारण	%	पुनर्बीमा को सौंपा गया	%
2016-17	1267,62,48.71	839,64,91.37	66.24%	427,97,57.34	33.76%
2015-16	1320,72,97.15	903,49,64.18	68.41%	417,23,32.97	31.59%

36. आई आर डी ए आई के परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 तथा परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / 114 ?05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावी राशि का अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 3ए तथा 3बी में दर्शाया गया है।

37. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मई - 09 दिनांक 7.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	राशि ₹ ' 000		
			दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कमी
1.	बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी / नयायाधिकरण अथवा फेमा के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(₹000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Outsourcing Expenses	2,71,36.22	2,99,51.12
ii	Business Development	1,64,81.10	1,35,39.59
iii	Marketing Support	13,54,01.14	5,52,97.54

34. RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure - 2 attached.

35. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

	Premium Statistics for the Period April 2016 to March 2017				
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2016-17	1267,62,48.71	839,64,91.37	66.24%	427,97,57.34	33.76%
2015-16	1320,72,97.15	903,49,64.18	68.41%	417,23,32.97	31.59%

36. Statement showing Age-wise Analysis of unclaimed amount of the policy holders as per IRDAI Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 and Circular no. IRDA/F&A/CIR/114?05/2015 dated 28/05/2015 is given in Annexure 3A & 3B.

37. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

Sr. No.	Authority	Non-Compliance / Violation	Amount in (₹ 000)		
			Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL

6.	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड, जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	लागू नहीं, कंपनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार

38. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

39. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों तुलनात्मक बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / वर्गीकृत किया गया।

40. लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव

प्रदत्त दावों के लिए वसूली के लिए प्रावधानों के संबंध में पिछले वर्ष तक कंपनी द्वारा निम्न उल्लिखित नीति का पालन किया जा रहा था :

"प्रदत्त दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों की गणना (अंतरण विलंब वसूलियों के अलावा) प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर की गयी है। तथापि, तुलन पत्र की तारीख को प्रदत्त दावों के संबंध में की गयी वसूलियाँ तथा तीन वर्षों से अधिक के लिए वसूली के लिए बकायों के संबंध में 100/- (एक सौ रु मात्र) का प्रावधान किया गया है भले ही इस प्रकार के मूल्यांकन पर उच्चतर प्रावधान अनुमानित हो। प्रदत्त

6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Any other Central/State / Local Government / Statutory Authority	NIL	NIL	NIL	NIL

As certified by the management

38. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

39. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's figures.

40. IMPACT FOR CHANGE IN ACCOUNTING POLICY:

With respect to provisions for recovery for claims paid, up till the previous financial year the Company was following the below mentioned Policy:

"The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at ₹100/- (Rupees One Hundred only) even if higher recovery provision is estimated on such assessments. The estimated recoveries

अंतरण विलंब दावे के कारण अनुमानित वसूलियों की गणना, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी तथा पिछले अनुभव के आधार पर वर्तमान धारणाओं के आधार पर की गयी है। ''

वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति के लिए कंपनी ने इस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यदि कंपनी द्वारा पूर्व की नीति को अपनाना जारी रखा जाता तो वर्तमान अवधि के लिए लाभ तथा हानि के विवरण के जमा ₹12,47.90 हज़ार तक अधिक होते तथा पुनर्बीमा के निवल बकाया दावों के अधीन ''चालू देयताएं'' ₹12,47.90 हज़ार तक कम होती।

41. **निर्दिष्ट बैंक नोट :**

कंपनी मामले मंत्रालय की अधिसूचना सं 17/62/2015-सी एल - V (खंड I) दिनांक 30 मार्च 2017 के जरिये जारी अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट बैंक नोटों के संबंध में निर्दिष्ट घोषणा की गयी है। तथापि बीमा कंपनियों को अलग प्रारुप का अनुपालन करना होता है अतः कंपनी को एसबीएस के संबंध में घोषणा लागू नही होती है। अनुसूची 1 से 17 पर हस्ताक्षरकर्ता।

on account of transfer delay claims paid, is accounted on the basis of the Company's current perceptions based on the available information and past experience."

During the year in order to give a more appropriate presentation of the financial statements, the Company has decided to discontinue this policy. Had the Company continued to follow the earlier policy, the credit to the statement of profit and loss for the current period would have been higher by ₹12,47.90 thousands and claims outstanding net of reinsurance under "current liabilities" would have correspondingly been lower by ₹12,47.90 thousands.

41. **SPECIFIED BANK NOTES:**

Schedule III to the Companies Act, 2013 specifies declaration in relation to SBN vide Ministry of Corporate Affairs notification no. 17/62/2015-CL-V (Vol. I) dated 30th March, 2017. However, since the insurance company has a different format to comply, declaration in relation to SBN is not applicable to the Company. Signatories to Schedule 1 to 17

(गीता मुरलीधर) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक **(Geetha Muralidhar)** Chairman-cum-Managing Director	(सुनील कुमार) निदेशक **(Sunil Kumar)** Director	(अरुण तिवारी) निदेशक **(Arun Tiwari)** Director	(माणेक एरुक डावर) निदेशक **(Maneck Eruch Davar)** Director

कृते आर एस वी ए एंड कं चार्टर्ड अकाउंटंट्स फ़र्म पंजीकरण सं 110504W **For RSVA & CO.** Chartered Accountants Firm Registration No. 110504W	कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स चार्टर्ड अकाउंटंट्स फ़र्म पंजीकरण सं 100990W **For Banshi Jain & Associates** Chartered Accountants Firm Registration No. 100990W
(शेखर एम कुलकर्णी) भागीदार - M. No. 046285 **(Shekhar M. Kulkarni)** Partner - M. No. 046285	(अनुज बी गोलेचा) भागीदार - M. No. 117617 **(Anuj B. Golecha)** Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	164,96,16.55	17,24,60.36
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	669,08,80.48	506,20,36.70
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
4	जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	181	117
	राशि Amount	1504,63,50.14	833,69,18.60
	छः महीनों से कम से बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	285	339
	राशि Amount	1300,53,12.30	782,91,98.72
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	466	456
	राशि Amount	2805,16,62.44	1616,61,17.32

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	839,64,91.37	903,49,64.18
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है। Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	419,82,45.69	451,74,82.09
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के जी एस आर 463 के अंतर्गत इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान Basis of amortisation of debt securities Provision for diminution in the value of the investments	-	5,65.95
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	302,29,68.16	94,30,57.86
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	302,29,68.16	94,30,57.86
14	निगम ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		

क्र. सं. Sr. No.		विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
15	क)	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं		
	A	Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
		दावों की संख्या	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
		Number of claims		
		राशि	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
		Amount		
	ख)	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं		
	B	All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
	ग)	1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं		
	C	Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
		क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख)	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
		a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000.00 lacs)		
		ख) भारत के बाहर	कुछ नही / Nil	कुछ नही / Nil
		b) Outside India		
	2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है		
		Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
		अर्जक (मानक) निवेश	7891,73,37.35	6713,36,50.43
		Performing(Standard) Investments		
		अनर्जक निवेश	5,00,00.00	5,00,00.00
		Non Performing Investments		
		कुल अंकित मूल्य (अंतिम मूल्य)	7896,73,37.35	6718,36,50.43
		Total Book Value (Closing Value)		
	3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत है जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है		
		Percentage of business sectorwise As the Corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
	4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है ।	अनुबंध 2(ख) के अनुसार	अनुबंध 2(ख) के अनुसार
		A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	As per Annexure 2b	As per Annexure 2b

क्र.सं. Sr. No.		विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)	वृद्धि % Growth %
	5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो)			
		Various Financial Ratios (as compiled by the management) (In the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
		सकल प्रीमियम			
		Gross Premium	1267,62,48.71	1320,72,97.15	-4.02
		शुद्ध प्रीमियम			
		Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18	-7.07
		शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम)			
		Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	66.24	68.41	-3.17
		शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)			
		Profit before Tax to Share Capital (%)	28.10	29.80	-5.68
		निवल मालियत पर कर पूर्व लाभ (%)			
		Profit before Tax to Networth (%)	11.26	11.81	-4.66
		निवल मालियत पर कर पश्चात लाभ (%)			
		Profit after Tax to Networth (%)	7.79	8.42	-7.48
		सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%)			
		Expenses of Management to Gross Premium (%)	16.19	14.46	11.96
		कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी			
		PBDIT to Total Employment	68,15.12	66,00.63	3.25
		शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण			
		Technical Reserves to Net Premium			
		असमाप्त जोखिम प्रारक्षण			
		Unexpired Risks Reserve	419,82,45.69	451,74,82.09	-7.07%
		बकाया दावे			
		Outstanding Claims	4879,14,42.91	4384,46,06.04	11.28%
		कुल तकनीकी प्रारक्षण			
		Total Technical Reserves	5340,96,88.60	4946,40,88.72	7.98%
		शुद्ध प्रीमियम			
		Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18	-7.07%
		अनुपात			
		Ratio	6.36	5.47	16.19

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹'000)

		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1267,62,48.71**	1320,72,97.15	1362,39,79.11	1303,72,59.69	1157,25,49.45
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**839,64,91.37**	903,49,64.18	1054,37,98.10	984,16,56.70	830,52,62.96
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**381,56,64.58**	352,13,64.65	294,39,41.80	262,79,35.49	218,88,80.99
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income (Fee & Other Receipts)	**2,48,01.65**	4,33,22.99	3,17,39.19	4,31,57.70	5,69,11.48
5	कुल आय Total Income	**1223,69,57.60**	**1259,96,51.82**	**1351,94,79.09**	**1251,27,49.89**	**1055,10,55.43**
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	**(70,04,80.73)**	(67,71,01.89)	(57,48,18.88)	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	**199,11,84.38**	185,56,64.81	205,16,70.95	156,58,04.34	138,24,89.30
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	**1056,65,01.81**	1000,62,50.19	1163,50,03.52	746,06,72.89	812,80,35.03
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	**31,92,36.41**	(34,75,83.63)	(35,10,70.70)	(76,81,96.87)	12,37,76.55
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	**138,09,89.14**	**106,72,55.08**	**5,65,52.80**	**329,73,17.14**	**171,47,51.99**
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' account	**269,39,52.70**	280,63,42.87	249,50,85.62	213,99,69.73	178,66,72.52
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	**407,49,41.84**	387,35,97.95	255,16,38.42	543,72,86.87	350,14,24.51
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	**125,35,00.55**	111,13,31.25	75,06,81.65	179,11,64.87	107,35,44.68
14	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit / (Loss) after tax	**282,14,41.29**	**276,22,66.70**	**180,09,56.77**	**364,61,22.00**	**242,78,79.83**

		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
	विविध **MISCELLANEOUS**					
15	पॉलिसीधारक खाता* Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**5640,60,00.59**	5150,48,47.08	4390,03,38.53	3720,35,37.59	3148,97,12.60
	कुल निवेश # Total Investments #	**4996,80,82.41**	4294,57,16.75	3853,64,62.72	3215,80,11.35	2773,75,77.59
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.40**	8.40	8.65	8.92	8.85
16	शेयरधारक का खाता' * Shareholders Account' *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**3760,40,00.39**	3579,15,03.91	3449,31,23.13	2923,13,50.96	2576,43,10.31
	कुल निवेश # Total Investments #	**3331,20,54.94**	2984,36,33.68	3027,86,49.28	2526,70,08.92	2269,43,81.67
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.50**	8.40	8.65	8.92	8.85
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	**1450,00,00.00**	1300,00,00.00	1200,00,00.00	1100,00,00.00	1000,00,00.00
18	निवल मालियत Net Worth	**3619,19,48.21**	3279,34,83.97	2988,95,41.98	2774,40,63.63	2417,74,97.64
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	**9775,15,06.80**	8899,09,10.64	8047,60,82.85	6814,33,59.59	5842,62,11.10
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	**8.40**	8.40	8.65	8.92	8.85
21	प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (₹)	**20.90**	22.15	15.70	35.10	25.86
22	प्रतिशेयर बही मूल्य (₹) Book Value per share (₹)	**2,70.45**	2,59.51	2,63.49	2,57.16	2,43.70
23	कुल लाभांश Total Dividend	**72,50,00.00**	65,00,00.00	48,00,00.00	88,00,00.00	60,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share (₹)	**5.00**	5.00	4.00	8.00	6.00

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियाँ व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं । पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।

अनुसूची 11-नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं ।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & Shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918
31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात
Key Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2017

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure - 2 to Schedule 17
(₹'000)

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particular	31 मार्च 2017 31 March, 2017	31 मार्च 2016 31 March, 2016
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1267,62,48.71	1320,72,97.15
	वृद्धि(%) Growth	-4.02%	-3.06%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	1267,62,48.71	1320,72,97.15
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	3619,19,48.21	3279,34,83.97
	अनुपात (गुना) Ratio (times)	0.35	0.40
3	निवल मालियत की वृद्धि दर Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) Net Worth (Opening)	3279,34,83.97	2988,95,41.98
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	3619,19,48.21	3279,34,83.97
	निवल मालियत की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	10.36%	9.72%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1267,62,48.71	1320,72,97.15
	निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio	66.24%	68.41%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	(70,04,80.73)	(67,71,01.89)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	अनुपात Ratio	-8.34%	-7.49%

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particular	31 मार्च 2017 31 March, 2017	31 मार्च 2016 31 March, 2016
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की तुलना में अनुपात प्रबंधन व्यय Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	205,16,56.46	190,99,18.99
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1267,62,48.71	1320,72,97.15
	अनुपात (%) Ratio	16.19%	14.46%
7	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम की तुलना में अनुपात प्रबंधन व्यय Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	205,16,56.46	190,99,18.99
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम Net Written Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	अनुपात(%) Ratio	24.43%	21.14%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	1056,65,01.81	1000,62,50.19
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	871,57,27.78	978,93,81.14
	अनुपात Ratio	121.23%	102.22%
9	सम्मिलित अनुपात Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	1056,65,01.81	1000,62,50.19
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	871,57,27.78	978,93,81.14
	अनुपात (क) Ratio (a)	121.23%	102.22%
	प्रबंधन व्यय Expenses of management	131,68,71.92	120,45,40.24
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Written Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	अनुपात (ख) Ratio (b)	15.68%	13.33%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) Combined Ratio (a + b)	136.92%	115.55%

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particular	31 मार्च 2017 31 March, 2017	31 मार्च 2016 31 March, 2016
10	शुद्ध प्रीमियम की तुलना में अनुपात (गुना) तकनीकी आरक्षित निधियाँ Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims	4879,14,42.91	4384,46,06.04
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks	419,82,45.69	451,74,82.09
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि Reserve for Premium Deficiency	42,00,00.00	-
	कुल Total	5340,96,88.60	4946,40,88.72
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	6.36	5.47
11	बीमांकन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	(245,94,77.09)	(249,74,32.56)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	871,57,27.78	978,93,81.14
	अनुपात Ratio	-28.22%	-25.51%
12	परिचालन लाभ अनुपात Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	(245,94,77.09)	(249,74,32.56)
	निवेश आय Investment Income	381,56,64.58	352,13,64.65
	राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account	248,01.65	433,22.99
	परिचालन लाभ Operating Profit	138,09,89.14	106,72,55.08
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	871,57,27.78	978,93,81.14
	अनुपात Ratio	15.84%	10.90%

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particular	31 मार्च 2017 31 March, 2017	31 मार्च 2016 31 March, 2016
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ मागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ Liquid Assets	782,04,47.43	876,05,48.01
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ Policy Holder Liabilities	5340,96,88.60	4946,40,88.72
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	0.15	0.18
14	शुद्ध अर्जन अनुपात Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	282,14,41.29	276,22,66.70
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	839,64,91.37	903,49,64.18
	अनुपात Ratio	33.60%	30.57%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	282,14,41.29	276,22,66.70
	निवल मालियत Net Worth	3619,19,48.21	3279,34,83.97
	अनुपात Ratio	7.80%	8.42%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency Margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता Available Solency Margin	3406,12,09.21	2937,54,66.44
	आवश्यक शोधन क्षमता Required Solvency Margin	391,93,24.45	300,18,75.06
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	8.69	9.79

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particular	31 मार्च 2017 31 March, 2017	31 मार्च 2016 31 March, 2016
17	अनर्जक खाता अनुपात NPA Ratio		
	निवेश: Investment:	0.048%	0%
	फ़ैक्टरिंग Factoring	100%*	100%*

*अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया. / *No fresh business done since April 2010.

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए अनुपातों की गणना, आई आर डी ए आई के दिनांक 05 दिसंबर 2012 के मास्टर परिपत्र आई आर डी ए/एफ & आई/परि/एफ & ए/ 231/10/212 एवं दिनांक 03 जुलाई 2013 के शुद्धि पत्र आई आर डी ए/एफ & ए/परि/126/07/2013 जो कि 2013-14 से प्रभावी हैं, के अनुसार की गई है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDAI's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita V. Pandit)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date attached:

कृते आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
Shekhar M. Kulkarni
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
Anuj B. Golecha
Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2017 तक बीमित-अदावा को बकाया / Due to Insured - Unclaimed as on 31st March, 2017

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (क) / Annexure 3 (A) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में / Amount in ₹ '000

क्रसं Sr. No.	विवरण / Particulars	कुल राशि Total Amount	1-6 माह 1-6 Months	7-12 माह 7-12 Months	13-18 माह 13-18 Months	19-24 माह 19-24 Months	25-30 माह 25-30 Months	31-36 माह 31-36 Months	36 माह से अधिक More than 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders / Insureds due to any reasons except under litigation from the Insured / policyholders	-	-	-	-	-	-		-
2	परिपक्वता पर या अन्य के लिए बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-		-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	98,91.35	1,06.88	1,10.29	3,84.52	3,37.22	17,62.98	13,65.49	58,23.97
4	चेक जारी किए गए परंतु बीमित / पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं । Cheques issued but not encashed by the policyholder / insured.	58,56.97	3,03.11	14,29.40	23,71.11	42.64	2,75.77	1,00.59	13,34.35
	कुल Total	1,57,48.32	4,09.99	15,39.69	27,55.63	3,79.86	20,38.75	14,66.08	71,58.32

नोट: उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Note: Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू 74999 एम एच 1957 जी ओ आई 010918 / / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2017 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31st March, 2017

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में / Amount in ₹ '000

विवरण / Particulars	31- मार्च-2017 तक As on 31- March-2017	31- मार्च-2016 तक As on 31- March-2016
आरंभिक शेष Opening Balance	**1,79,00.30**	**1,87,04.61**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दावा न की गई राशि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Amount during the year	26,54.89	48,69.30
जोड़ें: दावा न की गई राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	64.94	50.96
जोड़ें : निवेश आय Add: Investment Income	9,54.46	3,33.76
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि Less: Amount paid during the year	46,03.01	60,58.34
दावा न की राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount	**1,69,71.57**	**1,79,00.30**

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू 74999 एम एच1957 जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा/ (नकद प्रवाह) विवरण

Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2017

(₹ '000)

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
क A	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY**		
1	अग्रिम प्राप्तियों सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1281,34,00.27	1328,69,60.80
2	अन्य प्राप्तियाँ/ वसूलियाँ/ शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	133,70,33.64	117,28,83.35
3	पुनर्बीमाकर्ताओं के भुगतान- कमीशन व दावों को घटा कर Payments to reinsurers net of commission and claims	251,79,51.41	(227,97,44.13)
4	दावों की अदायगी Payments of Claims	(885,33,90.16)	(1119,84,10.33)
5	कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of Commission & Brokerage	(3,43,03.81)	(2,82,76.86)
6	अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of Other operating expenses	(239,59,33.47)	(171,93,26.90)
7	जमा, अग्रिम व स्टाफ ऋण Deposits,Advances & Staff Loan	(17,23.31)	8,84,27.06
8	अदा किया गया आयकर (निवल) Income Tax Paid (Net)	(333,08,14.08)	(82,88,38.89)
9	अदा किया गया सेवा कर Service Tax Paid	(1,33,85.90)	(46,29.80)
10	अन्य अदायगियाँ/ संग्रहण(शुद्ध) Other Payments/Collection (net)	(11,30,75.66)	25,44,47.73
	असाधारण मदों के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	**192,57,58.93**	**(125,65,07.98)**
11	**असाधारण परिचालन के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations**	-	-
	परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from Operating Activities	**192,57,58.93**	**(125,65,07.98)**

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
ख B	**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
1	अचल संपत्तियों की खरीद (कार्यशील पूंजी सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(41,08,54.91)	(15,97,08.92)
2	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	3,71.41	30,43,10.22
3	निवेशों की खरीद एवं बिक्री का नेट Net of Purchase and Sale of Investments	(958,14,24.05)	2056,34,73.09
4	प्राप्त किराया/ब्याज/ लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	590,53,63.04	559,79,50.79
5	मुद्रा बाजार के संसाधनों एवं नकद म्यूचुअल फंडों में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	(2934,89,56.60)
6	निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(1,34,31.09)	(1,05,72.32)
	निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख) **Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(409,99,75.61)**	**(305,35,03.75)**
ग C	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
1	**शेयर पूंजी जारी करने से आय** **Proceeds from issuance of share capital**	**150,00,00.00**	**100,00,00.00**
2	प्रदत्त / ब्याज लाभांश Interest / Dividend paid	(65,00,00.00)	(4,80,000.00)
3	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	(13,23,24.71)	(9,82,78.42)
	वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग) **Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**71,76,75.29**	**42,17,21.58**
घ D	**नकद और नकद समकक्ष पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध** **Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net**	**(1,75.63)**	(1,32.01)
	शुद्ध नकद प्रवाह (क + ख + ग + घ) **Net Cash Flow (A + B + C + D)**	**(145,67,17.01)**	(388,84,22.15)

क्रसं Sr.No.	विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
ङ E	**नकद व नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि** **Net increase in Cash and Cash equivalents:**		
1	-- वर्ष के आरंभ में -- at the beginning of the year	**597,28,69.68**	986,12,91.84
2	-- वर्ष के अंत में -- at the end of the year	**451,61,52.68**	597,28,69.68
	नकदी व नकद समकक्ष में परिवर्तन **Change in Cash and Cash equivalent**	**(145,67,17.01)**	(388,84,22.15)

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita V. Pandit)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date attached :

कृते आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
(Shekhar M. Kulkarni)
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
फ़र्म पंजीकरण सं 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M. No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

प्रबंधन की रिपोर्ट / MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV की आवश्यकता अनुसार।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2016-17 के लिए नवीकृत किया गया है।

2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।

3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।

5. हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।

6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों- ''ऋणों'', ''निवेशों'', ''विविध देनदारों'', ''नकद'' तथा ''चालू परिसंपत्तियों'' के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ₹ 100000,00,00 हजार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹ 86231,52,00 हजार है । कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए आइ द्वारा निश्चित संबन्धित सीमाओं के भीतर है।

8. हमारी कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।

9. पिछले पाँच वर्षों के दौरान अवधि वार बकाया दावे निम्नानुसार है :

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE `B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the year 2016-17.

2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.

3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.

4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.

5. We confirm that required solvency margins have been maintained.

6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings- 'Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.

7. The overall exposure of the Company is ₹ 86231,52,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.

8. We do not have any overseas operations.

9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per details below:

दिनांक 31.03.2017 तक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लंबित दावे :-

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	51	265,51,70.07	49	24,10,33.83	100	289,62,03.90
30 दिन से 6 महीने	123	972,03,14.40	62	38,87,94.00	185	1010,91,08.40
6 महीनों से 1 वर्ष	127	1094,87,91.52	18	18,40,95.12	145	1113,28,86.64
1 वर्ष से 5 वर्ष	35	389,10,54.80	1	2,24,08.70	36	391,34,63.50
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	336	2721,53,30.79	130	83,63,31.65	466	2805,16,62.44

दिनांक 31.03.2016 तक, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	50	180,12,92.63	95	37,66,14.72	145	217,79,07.35
30 दिन से 6 महीने	89	560,05,67.61	105	55,84,43.64	194	615,90,11.25
6 महीनों से 1 वर्ष	63	573,63,62.36	27	30,29,66.74	90	603,93,29.10
1 वर्ष से 5 वर्ष	27	178,98,69.62	-	-	27	178,98,69.62
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	229	1492,80,92.22	227	123,80,25.10	456	1616,61,17.32

दिनांक 31.03.2015 तक, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 दिन से 6 महीने	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 महीनों से 1 वर्ष	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	158	1524,51,63.78	158	80,86,85.98	316	1605,38,49.76

दिनांक 31.03.2014 तक, वित्त वर्ष 2013 -14 के दौरान लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 दिन से 6 महीने	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 महीनों से 1 वर्ष	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	192	916,39,00.98	191	104,63,37.52	383	1021,02,38.50

Claims Pending as on 31/03/2017, Financial Year 2016-17

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	51	265,51,70.07	49	24,10,33.83	100	289,62,03.90
30 Days to 6 Months	123	972,03,14.40	62	38,87,94.00	185	1010,91,08.40
6 Months to 1 Year	127	1094,87,91.52	18	18,40,95.12	145	1113,28,86.64
1 year to 5 years	35	389,10,54.80	1	2,24,08.70	36	391,34,63.50
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	336	2721,53,30.79	130	83,63,31.65	466	2805,16,62.44

Claims Pending as on 31/03/2016, Financial Year 2015-16

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	50	180,12,92.63	95	37,66,14.72	145	217,79,07.35
30 Days to 6 Months	89	560,05,67.61	105	55,84,43.64	194	615,90,11.25
6 Months to 1 Year	63	573,63,62.36	27	30,29,66.74	90	603,93,29.10
1 year to 5 years	27	178,98,69.62	-	-	27	178,98,69.62
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	229	1492,80,92.22	227	123,80,25.10	456	1616,61,17.32

Claims Pending as on 31/03/2015, Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 Days to 6 Months	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 Months to 1 Year	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 year to 5 years	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	158	1524,51,63.78	158	80,86,85.98	316	1605,38,49.76

Claims Pending as on 31/03/2014, Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 Days to 6 Months	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 Months to 1 Year	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 year to 5 years	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	192	916,39,00.98	191	104,63,37.52	383	1021,02,38.50

दिनांक 31.03.2013 तक, वित्त वर्ष 2012 -13 के दौरान लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 दिन से 6 महीने	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 महीनों से 1 वर्ष	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	134	973,80,35.92	186	260,24,34.62	320	1234,04,70.54

10. पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय की प्रवृत्ति दर्शाते हुए दावों की अवधिवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दावा निपटान की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	19	7,16,88.86	107	18,81,39.33	126	25,98,28.19
30 दिन से 6 महीने	112	228,02,94.84	426	148,94,45.02	538	376,97,39.86
6 महीनों से 1 वर्ष	43	213,13,57.72	41	29,68,87.19	84	242,82,44.91
1 वर्ष से 5 वर्ष	26	230,15,64.07	4	9,40,13.13	30	239,55,77.20
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	200	678,49,05.49	578	206,84,84.67	778	885,33,90.16

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दावा निपटान की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	13	12,41,53.59	131	25,93,28.47	144	38,34,82.06
30 दिन से 6 महीने	74	100,81,44.12	271	71,54,77.82	345	172,36,21.94
6 महीनों से 1 वर्ष	40	616,63,66.62	36	29,83,56.45	76	646,47,23.07
1 वर्ष से 5 वर्ष	14	265,65,80.20	-	-	14	265,65,80.20
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	141	995,52,44.53	438	127,31,62.74	579	1122,84,07.27

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दावा निपटान की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 दिन से 6 महीने	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 महीनों से 1 वर्ष	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	48,16,64.90	-		3	48,16,64.90
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	172	462,84,66.61	373	126,98,45.07	545	589,83,11.68

Claims Pending as on 31/03/2013, Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 Days to 6 Months	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 Months to 1 Year	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	134	973,80,35.92	186	260,24,34.62	320	1234,04,70.54

10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below :

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2016-17

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	19	7,16,88.86	107	18,81,39.33	126	25,98,28.19
30 Days to 6 Months	112	228,02,94.84	426	148,94,45.02	538	376,97,39.86
6 Months to 1 Year	43	213,13,57.72	41	29,68,87.19	84	242,82,44.91
1 year to 5 years	26	230,15,64.07	4	9,40,13.13	30	239,55,77.20
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	200	678,49,05.49	578	206,84,84.67	778	885,33,90.16

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2015-16

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	13	12,41,53.59	131	25,93,28.47	144	38,34,82.06
30 Days to 6 Months	74	100,81,44.12	271	71,54,77.82	345	172,36,21.94
6 Months to 1 Year	40	616,63,66.62	36	29,83,56.45	76	646,47,23.07
1 year to 5 years	14	265,65,80.20	-	-	14	265,65,80.20
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	141	995,52,44.53	438	127,31,62.74	579	1122,84,07.27

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 Days to 6 Months	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 Months to 1 Year	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 year to 5 years	3	48,16,64.90	-		3	48,16,64.90
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	172	462,84,66.61	373	126,98,45.07	545	589,83,11.68

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दावा निपटान की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 दिन से 6 महीने	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 महीनों से 1 वर्ष	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	175	639,54,51.11	383	257,94,57.62	558	897,49,08.73

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दावा निपटान की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 दिन से 6 महीने	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 महीनों से 1 वर्ष	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्षों व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	197	434,80,79.50	477	113,69,62.05	674	548,50,41.55

11. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों का मूल्यांकन बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

12. सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कोई भी अनर्जक परिसंपत्ति नहीं है।

13. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं :

क) कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख) कि प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

ग) कि प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 Days to 6 Months	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 Months to 1 Year	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 year to 5 years	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	175	639,54,51.11	383	257,94,57.62	558	897,49,08.73

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 Days to 6 Months	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 Months to 1 Year	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	197	434,80,79.50	477	113,69,62.05	674	548,50,41.55

11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.

12. All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

13. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDA Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and

पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।

घ) कि प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ङ) कि प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman-cum-Managing Director

(सुनील कुमार)
निदेशक
(Sunil Kumar)
Director

(अरुण तिवारी)
निदेशक
(Arun Tiwari)
Director

(माणेक एरुक डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(गणेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
(Ganesh Kumar Gupta)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. Senthilnathan)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. Anbarasan)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी. पंडित)
कंपनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2017
Place: New Delhi
Dated: 25th May, 2017

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITORS' REPORT

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आर एस वी ए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटंट्स
ब्लॉक नं 1,3 री मंजिल
खैतान चेंबर्स
143-145 मोदी स्ट्रीट
फोर्ट, मुंबई - 400001

बंशी जैन एंड एसोशियटेस
चार्टर्ड एकाउंटंट्स
405, इंपीरियल प्लाजा
डॉ के बी हेड्गेवार मार्ग
अमरसन्स के सामने
ऑफ लिंकिंग रोड
बांद्रा (पश्चिम)
मुंबई - 400050

प्रति,
ई सी जी सी लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने, ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) आदि शामिल हैं, तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत स्थित अट्ठावन शाखाओं, जिसमें सत्तावन शाखाओं की लेखा परीक्षा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है, के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा की है।

तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) को बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम तथा विनियमन"), के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक तथा भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित,

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

RSVA and Co.
Chartered Accountants
Block 1, 3rd Floor,
Khaitan Chambers,
143-145 Modi Street Fort,
Mumbai - 400 001

Banshi Jain and Associates
Chartered Accountants 405,
Imperial Plaza, Dr. K. B.
Hedgewar Marg, Opp. Amarsons,
Off Linking Road, Bandra (West),
Mumbai - 400 050

To,
The Members of ECGC Limited,

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of ECGC Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information, which includes the returns of fifty eight branches situated in India out of which fifty seven branches are audited by the appointed branch auditors.

The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013 ("the Acts and Regulation"), Accounting Standards notified under the Act and other accounting principles generally accepted in India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows (Receipts and Payments Account) of the Company in

भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार इन वित्तीय विवरणों, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, तथा नकद प्रवाह (प्राप्तियाँ तथा वसूलिया) की सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है।

इस ज़िम्मेदारी में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, तथा धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचानने, उचित लेखा नीतियों के चयन तथा प्रयोग करने, उचित तथा विवेक पूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनके रखरखाव करने के लिए ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक तथा सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने वाले व धोखे अथवा चूक के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त लेखा रिकॉर्डों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके, पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियमों व विनियमों के प्रावधानों व उनके अधीन बने नियमों के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य मामलों का ध्यान रखा है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10)के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन, कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बना कर लेखा परीक्षा पूरी करें।

लेखा परीक्षा में, राशियों से संबन्धित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम मूल्यांकन सहित, लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं। जोखिम मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक, कंपनी के सही व निष्पक्ष वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक

accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013, the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act and Regulation, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal

संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षक प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार किया जा सके । लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग की गयी लेखा नीतियों की उचितता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता व साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रकटन का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त कर लिए हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियमों तथा विनियमों, लेखा नीतियों के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही व निष्पक्ष राय प्रदान करने वाली टिप्पणियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में कंपनी के दिनांक 31 मार्च 2017 तक के विवरण;

ii. राजस्व खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष

iii. लाभ व हानि खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ तथा

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा भुगतान

मामले का विश्लेषण

हम निम्न की ओर आकर्षित ध्यान करना चाहेंगे :

1 अनुसूची 17 के नोट सं 3, ₹ 398.47 हजार (पिछले वर्ष ₹ 650.76 हजार) के मूल्य की परिसम्पत्तियों के संबंध में जहां उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गईं हैं तथा ₹ 57,743.90 हजार (पिछले वर्ष ₹ 57,443.90 हजार) मूल्य की परिसंपत्तियों जहां करार की प्रतियाँ खो गईं हैं / वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कंपनी के पास वर्तमान शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं जिससे यह साबित होता है कि कंपनी के पास संबन्धित परिसंपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व है, से संबन्धित है।

financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Acts and Regulation, Accounting Standards notified under the Act, read with the accounting policies and notes thereon give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2017;

ii. In the case of Revenue account, of the Surplus for the year ended on that date;

iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date; and

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹ 398.47 thousands (previous year ₹ 650.76 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹ 57,743.90 thousands (previous year ₹ 57,743.90 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;

2 31 मार्च 2017 तक दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) तथा दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) एवं प्रीमियम में कमी के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन को कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा हमें उस पर विश्वास है। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आई आर डी ए तथा आई आर डी ए की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मानदंडों के अनुसरण में इस प्रकार के मूल्यांकनों के लिए अनुमानों पर विचार किया है।

3 अनुसूची 17 के नोट सं 12, विविध देनदारों, विविध लेनदारों व जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य आस्तियों तथा बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खातों सहित विविध जमाओं से संबन्धित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य मामले

हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सत्तावन शाखाओं, जिनकी वित्तीय विवरणों / जानकारी, 31 मार्च 2017 तक के कुल ₹2,53,23,051.59 हजार की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹126,76,248 हजार के कुल राजस्व तथा 88,53,390.16 हजार रु के प्रदत्त दावों में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है । सत्तावन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी की लेखा परीक्षा, शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में यह पूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकरी व विश्वास के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ।

b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2017 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Company and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA;

c. Note no. 12 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Matter

We did not audit the financial statements/information of fifty seven branches included in the financial statements of the Company whose financial statements/financial information reflect total assets of ₹ 253,23,051.59 thousands as at 31st March, 2017,total operating revenues in terms of Premium of ₹ 126,76,248 thousands and Claims paid of ₹ 88,53,390.16 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of fifty seven branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) in our opinion, proper books of account

ख. हमारी राय में, बहियों की हमारी जांच से पाया गया है कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है तथा हमारी द्वारा जिन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया था उन शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरण प्राप्त किए गए हैं।

ग. शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी के सत्तावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है।

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप हैं जिन शाखाओं का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

ङ हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।

च. दिनांक 31.03.2017 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रत्यावेदनों के आधार पर, निदेशक मण्डल द्वारा 31 मार्च 2017 तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, कि अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में किसी भी निदेशक की निदेशक के रूप में नियुक्ति को अयोग्य सिद्ध किया गया हो।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता हमारी पृथक रिपोर्ट अनुबंध - क में संदर्भित हैं एवं

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में :

as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

(c) the reports on the accounts of the fifty seven branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

(d) the balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us.

(e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

(f) on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2017 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2)of the Act ;

(g) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls refer to our separate report in "Annexure-A" and

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों- वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद सं. 21, में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों (ठेकों) के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. दिनांक 30 मार्च 2017 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या 17/62/2015-सी एल-वी (वॉल्यूम-I) के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में, एस बी एन के संबंध में घोषणा निर्देशित की गई है। तथापि, बीमा कंपनी को, एस बी एन के संबंध में घोषणा करने के लिए अलग प्रारूप का पालन करना होता है। अतः एसबीएस के संबंध में घोषणा लागू नही है। वित्तीय के विवरण की अनुसूची 17 के नोट संख्या 41 का संदर्भ लें।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्र सं	निर्देश	उत्तर
1	कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए क्रमशः स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं/ यदि नहीं तो कृपया उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए पूर्ण हक तथा पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	हाँ, कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं।
2	क्या उधार / ऋण / ब्याज आदि की छूट / बट्टे पर डाले जाने के कोई मामले हैं ? यदि हाँ तो उनके कारण तथा शामिल राशि को दर्शाएँ।	जैसा कि विभागों / शाखाओं द्वारा सूचित किए अनुसार कंपनी द्वारा इस प्रकार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गयी है।
3	क्या तीसरे पक्ष के पास मौजूद माल तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त के लिए कोई सही रिकॉर्ड रखा गया है ?	विभागों / शाखाओं द्वारा सूचित अनुसार कंपनी के पास इस प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है।

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note no. 21 of schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. Schedule III to the Companies Act, 2013 specifies declaration in relation to SBN vide Ministry of Corporate Affairs notification no. 17/62/2015-CL-V (Vol. I) dated 30th March, 2017. However, since the insurance company has a different format to comply, declaration in relation to SBN is not applicable to the company. Refer Note no. 41 of Schedule 17 of the Financial Statements.

2. Report u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013

Sr No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively ? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/ lease deeds are not available ?	Yes, the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold Land.
2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/ Interest etc., If yes, the reasons there for and the amount involved.	As informed by the Departments/ Branches, no such cases are reported by the Company.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Govt. or other authorities ?	As informed by the Departments/ Branches, the Company has no such assets

क्र सं	उप-निर्देश	उत्तर
1	भौतिक / डीमेट रूप में उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बॉन्ड्स / डिबेंचर्स आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाता हो, का सत्यापन किया जाये तथा यदि कोई विसंगति पायी जाये तो उसे रिपोर्ट किया जाये।	सी जी एस / एस जी एस / बॉन्ड्स / डिबेंचर्स में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं तथा उनका रिकोर्डों के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गयी है। सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को माध्यमिक बाज़ार परिचालन तथा सी बी एल ओ परिचालनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। बॉन्डों / डिबेंचरों को हमारे संरक्षक स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास डीमेट के रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गयी है।

3. उन मामलों जिनका अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, पर, बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 की अनुसूची ग, विनियम 3 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही आवश्यक है ;

   क. कंपनी द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियाँ उचित हैं तथा इस संबंध में कंपनी (लेखा)नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 7 एवं विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आई आर डी ए द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों/ निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में है;

   ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न, शाखा स्तर पर की गयी इस प्रकार की समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट गलतियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गईं।

   ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4, में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों पूरा अनुपालन किया गया है।

   घ. हमने (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा, संबन्धित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऐसी शाखाओं जिनका

Sr No.	SUB-DIRECTIONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds / Debentures are held in DEMAT account with the Stock Holding Company of India Limited (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.

3. Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

   a. the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard;

   b. we have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there are no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

   c. as per the explanation given by the management the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

   d. we have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned

लेखा परीक्षण नहीं हुआ के मामले) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत, सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टीकरण प्राप्त हो चुका है से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है ;

ङ हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा

च. कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1ख) की शर्तों में शेयरधाकों तथा पॉलिसीधारकों से संबन्धित कोई अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अत: उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के आधार पर हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध मे बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया हो।

कृते आर एस वी ए एंड कं	**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण	फर्म पंजीकरण
सं. 110504डब्ल्यू	सं. 100990डब्ल्यू
एस एम कुलकर्णी	**अनुज बी गोलेचा**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 046285	सदस्यता संख्या 117617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25/05/2017

auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

f. the Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

For RSVA and Co.	**For Banshi Jain and Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm Registration	Firm Registration
No. 110504W	No. 100990W
S.M. Kulkarni	**Anuj B. Golecha**
Partner	Partner
Membership No. 046285	Membership No. 117617

Place : Mumbai
Date : 25/05/2017

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
COMMENTS OF CAG

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह, उनके द्वारा दिनांक 25 मई 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उनके द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा मुख्य रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकोर्डों की चयनात्मक जांच के आधार पर की गई है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके आधार पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई परिशिष्ट संलग्न किया जाए।

कृते एवं भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

(रूप राशि)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 जुलाई 2017

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards or auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 May 2017.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the

Comptroller and Auditor General of India

(Roop Rashi)

Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 28 July 2017

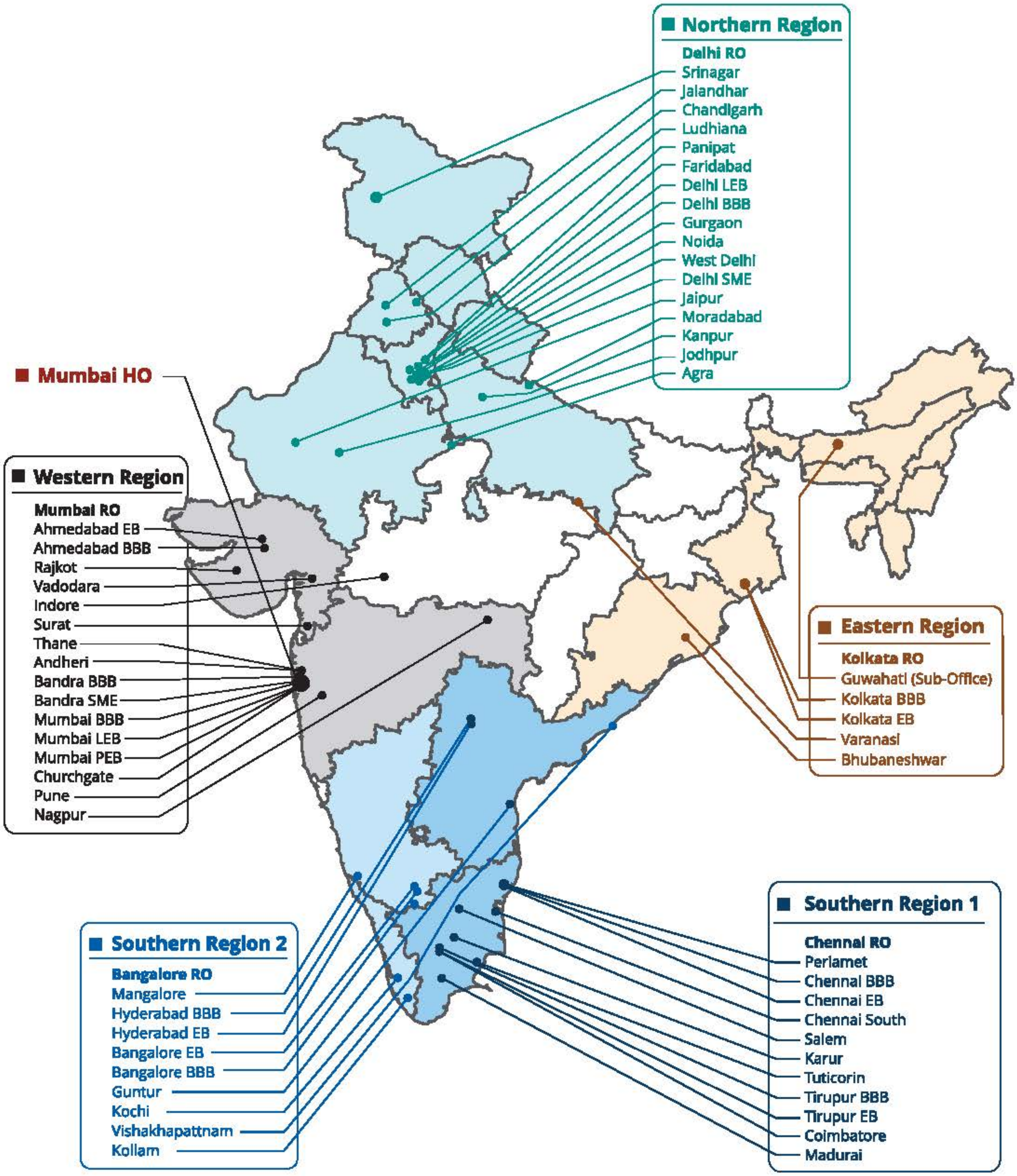

Map is not to scale and shows approximate locations only.

सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6659 0500 / 0510	webmaster @ecgc.in
राष्ट्रीय विपणन प्रभाग **NATIONAL MARKETING DIVISION** निर्मल, 5वीं मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Nirmal, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6659 0700 / 0776	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा **PROJECT EXPORT BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8119 / 8123	projectexport@ ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई **LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, 2री मंजिल,प्लॉट नं. 206,जे बी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, plot no.206, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8800 / 12	leb.mumbai @ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुंबई **BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, 3री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8600 / 8611 / 8614 / 8622	bbb.mumbai @ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय **WESTERN REGIONAL OFFICE** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ''ई'' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, 'E' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8112 / 8154	wro@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
बांद्रा ल व म नि शाखा **BANDRA SME BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8181 / 8110 / 8114 (BM)	bandra.mumbai @ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा **BANDRA BANK BUSINESS BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8136 / 61 (BM), 6144 8115 / 16 / 26 / 39 / 41 / 32 / 37 / 67 / 43	bbb.bandra @ecgc.in
अंधेरी शाखा **ANDHERI BRANCH** 401, टाऊन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 2859 0906 / 7614 / 3856 / 0970 (BM)	andheri.mumbai @ecgc.in
चर्चगेट शाखा **CHURCHGATE BRANCH** तल मंजिल, चर्चगेट चेम्बर्स, विठ्ठलदास ठकरसे मार्ग,प्लॉट नं.5, न्यू मरीन लाइंस, चर्चगेट, मुंबई- 400020 Churchgate Chambers, Vitthaldas Thackersey Marg, Plot No. 5, New Marine Lines,, Churchgate, Mumbai - 400020	(022) 2210 7900	churchgate. mumbai @ecgc.in
ठाणे शाखा **THANE BRANCH** कुसुमांजली, पहली मंजिल, गोखले रोड, ठाणे (पश्चिम) - 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Thane (west) - 400 602	(022) 2534 7807 / 6607(BM)	thane@ecgc.in
अहमदाबाद निर्यातक शाखा **AHMEDABAD EXPORTERS BRANCH** 401, हेरिटेज, नगीनदास चेम्बर्स के पीछे, गुजरात विद्यापीठ के पास, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, Near Gujarat Vidyapith, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 4932 / 0054 / 2925 / 5446 (BM)	ahmedabad @ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा **AHMEDABAD BANK BUSINESS BRANCH** नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल, एनसीटी शोरूम के सामने, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st floor, Opp. NTC Showroom, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 4932 / 0054 / 2925 / 1262 (BM)	bbb.ahmedabad @ecgc.in
पुणे शाखा **PUNE BRANCH** वास्तु चेम्बर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिवाजी नगर, पोस्ट बॉक्स सं. 880,शिरोले रोड, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39 Shivaji Nagar, P Box No.880, Shirole Road, Pune - 411 004	(020) 2553 1998 / 2881(BM)	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा **INDORE BRANCH** 408, 4थी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम. जी. रोड, इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544 215 / 2532 129 (BM)	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा **RAJKOT BRANCH** निर्मल - 2री मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, म्युनिसिपल कमिशनर के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465 162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा **VADODARA BRANCH** 504, कॉनकोर्ड, 6ठीं मंजिल, आर सी दत्त मार्ग, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2354 728 / 2341 615 (BM)	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा **NAGPUR BRANCH** प्लॉट नं. 317 (66), 2री मंजिल, एम.जी. हाउस के पास, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 Plot No.317 (66), 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 6558503	nagpur@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
सूरत शाखा **SURAT BRANCH** 503, 21 सेंच्युरी बिझिनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत - 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 2364 074	surat@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय / EASTERN REGIONAL OFFICE ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 2239 / 4003 3298	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 0963 / 0966	kolkata@ecgc.in
कोलकाता (बैंक कारोबार) शाखा **KOLKATA (BANK BUSINESS) BRANCH** ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 0963 / 0966	bbb.kolkata @ecgc.in
वाराणसी शाखा **VARANASI BRANCH** पीसीएफ प्लाजा, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, युनिट नं 1,मिन्ट हाउस, नादेसार, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1,mint house, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507 864 / 2502 534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा **BHUBANESHWAR BRANCH** 3री मंजिल, प्लॉट नं. 611, शहीद नगर, भुवनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547 772 / 2543 592	bhubaneshwar @ecgc.in
गुवाहाटी उप-कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** एचपी ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहबारी, गुवाहाटी - 781 008 H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635 983	guwahati@ecgc.in

दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I / SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I स्पेन्सर टावर्स, 7वीं मंजिल, 770-ए, अन्नासलाई, चेन्नई - 600002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002	(044) 2849 1026 / 33	sro-I@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** स्पेन्सर टावर्स, 7वीं मंजिल, 770-ए, अन्नासलाई, चेन्नई - 600002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002	(044) 2849 1026 / 33	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा **CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH** 3री मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002 3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 4228 4488 / 4228 4499	bbb.chennai @ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा **CHENNAI SOUTH BRANCH** 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, 2री मेन रोड, न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई - 600044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600044	(0444) 2241 4540/2241 5540	chennaisouth @ecgc.in
पेरियामेट शाखा **PERIAMET BRANCH** लेदर सेंटर,3री मंजिल, 43/53 राजा मुथिया रोड, पेरियामेट, चेन्नई - 600 003 Leather Centre, 3nd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 6521 0006 / 2561 5721	periamet.chennai @ecgc.in
कोयंबतूर शाखा **COIMBATORE BRANCH** चेरनप्लाजा, 2री मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयंबतूर - 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304 775 / 776 / 778 / 779	coimbatore @ecgc.in
मदुरै शाखा **MADURAI BRANCH** पहली मंजिल, नंबर 12, कामराज नगर,दूसरी गली, चिन्न चोक्कीकुलम, ओ सी पी एम स्कूल रोड, मदुरै - 625002 First floor, No 12, Kamaraj Nagar 2nd Street, Chinna Chokkikulam, O.C.P.M. School Road, Madurai- 625002	(0452) 2525 521 / 2520 340	madurai@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
सेलम शाखा **SALEM BRANCH** 'शांति प्लाझा', 3री मंजिल, 1/5, वृंदावन रोड, (पुन्नस्वामी गौंडर तिरूमना मंडपम के सामने), सेलम - 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, (Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana ॐ Mandapam), Salem - 636 004	(0427) 2442 275 / 2330 274	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा **TIRUPUR EXPORTERS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232 998 / 2234 354 / 2232 997	ebb.tirupur @ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232 998 / 2234 354 / 2232 997	bbb.tirupur @ecgc.in
तुतीकोरिन शाखा **TUTICORIN BRANCH** 208/4ए, पहली मंजिल, वी ई रोड, तुतीकोरिन - 628 003 208/4A, 1st Floor, V E Road, Tuticorin - 628 003	(0461) 2324 351 / 352 (BM)	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा **KARUR BRANCH** 3री मंजिल, के व्ही आर कॉम्प्लेक्स, एनआईए के सामने, 80 फीट रोड, करूर - 639 002 3rd Floor, KVR Complex, Opp. NIA, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233 910 / 11	karur@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II **SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II** 1105, रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 2558 5375	sro-II@ecgc.in
बेंगलूर निर्यातक शाखा **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** वायुदूत चेम्बर्स, 4थी मंजिल, 15-16, ट्रिनिटी सर्किल, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Vayudooth Chambers, 4th Floor,15-16,Trinity Circle, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25589775 / 25591729	bangalore@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
बेंगलूर (बैंक कारोबार) शाखा **BANGALORE (BANK BUSINESS) BRANCH** रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., west Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 2558 5375 / 2578 / 0612 /2532 6181(BM)	bbb.bangalore @ecgc.in
कोची शाखा **KOCHI BRANCH** एचडीएफ़सी हाउस, 2री मंजिल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोची - 682 015 H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359 437 / 457 / 324(BM)	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा **KOLLAM BRANCH** सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम - 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2747 715 (BM)	kollam@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा **HYDERABAD EXPORTERS BRANCH** हाका भवन, 2री मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 2323 4334 / 2324 0833 / 2321 0944(BM)	ebb.hyderabad @ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** 6 वी मंजिल, एल.बी.भवन, 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एर्रा मंज़िल, सोमेजिगुड़ा, हैदराबाद - 500 082 6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 2329 6383	bbb.hyderabad @ecgc.in
विशाखापट्टनम शाखा **VISHAKHAPATNAM BRANCH** शंकर प्लाजा, पहली मंजिल, शंकरमठम के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापट्टनम - 530 016 Shankar Plaza, 1st Floor, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748 653	visakhapatnam @ecgc.in
गुंटूर शाखा **GUNTUR BRANCH** कृष्ण प्लाजा, 2री मंजिल, डोर नं. 26-21-22 नागराम पालेम, जी टी रोड, गुंटूर - 522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337 096/97/099(BM)	guntur@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
मंगलूर शाखा **MANGALORE BRANCH** एस्सेल टॉवर्स, पहली मंजिल, डोर नं. 14-1-58 तथा 14-1-58/32, बंटस होस्टेल सर्कल, मेंगलूर - 575 003 First Floor, Essel Towers, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444 288(BM) / 289	mangalore @ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय **NORTHERN REGIONAL OFFICE** मोहनदेव, 6वीं मंजिल, टॉल्स्टोय मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 Mohan Dev, 6th Floor, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001	(011) 4152 9912 / 16 / 19 / 20	nro@ecgc.in
दिल्ली ल व म नि शाखा **DELHI SME BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4000 / 4016 / 4027	metro.newdelhi @ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा **DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4011 / 4928 4012	leb.newdelhi @ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा **DELHI BANK BUSINESS BRANCH** 3री मंजिल, हंसालाया बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110 001 3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 4533 3666 / 601 ॐ 620	bbb.newdelhi @ecgc.in
नई दिल्ली (पश्चिम)शाखा **NEW DELHI (WEST) BRANCH** यूनिट सं. 305 - 306, के एल जे टावर (उत्तर), 3री मंजिल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638141/ 44	west.delhi @ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
गुड़गांव शाखा **GURGAON BRANCH** 3री मंजिल, 'उद्योग मीनार', वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव - 122 016 Third Floor, 'Udyog Minar', Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon - 122 016	(0124) 4300 603 / 605	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा **LUDHIANA BRANCH** 92, सुर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, पी ओ बॉक्स नं. 281, लुधियाना - 141 001 92, Suryakiran Complex, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2405 684 / 2403 349	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा **JALANDHAR BRANCH** 36 जी टी रोड, गोविंद निवास, 2री मंजिल, जालंधर - 144 001 36, G T Road, Gobind Niwas, 2nd Floor, Jalandhar - 144 001	(0181) 2226 025 / 2226 035	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा **KANPUR BRANCH** 14/147, स्काय लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, पीओ बॉक्स सं. 116, चुन्नीगंज, कानपुर - 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2533 280 / 2534 024	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा **MORADABAD BRANCH** शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद - 244 001 Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415 476 / 2435 395	moradabad @ecgc.in
जयपुर शाखा **JAIPUR BRANCH** आनंद भवन, सरकारी हॉस्टल सर्किल के पास, एम आई रोड, जयपुर - 302 001 Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001	(0141) 2361 172 / 2367 292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा **AGRA BRANCH** दीपक वासन प्लाजा, 2री मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा - 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2521 676 / 2524 985	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा **PANIPAT BRANCH** मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत - 132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634 933	panipat@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
जोधपुर शाखा **JODHPUR BRANCH** 178, "नारायणम" 2री मंजिल, अपर चोपसनी रोड,(बॉम्बे मोटर सर्कल के पास) जोधपुर - 342 003 178, ''Narayanam'', 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 5100531	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा **CHANDIGARH BRANCH** पीएचडी चेंबर हाउस, पहली मंजिल, सेक्टर 31- ए, चंडीगढ़ - 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003627 / 28 / 29	chandigarh @ecgc.in
नॉयडा शाखा **NOIDA BRANCH** रूम नं. 312 कृष्णा अपरा प्लाज़ा, सेक्टर 18, नॉयडा, उ.प्र.- 201 301 P-3 Krishna Apra Plaza, 3rd Floor, Room No. 312, Sector 18, Noida - 201 301	(0120) 4249 182 / 186 (BM)	noida@ecgc.in
श्रीनगर शाखा **SRINAGAR BRANCH** जेकेएसएफसी बिल्डिंग, 2री मंजिल, दुर्गा नग, डलगेट, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर - 190 001 JKSFC Bldg., 2nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500 260	srinagar@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा **FARIDABAD BRANCH** एससीओ-149, दूसरी मंजिल, सेक्टर-21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	0129 4315114	faridabad@ecgc.in

टिप्पणीयाँ / NOTES

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कारोबार निष्पादन की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबन्धक सम्मेलन आयोजित किया गया।

Regional and Branch Managers Conference held to review the business performance for FY 2016-17.